Page No.1

राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

मंगलवार, २१ मई, १६५७

———

विधान सभा की बैठक प्रातः ११.१३ बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

———

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

आज का प्रश्नोत्तर काल स्थगित करने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री सरदारसिंह : माननीय अध्यक्ष, ...क निवेदन करना चाहता हूँ कि आज ...ते बाद से गुलेटीन लगने वाला है और ...बहुत सी मांगें बाकी हैं और सभी ...राय के हैं कि या तो एक दिन ...जाए या आज जो प्रश्न हैं वे न ...त ले लिये जावें और आज वाद-...शुरू कर दिया जावे ताकि प्रश्नों का ...जाए।

...ध्यक्ष : मेरे ख्याल से जहां तक ...सवाल है सभी माननीय सदस्य ...उत्सुक होते हैं।

...सरदारसिंह : तो एक दिन और ...है।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या २३५

अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २३६

श्री दयाकृष्ण

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री लक्ष्मीचन्द।

त० सांचोर में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य

२३७. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या योजना व विकास मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

तहसील सांचोर, जिला जालोर में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत क्या क्या कार्य किये गये ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) :

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये हुए कार्यों का तहसीलवार बटवारा सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। यह कुछ समय में एकत्रित किया जा सकता है ?

श्री लक्ष्मीचन्द : कब तक इसका जवाब दिया जा सकता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसको एकत्रित करने में समय लगेगा। आप इसकी जानकारी के लिये उत्सुक हैं तो महीना, १५

Page No.2

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

दिन में इकट्ठे करके आपके पास भेज दिये जावेंगे।

बाडमेर जिले में संस्कार केन्द्र खोलने की योजना संबन्धी

२३८. श्री तनसिंह (बाड़मेर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) समाज कल्याण विभाग की ओर से बाड़मेर जिले में क्या कोई संस्कार केन्द्र खोलने की योजना है ?

(२) क्या इस समय ऐसा कोई केन्द्र बाडमेर जिले में चल रहा है ? यदि हाँ, तो उसने अब तक क्या कार्य किया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) नहीं।

(ख) हां। केन्द्र में ३० सदस्य नियमित रूप से लाभ ग्रहण कर रहे हैं। केन्द्र महिलाओं को सिलाई, बुनाई कसीदा-कार्य व साक्षरता का ज्ञान प्रदान करता है। प्रौढ़ों के लिये भी साक्षरता व मनोरंजन का प्रबन्ध केन्द्र द्वारा किया जाता है। पुरुषों ने लिखना पढ़ना सीख लिया है तथा महिलायें कपड़े सीना सीख गई हैं। केन्द्र मोहल्ले का वातावरण बदलने में काफी सहायक हुआ है।

श्री तनसिंह : क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह कब और कहां खोला है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह बाडमेर खास में जटियों के मोहल्ले में है उसमें ३० सदस्य नियमित रूप से काम कर रहे हैं।

श्री तनसिंह : इसके संचालक कौन हैं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरे पास नाम तो नहीं हैं। अगर आप प्रश्न पूछें तो बता दूंगा।

श्री तनसिंह : कब से चालू है, यह नहीं बताया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : यह भी जानकारी इस समय नहीं है।

श्री तनसिंह : आपको वर्ष तो मालूम होंगे कि कितने सालों से चल रहो है, एक साल से चल रही है या ज्यादा से, क्योंकि मैं भी बाडमेर का ही रहनेवाला हूं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मेरी जानकारी के मुताबिक चल रही है।

श्री माननीन सदस्य : क्या आप उन सदस्यों के नाम बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

कोटा जिले में ओले इत्यादि से क्षति ग्रस्त कृषकों को सहायता

२३९. श्री दयाकृष्ण विजय (छबड़ा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे :—

सरकार द्वारा कोटा जिला में मार्च सन् ५४ में असामयिक वर्षा एवं ओला वृष्टि से क्षतिग्रस्त किसानों की सहायतार्थ क्या क्या कदम उठाये गये हैं ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : कोई हानि नहीं हुई, अतः सहायता का प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री दयाकृष्ण विजय : सन् ५७ के बजाय सन् ५४ misprint हो गया है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : For 54 it is 'Not' for 57 already I had given a reply yesterday.

श्री सरदारसिंह : कोटा में नहीं हुई तो दूसरी जगह हुई इसके लिये क्या कदम उठाये गये ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कोटा का प्रश्न है, आप उनियारा के बारे में पूछें तो बताया जायगा ।

प्रश्न संख्या २४०

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २४१

श्री भैरोंसिंह ।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री पी. के. चौधरी ।

मंगलवाड़ा (त० दूदू) से राजस्व वसूली हेतु बालाबक्स की नियुक्ति

२४२. **श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) :** Will the Revenue Minister be pleased to state :-

1. What effective steps does the Government propose to take to recover the amount of Rs. 16,000, due from Shri Balabux of Phulera who was given the contract for collecting land revenue in 1952 from the village of Mangalwada, in Dudu Tehsil ?

2. Why has this inordinate delay in recovering the dues from Shri Balabux occurred ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (a) The Bungalow of Shri Balabux has already been attached in lieu of Government arrears outstanding against him and action regarding auction of that bungalow is being taken by the Tehsildar concerned.

(b) The question does not arise.

बाड़मेर की स्कूलों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी

२४३. **श्री तनसिंह (बाड़मेर) :** क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) बाड़मेर नगर के स्कूलों में कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं ?

(ख) उनमें से कितनों को वर्दी देने का नियम है तथा उन्हें क्या वर्दी दी जाती है ?

(ग) वास्तव में कितनों को पूरी वर्दी दी गई ?

(घ) क्या सरकार उनको पूरी वर्दी दिलाने का शीघ्रातिशीघ्र प्रबन्ध करेगी ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द) : (क) १६ हैं ।

(ख) प्रत्येक को एक वर्ष में दो सूती

Page No.4

(श्री पूनमचन्द)

वर्दी देने का नियम है। वर्दी में एक कोट व एक पेन्ट होता है।

(ग) एक एक वर्दी प्रत्येक को दे दी गई है।

(घ) आर्थिक स्थिति को देखते हुये अवश्य विचार किया जावेगा।

श्री तनसिंह : वर्ष में दो का नियम है और एक दे दी गई है; क्या दूसरी वर्दी आर्थिक स्थिति के सुधारने पर मिलेगी? आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी ?

श्री पूनमचन्द : आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये हम सब शामिल हैं।

श्री तनसिंह : क्या एक एक वर्दी के न देने से आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी ?

श्री पूनमचन्द : वर्दियों का ही प्रश्न नहीं है। छोटे छोटे बहुत से मामले हैं जिससे नहीं हो सकती।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती है तो रूल्स बदल दीजिये।

जयपुर डिस्ट्रिक्ट में हरिजन चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी

२४४. **श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री** (आमेर) : क्या शिक्षा मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जयपुर डिस्ट्रिक्ट में चतुर्थ श्रेणी की महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

(ख) इनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स की कितनी हैं और किस किस स्कूल में नियुक्त हैं ?

(ग) शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में भर्ती किये जाने के लिये सरकार द्वारा कितना कोटा निर्धारित है ?

(घ) क्या उक्त कोटा के अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट्स में से भी कुछ महिलायें भर्ती की गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों? भविष्य में सरकार इसकी पूर्ति हेतु क्या कदम उठा रही है ?

उप शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): (क) १४० हैं।

(ख) इनमें शिड्यूल्ड कास्ट की २३ हैं तथा वे निम्न लिखित स्कूलों में नियुक्त हैं :

१ गर्ल्स स्कूल त्रिपोलिया, जयपुर।
२ ,, तोपखाना, जयपुर।
३ ,, माडल, जयपुर।
४ ,, गंगापोल, जयपुर।
५ ,, बसवा।
६ ,, गांधीनगर।
७ ,, तेलीपाड़ा, जयपुर।
८ ,, बाबू का टीबा, जयपुर
९ ,, गोविन्दगढ़।
१० ,, चौमू।
११ ,, सामोद।
१२ ,, लालसोट।
१३ ,, बाल मन्दिर, जयपुर
१४ ,, घाट गेट स्कूल, जयपुर।
१५ ,, माध्यमिक कन्या पाठशाला, दौसा।

(ग) १२ प्रतिशत कोटा निर्धारित है।

(घ) जी नहीं। क्योंकि न तो कोई रिक्त

Page No.5

(श्री पूनमचन्द)

स्थान ही था और हुआ भी तो ऐसा कोई प्रार्थी नहीं आया जिसके पास शिड्यूल्ड कास्ट का प्रमाण-पत्र हो। यदि भविष्य में ऐसे प्रार्थी आवेंगे तो उनके निर्धारित कोटे के अनुसार अवश्य कार्यवाही की जावेगी।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि कुछ ऐसी औरतें भी हैं जो कि बैकवर्ड क्लास की हैं और उन्हें शिड्यूल्ड कास्ट की मानकर ले लिया हैं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आप इस तरह की कोई सूचना देंगे तो उन पर कार्यवाही की जा सकती है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : जब शिड्यूल्ड कास्ट की भर्ती की जाती है तो उन से शिड्यूल्ड कास्ट के होने का सार्टिफिकेट भी लिया जाता है कि नहीं ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : इनको शिड्युल्ड कास्ट के सार्टिफिकेट के आधार पर ही लेते हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या यह सही है कि माननीय गवर्नर महोदय ने यह घोषणा की थी कि शिड्यूल्ड कास्ट वालों को सर्विसेज़ में लेने के लिए ३३ पर्सेन्ट कोटा रखा गया है ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : यह मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह।

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात और पूछनी है। शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को भर्ती करने के लिए राज्य सरकार की ओर से क्या नियम निर्धारित किए गए हैं; यानी जो जगह खाली होंगी वहां इनको टेम्परेरी ले लिया जायगा या परमानेन्ट लिया जायगा ? इसके ऊपर आप से जवाब चाहता था ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ऐसा कोई खास नियम मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

कस्टम विभाग के समाप्त होने से असिस्टेन्ट कमिश्नर का कार्यालय

२४५. **श्री बहादुरसिंह (धौलपुर)** : क्या वित्त मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(क) क्या कस्टम विभाग के समाप्त होने के समय धौलपुर में असिस्टेन्ट कस्टम्स कमिश्नर का कार्यालय था ? यदि हां, तो अब उस विभाग के टैक्सेशन एन्ड एक्साइज में परिवर्तित रूप का कार्यालय वहां क्यों नहीं रखा गया है ?

(ख) क्या बिक्री कर निरीक्षक का कार्यालय धौलपुर में था ? यदि हां, तो अब तो वह किन कारणों से हटा दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री।

(वित्त मन्त्री, श्री हरिभाऊ उपाध्याय के पीछे की ओर देखने पर)

श्री भैरोंसिंह : वित्त मंत्री जी पीछे देख रहे हैं, क्या उनके पीछे कोई और भी वित्त मंत्री हैं ?

Page No.6

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसका उत्तर अभी तक नहीं आ पाया है।

श्री बहादुरसिंह : प्रश्न तो बहुत सरल था।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे दुःख है कि इसका उत्तर अभी तक नहीं आया और इसकी सूचना भी दे दी गई थी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरीपूनिया

डेगाना तहसील में हाई स्कूल खोलने सम्बन्धी योजना

२४६. **श्रीमती गौरीपूनिया** (डेगाना) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सरकार डेगाना तहसील में हाई स्कूल खोलने की स्वीकृति क्यों नहीं दे रही है जब कि जनता ने स्कूल के लिए भवन भी बना दिया है ?

उप-शिक्षा मंत्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई): डेगाना की जनता ने सरकार द्वारा आधारित शर्तों की पूर्ति नहीं की थी तथा अब भी वहां पर चार कमरे बनने बाकी हैं।

श्रीमती गौरीपूनिया : सरकार की उन शर्तों का विवरण दीजिये जिनके आधार पर स्कूलें कायम की जाती हैं।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : सरकार की शर्तें यह होती हैं कि स्कूल का भवन होना चाहिये, दूसरे १०,००० रुपया पहले जमा करायें और इसके अलावा उसके आस-पास पांच मिडिल स्कूल होने चाहिये; ये शर्तें हैं।

श्रीमती गौरीपूनिया : ये शर्तें केवल डेगाना के लिए हैं या सारे राजस्थान के लिये हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : (मुख्य मंत्री) : क्षमा करें, मैं जरा एक बात बता दूं। १०,००० रुपया जमा कराना कोई आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द जाटव।

अलवर जिले की पट्टे पर दी गई निष्क्रमण-भूमि

२४७. **श्री गोकुलचन्द जाटव** (लछमणगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्ष अलवर जिले में कुछ कितनी निष्क्रमणार्थी भूमि पट्टे पर दी गई गई थी और उसमें से हरिजनों को कितनी दी गई ?

(ख) क्या यह सच है कि ऐसी एवेक्यु भूमि जो हरिजनों को पट्टों पर दी गई थी उस पर उनको दखल नहीं मिल सका ? यदि हां, तो कितनी जमीन पर और किन किन गांवों में ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) गत वर्ष ४८०५७ एकड़ भूमि पट्टे पर दी गई जिसमें से ३०५४० एकड़ भूमि हरिजनों को पट्टे पर दी गई।

(ख) यह असत्य है।

श्री गोकुलचन्द जाटव : आपकी तरफ से पट्टा करने के लिए कौन अधिकृत होता है ?

Page No.7

श्री दामोदरलाल व्यास : तहसीलदार और एडवाइज़री कमेटी।

श्री गोकुलचन्द जाटव : तो क्या यह ठीक है कि दखल मिलने के लिए हरिजनों से जमीन ले ली ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास जो सूचना थी वह मैंने अर्ज कर दी।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुरसिंह।

धौलपुर में बन्द पड़े उद्योगों को पुनः चलाने की योजना

२४८ **श्री बहादुरसिंह (धौलपुर) :** क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की की कृपा करेंगे:—

(क) धौलपुर में कितने उद्योग हैं और किस किस के कितने चल रहे हैं तथा कितने बन्द हैं और क्यों ?

(ख) क्या सरकार, जो बन्द पड़े हैं उन्हें चलवाने का प्रयत्न करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(ग) क्या धौलपुर में चालू उद्योगों को कुछ कठिनाइयां उपस्थित हो रही हैं ? यदि हां, तो उनको सहायता देने की क्या व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-उद्योग मन्त्री (श्री ऋषभचन्द धारीवाल) : (क) धौलपुर उद्योगों की सूची निम्न प्रकार है :

१. धौलपुर ग्लास फैक्ट्री	१
२. राइस एण्ड दाल मिल व ऑइल मिल	१४
३. फ्लोर मिल्स	३०
४. मेच फैक्ट्री	१

उदयभान इन्डस्ट्रीज़ के अतिरिक्त करीब करीब सब चल रही हैं।

मिस-मेनेजमेन्ट और हानि के कारण उदयभान इन्डस्ट्रीज़ को इनके डाइरेक्टर्स ने कई वर्ष पहिले बन्द कर दिया। इस उद्योग पर सरकार की कस्टम्स की भारी बकाया है। उसको वसूल करने के लिए इस उद्योग की जायदाद व मशीनें अटेच की जा चुकी हैं। इस बकाया को नीलाम द्वारा वसूल करने की कार्यवाही की गई है। मगर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार नीलाम रोक दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस उद्योग को सरकार द्वारा चलाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) सवाल ही नहीं उठता।

(ग) कोई विशेष कठिनाई देखने में नहीं आई। पॉवर की कमी उद्योगों की एक कठनाई है। इस कठिनाई को दूर करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री बहादुरसिंह : रेल्वे में भी यह वैगन्स की शिकायत है कुछ लोगों की ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : मैंने अर्ज किया कि ऐसी कोई शिकायत नहीं आई।

श्री बहादुरसिंह : ऐसी शिकायत की एक कापी आपकी सेवा में दी गई है और इसकी एक कॉपी मेरे पास भी आई है।

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : हां, ऐसी छोटी शिकायतें तो बहुत सी हो सकती हैं। रेल्वे की भी हो सकती हैं। यह आम शिकायत है जो कि हर इन्डस्ट्रीज़ के लिए होती है।

Page No.8

श्री सरदारसिंह : क्या माननीय मन्त्रीजी यह बतायेंगे कि छोटी शिकायतों की क्या डेफीनिशन है और बड़ी शिकायतों की क्या डेफीनिशन है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : बड़ी कठिनाइयों से तो आप सभी वाकिफ हैं। जो इकोनॉमिक डिफकल्टीज़ सामने आती हैं उनको भी आप सभी जानते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : Do the Government have any share in the Udaibhan Factory ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : Yes, Sir.

श्री श्रीभानसिंह : To what extent?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : The share of the Government in the Udaibhan Industries, the capital which has been invested, and all these things are given in the Audit Report as wall as in the Budget. A list has been given. Hon' ble Member may kindly see it.

श्री श्रीभानसिंह : I want to know the Government share in the Udaibhan Factory.

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : The investment of the Government is also given; the whole list is given.

श्री बहादुरसिंह : यह जो मैच फैक्ट्री है वह बन्द है, उसको चलाने के लिए क्या सरकार कोई प्रयत्न कर रही है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : यह ८ वर्ष से बन्द है और इसको चलाने के लिए गवर्नमेंट ने उनको जरूर कहा है। लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह इसको चला सकें।

श्री बहादुरसिंह : उसको कुछ आर्थिक सहायता दी जायगी ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : अगर वह मांगेंगे और जरूरत समझी जायगी कि वह फैक्ट्री ऐसी है कि जो चल सकती है और सहायता देने योग्य है तो दी जा सकती है।

श्री श्रीभानसिंह : When was this factory closed ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : I have already said, about eight years ago.

श्री श्रीभानसिंह : In which year, I want to know the year ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : Year, I cannot say at present. You can give notice and I will tell you.

श्री जनार्दनराय नागर : जो उदयभान इन्डस्ट्री के शेयर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : पी० डी० आर० के अन्दर इसका मुकदमा चल रहा है, यह सारी कार्यवाही हो रही है और जैसा कि मैंने उत्तर दिया कि हाई कोर्ट से Stay order आ गया है इसलिए कार्यवाही हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या ऐसे भी कोई....

श्री श्रीभानसिंह : Has the Government got the property evaluated ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : आप एक एक करके सवाल पूछ लीजिए. If you like I can tell you. You may give notice.

श्री जनार्दनराय नागर : क्या ऐसे भी कोई उद्योग हैं जिनको कि सहायता नहीं दी गई ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : यह सवाल पहले किया जा चुका है और मैं इनका जवाब भी दे चुका हूँ और वे सारी लिस्टें दी जा चुकी हैं कि कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जिनमें सरकार का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसकी सारी रिपोर्ट दी जा चुकी है। यह ऑडिट रिपोर्ट में भी मौजूद है।

श्री श्रीभानसिंह : Has the Government property of the Udaibhan Industries been evaluated ?

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, हमें चिन्ता यह है कि....

श्री अध्यक्ष : Has the Government property of the Udaibhan Industries been evaluated ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : The question of evaluation did not arise in respect of this particular industry, because whatever was there we have attached under the P. D. R. and in such circumstances whatever is there, it will be realised.

एक माननीय सदस्य : क्या यह जो मेच फैक्टरी है वह नहीं चली है तो उसकी जमीन उसके अधिकार में है वह दूसरे को दी जा सकती है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : आप इसके बारे में अलग से सवाल पूछ लें। यह दूसरा ही सवाल है जिस पर आप जानकारी चाहेंगे तो मैं अलग से जवाब दे दूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास : उद्योग की दृष्टि से जो उद्योग बन्द पड़े हैं उनको चलाने के लिए सरकार उपयुक्त समझती है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : जरूर समझती है। सरकार इसके लिए काफी प्रयत्नशील है और इनकी हालत सुधारने के लिए समय समय पर सहायता भी दी जाती है।

जागीरों के पुनर्ग्रहण से अब तक जागीरदारों की खुदकाश्त भूमि

२४६. रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा): क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) जागीरों के पुनः ग्रहण से अब तक कितने जागीरदारान को खुदकाश्त के लिये किस कदर भूमि दी गई ?

(ख) क्या यह भूमि जागीरदार जहां का है वहीं बताई गई है या दूसरी जगह ? यदि दूसरी जगह, तो वह कितने फासले पर ?

(ग) सरकार के पास अब जागीरदारों की इस तरह की खुदकाश्त की कितनी दरख्वास्तें जेर कार्यवाही हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (क) ३१ मार्च, सन् १९५७ तक १९४७

Page No.10

(श्री दामोदरलाल व्यास) :

भूतपूर्व जागीरदारों को ३२,८५३ बीघा भूमि खुद काश्त के लिये दी गई है।

(ख) लगभग १६३ प्रार्थियों को अपने निवास स्थान के गांव में ही भूमि दी गई और जिन्हें अन्य क्षेत्रों में भूमि बताई गई है, वह किस कदर फासले पर है इसका विवरण उपलब्ध नहीं है।

(ग) ३१ मार्च, सन् १९५७ तक १९४२ प्रार्थना पत्र जेर कार्यवाही है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : कितने कितने फासले पर भूमि दी गई इसकी सूचना उपलब्ध नहीं होने का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जो दावे दिये गये हैं वे करीब चार पांच हजार दावें हैं। उन सब के लिये यह बताना कि वे निवास स्थान से कितनी दूर पर उनको भूमि दी गई, वह बड़ी मुश्किल चीज है। मैंने आपसे निवेदन कर दिया कि १६३ प्रार्थना-पत्रों पर जमीन दे दी गई और वह भी अपने निवास स्थान पर ही। इनके अलावा दूसरी जगह जिनको भूमि दी गई उनकी दूरी उनके निवास स्थान से कितनी है, हरेक का फासला बताना नामुमकिन है।

रावराजा श्री सरदारसिंह : जिन लोगों को निवास स्थान से दूरी पर भूमि दी गई तो उनके जो खुद के निवास स्थान हैं, जो मकानात वाले हैं, वे वहां काश्त करने कैसे जायेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप मेरे से इन्फोरमेशन लेना चाहते हैं कि क्या पोलिसी होगी या राय पूछ रहे हैं ?

शाहबाद तहसील में माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में परिवर्तन

२५०. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) शाहबाद तहसील में कितने मिडिल स्कूल हैं तथा उनमें विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ?

(ख) क्या सरकार शाहबाद तहसील में (सेकन्ड्री) हाई स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस स्थान पर और कब ?

(ग) थाना तहसील शाहबाद में मिडिल स्कूल किस सन् में खोला गया था ?

(घ) क्या उसके बाद भी कोई मिडिल स्कूल खोले गये हैं ? यदि हां, तो कितने ?

(ङ) क्या इन मिडिल स्कूलों में से किसी को हाई स्कूल तक बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो किस किस को और कब कब ?

उप-शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) :

(क) इस समय दो मिडिल स्कूल हैं :

(१) मिडिल स्कूल शाहबाद में, छात्र संख्या १३८ है।

(२) मिडिल स्कूल कस्बा थाना में, छात्र संख्या १६३ है।

(ख) इस स्थान का अभी कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(श्री पूनमचन्द)

(ग) सन् १९१९ से।

(घ) जी हाँ, एक शादबाद में खोला गया है।

(ङ) जी नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : थाना में जब सन् १९१९ में स्कूल खुला, उसके बाद में राजस्थान में कितने मिडिल स्कूल खुले ?

श्री पूनमचन्द : उसके बाद में कई स्कूल खुले हैं।

श्री दयाकृष्ण विजय: क्या कई मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल भी बनाया गया है ?

श्री पूनमचन्द : हां, बनाया गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय: तो थाना मिडिल स्कूल को हाई स्कूल क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री पूनमचन्द : यह तो कोई जरूरी नहीं कि सभी मिडिल स्कूलों को हाई स्कूल बना दिया जाय बहुत सी ऐसी भी मिडिल स्कूलें है जिनको हाई स्कूल नहीं बनाया गया है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या राजस्थान सरकार की यह नीति है कि हर तहसील के सेन्टर में हाई स्कूल बनाया जाय ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : नीति जरूर है किन्तु कई तहसीलें बिना हाई स्कूल के बाकी हैं।

सन् ५२-५३ में अकाल हेतु धन एकत्रित करने के लिये मन्त्रियों के दौरे

२५१. **श्री तनसिंह** (बाडमेर) : क्या अकाल सहायता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सन् १९५२-५३ में राजस्थान सरकार के मन्त्रीगण राजस्थान से बाहर अकाल सहायता के लिये धन एकत्रित करने गए थे ?

(२) यदि हां, तो कौन कौन गये थे ?

(३) उनके आने-जाने व रहने का कितना खर्चा सरकार को उठाना पड़ा ?

(४) वे लोग कितना धन एकत्रित करके लाए और कितनी राशि के वायदे लाये ?

(५) उन वायदों में अब तक कितना रुपया जमा हो गया है ?

अकाल सहायता मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां।

(२) श्री जयनारायण व्यास... तत्कालीन मुख्य मन्त्री।

(२) श्री कुम्भाराम आर्य.... तत्कालीन उद्योग व वाणिज्य मन्त्री।

(३) श्री रामकरण जोशी-तत्कालीन स्वायत्त शासन मन्त्री

(३) कुछ नहीं, दौरा व्यक्तिगत था।

(४) न तो धन लाये और न वायदे।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य कर्मचारियों के विचाराधीन फिक्सेशन के मामले

२५२. **श्रीमती कमला श्रोत्रिय** (भील-

(श्री कमला श्रोत्रिय)

वाडा) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के कुल कितने ऐसे फिक्सेशन के मामले हैं जो अब तक विचाराधीन हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री मोहनलाल सुखाडिया) : सारे विभागों के नॉन गजटेड कर्मचारियों के लगभग ३००० फिक्सेशन के केस बकाया हैं ।

श्रीमती कमला श्रोत्रिय : इतने फिक्सेशन के मामले विचाराधीन हैं इससे प्रशासनिक कार्यों में कोई असर नहीं हुआ ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : खास अधिक नहीं ।

खिजूरी (त. मनोहरथाना) के हरिजन परिवारों को बानेट खिजूरी के बीच बसाना

२५३. **श्री भैरवलाल कालाबादल** (अकलेरा) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) खिजूरी, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ में कितने हरिजन परिवारों को बानेट और खिजूरी के बीच में बसाया गया है और उन्हें कितने बीघा जमीन खेती के लिए दी गई है ?

(ख) उपरोक्त भूमि कब और किसके हुक्म से दी गई थी तथा जितनी भूमि दी गई थी उसमें से कितनी में फसल बोई गई तथा कितनी बिना फसल रह गई ?

(ग) क्या हरिजन परिवार इस भूमि पर झोंपड़ियां बनाकर रह रहे हैं ? यदि हां, तो कितने दिन से ?

(घ) क्या सरकार इन हरिजन परिवारों को आर्थिक सहायता देने का भी इरादा रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) सात हरिजन परिवारों को बसाकर ४० बीघा भूमि दी गई ।

(ख) भूमि अलोटमेन्ट रूल्स के अनुसार जुलाई सन् १९५६ में दी गई जिसमें से २० बीघा भूमि बोई गई ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) यदि वे मांग करेंगे तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : क्या यह सही है कि वन विभाग इनको बेदखल करना चाहता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी कोई सूचना मेरे पास तो नहीं है ।

श्री श्रीभानसिंह : इन सात परिवारों को जो चालीस बीघा जमीन दी गई वह किस बेसिस पर दी गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जमीन इतनी ही थी रूल्स के मुताबिक, इन लोगों को बांट दी गई ।

श्री रामेश्वरदयाल : एक परिवार को उसके जीवन-निर्वाह के लिये कितनी भूमि मिलनी चाहिये ?

Page No.13

श्री दामोदरलाल व्यास : रूल्स के मुताबिक जितनी भूमि मिल सकती थी दी गई है ।

श्री श्रीभानसिंह : Does the Hon-ble Minister know what is the Tenancy law ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Yes. I do know.

श्री भैरवलाल कालाबादल : क्या यह सही है कि जो जमीन रेवेन्यु विभाग ने दी है उसे वन विभाग वाले बेदखल कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : ऐसी बात मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : यदि आपको यह जानकारी दे दी जाय तो क्या आप उनको बेदखल नहीं होने देंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप सूचना दे रहे हैं, मैं जानकारी करूंगा । अगर वह जमीन वन विभाग की नहीं होगी और काश्त की जमीन होगी तो बेदखल कोई नहीं कर सकता ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : क्या यह जमीन वन विभाग की थी और रेवेन्यू विभाग ने इसे दे दिया है इसलिए बेदखल कर रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : रेवेन्यू की थी रेवेन्यू वालों ने दी होगी ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : अगर वन विभाग ने बेदखल कर दिया तो ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर और यदि का सवाल नहीं है ।

गत वर्ष तहसील सांचोर में दी गई तकावी

२५.४ **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

तहसील सांचोर में सन् ५६-५७ में कुल तकावी कितनी दी गई है तथा परिगणित जाति के लोगों को इस वर्ष में कितनी दी गई है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : ३४,००० रुपया । ५,५७५ रुपये ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सत्य है कि ५०० दरख्वास्तें परिगणित जातियों की, खारिज कर दी गईं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आप इसके लिए अलग से प्रश्न पूछिये । मैंने आपको जितना रुपया अलोट किया गया वह बता दिया । अब खारिज कितनी दरख्वास्तें हुईं, यह मेरे पास नहीं है ।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या तकावी वितरण के लिये कमेटी मुकर्रर है और उसके सदस्य कौन हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : आपके टौंक में तो आपही सदस्य हैं ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या तकावी देते समय हरिजनों का खास ख्याल रखा जाता है?

Page No.14

श्री दामोदरलाल व्यास : तकावी देने के छपे हुए फॉर्म्स हैं उनको आप मुलाहिजा करेंगे तो आपको पता चल जायगा।

श्री लक्ष्मीचन्द : इतना कम पैसा परिगणित जाति के लोगों को क्यों दिया गया?

श्री दामोदरलाल व्यास : जितना पैसा था उतना अलोट कर दिया गया।

मेवाड़ शुगर मिल्स, भूपालसागर में गत वर्ष पेला गया गन्ना

२५५. **श्री सोहनलाल भटनागर** (सलूम्बर) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मेवाड़ शुगर मिल्स लि०, भूपालसागर में एक अप्रेल सन् ५६ से ३१ मार्च, ५७ तक कितना गन्ना पेला गया ?

(ख) क्या सरकार को विदित है कि जिस क्षेत्र से उक्त शुगर मिल्स में गन्ना आता हैं वहां मिल की क्षमता से ज्यादा गन्ना उत्पन्न होता है जिससे कि किसानों को अपना गन्ना बेचने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ?

(ग) सरकार किसानों की उक्त कठिनाई दूर करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उप उद्योग मन्त्री (श्री ऋषभचन्द धारीवाल) : (क) २२,६३,७५० मन गन्ना १ अप्रैल, सन् ५६ से ३ मार्च, सन् ५७ तक भूपालसागर मिल में पेला गया।

(ख) हां। इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा अधिक मात्रा में गन्ना पैदा हुआ। मिल की कैपेसिटी ५०० टन रोजाना की है जो ३ शिफ्ट में चलती है। इसकी कैपेसिटी दुगुनी याने १,००० टन की कर देने को प्रोप्राइटर को सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से लाइसेन्स भी प्राप्त हो चुका है, वे आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था कर रहे हैं।

(ग) इसके अतिरिक्त विजनगर शुगर मिल पुन: चलवाने की कार्यवाही जारी है।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या सरकार के ध्यान में यह बात है कि गन्ने की ज्यादा पैदावार होने के कारण वह मिल दो पाली करने पर भी पूरा गन्ना नहीं पेल सकती ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : यह सही है कि गन्ने की काफी प्रोडक्शन बढ़ रही है। इस सिलसिले में सरकार ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न कर रही है। विजयनगर शुगर मिल जो है उसको चलाये जाने की व्यवस्था की जा रही है, कुछ सहायता देने का सवाल ज़ेर पेश है। इस विषय में सरकार प्रयत्नशील है।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या सरकार के पास दूसरी मिल खोलने की योजना है या नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री) : जी हां, लेकिन अभी तक कोई पूरी योजना नहीं आयी है, सरकार इस बारे में प्रयत्नशील है कि दूसरी मिल खोली जाय।

श्री सूबेदारसिंह : यह मिल किस आधार पर खोली जाती है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : कोऑपरेटिव बेसिस पर भी खोली जाती है और प्राइवेट एन्टरप्राइज से भी खोलते हैं।

श्री सोहनलाल भटनागर : क्या इस प्रकार की मिलें खोलते वक्त शुगर-केन प्रोडक्शन का भी ख्याल रखा जावेगा ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : जहां ज्यादा प्रोडक्शन होगा वहीं ज्यादा गन्ना पेला जा सकता है। इस प्रकार दोनों बातों का ध्यान रखा जावेगा।

रावराजा श्री सरदारसिंह : क्या बिजली की व्यवस्था को सुधारने में भी सरकार प्रयत्नशील है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : इस प्रश्न से इसका सम्बन्ध नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : दूसरी शुगर मिल खोलने के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र आये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस संबंध में दो प्रार्थना पत्र आये हैं कोऑपरेटिव बेसिस पर खोलने के; एक तो गंगानगर के गजसिंहपुर से और दूसरा भीलवाड़ा के मांडल गांव से।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसमें कुछ शर्तें थीं वे शर्तें उन्होंने पूरी नहीं कीं।

श्री मुरलीधर व्यास : वे शर्तें क्या थीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ८ लाख रुपयों के उनको कोआपरेटिव शेयर्स इकट्ठे करने चाहिये।

श्री धर्मपाल : क्या गजसिंहपुरा की शक्कर मिल शीघ्र ही चालू करने की स्कीम है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैंने अर्ज किया कि ८ लाख रुपयों के कोऑपरेटिव शेअर्स एकत्रित करने के बाद चालू होने का सवाल आता है।

श्री धर्मपाल : इस समय कितने रुपये एकत्रित हो चुके हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इस समय इस बारे में निश्चित सूचना हमारे पास नहीं है। पहले की सूचना के अनुसार दो-तीन लाख रुपये एकत्रित हो चुके थे।

श्री अध्यक्ष : श्री धर्मपाल।

अप्रेल ५५ में लोकल फण्ड अडिट द्वारा नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डों को सरचार्ज करने की रिपोर्ट

२५६. **श्री धर्मपाल पंवार** (नोहर) : क्या वित्त मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) एग्जामिनर, लोकल फण्ड ऑडिट ने दिनांक १-४-५५ से आज तक कितनी नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डों को सरचार्ज करने की रिपोर्ट की ? नाम व रकम का भी उल्लेख करें।

(ख) कितनों पर मुकद्दमें दायर किये गये व कितनी रकम वसूल की गई ?

उप-वित्त मन्त्री (श्री ऋषभचन्द धारीवाल) : (क) एग्जामिनर लोकल फंड ने ६७ नगरपालिकाओं व २ जिला बोर्डों को सरचार्ज करने की रिपोर्ट की। उनकी एक

(श्री ऋषभचन्द)

सूची मय रकम संलग्न है जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) ३ मामले न्यायालय में चल रहे हैं जिनकी सूची संलग्न है।

(ग) नहीं, क्योंकि अभी तक एक भी मामला न्यायालय से तय नहीं हो पाया है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री धर्मपाल पंवार : क्या माननीय मंत्रीजी सूची देने की कृपा करेंगे मुझे ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : जी हां, सदन की मेज पर कॉपी है और मैं भी, आप चाहेंगे तो दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सोहनलाल भटनागर।

श्री भैरोंसिंह : बार बार प्रश्न आता है अध्यक्ष महोदय, कि सूचियां नहीं मिलतीं। इन सूचियों के मिलने न मिलने का प्रश्न बार बार आता है और सदस्यों की शिकायत आम तौर पर यह रहती है कि सूचियां उनको मिलती नहीं। अर्से से यह शिकायत है। आप मन्त्रियों को आदेश दें कि वे यह मालूम करें पहले कि इसकी सूची सम्बन्धित सदस्य को मिली या नहीं ? सूची मिल गई तो ठीक, नहीं तो पहले उन्हें सूची दी जाय। अगर यह हो तो ज्यादा अच्छा होगा। यह हमेशा बार बार कम्पलेन्ट होती है, तो यह सदन की शोभा के लिये भी अच्छा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वे आदेश पालने की कोशिश तो करते हैं।

श्री सरदारसिंह : आपके आदेशों की परवाह ही नहीं करते, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, २५७। श्री सोहनलाल भटनागर।

उदयपुर जिले में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के प्रार्थना–पत्र

२५७. श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा १६ के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के उदयपुर जिले में कुल कितने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुए हैं ?

(ख) इनमें से कितने प्रार्थना-पत्रों का निर्णय हो गया है ?

(ग) क्या उदयपुर जिले में काश्तकारी अधिनियम की धारा २१ के अन्तर्गत वार्षिक लगान या भूमि की कीमतें निर्धारित कर दी गई हैं ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास):
(क) ७७
(ख) ४.
(ग) जी हां।

श्री सोहनलाल भटनागर : यह किसकी विज्ञप्ति है।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह उदयपुर के कलेक्टर की विज्ञप्ति है ६ मई, ५७ की।

अध्यापकों का फिक्सेशन पूर्ण नहीं होने के कारण

२५८. श्री प्रभुदयाल पुरोहित (लाल-

(श्री प्रभुलाल पुरोहित)

सोट) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

मार्च, १९५६ में ग्रेड वृद्धि की घोषणा करने के बाद भी अभी तक अध्यापकों का फिक्सेशन पूर्ण क्यों नहीं हुआ और अब कब तक पूर्ण होगा ?

उपशिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द) : (क) बहुत कुछ कार्य पूर्ण हो चुका है, बाकी की कार्यवाही चालू है। जल्दी ही समाप्त किया जावेगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार की ओर से तारीख निश्चित की गई है कि उस तारीख से पहले पहले काम सम्पूर्ण हो जावेगा ?

श्री पूनमचन्द : अगस्त महीने तक पूर्ण हो जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरिश्चन्द्र, २५६

पूर्व झालावाड़ राज्य के काश्तकारी फण्ड का सरकार में हस्तान्तरण

२५६. **श्रीहरिश्चन्द्र** (डग) : Will the Revenue Minister be pleased to state:-

(1) What amount deposited "as Kastkari Fund" with the former Jhalawar State has been transferred to the Government of Rajasthan on merger?

(2) Has the Government utilized this money for the betterment of the cultivators who contributed it? If so, how; if not, why not?

(3) How does the Government intend to utilise the amount in future?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (1) Kashtkari Fund constituted by the erstwhile Jhalawar state amounts to Rs. 2,85,862/- only.

(2) No. How the fund may be best utilised is under consideration of the Government.

(3) The Government is proposing to deposit the amount as "Fixed deposit" in the New Central Co-operative Bank at Jhalawar to be operated by the Collector, Jhalawar for the betterment of the agricultural population of the erstwhile Jhalawar State.

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह सही है कि अभी तक कोई विचार सरकार ने नहीं किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उसने विचार करके करीब करीब तय कर लिया है। बातचीत कोऑपरेटिव बैंक से चल रही है कि इसे फिक्स्ड डिपोज़िट में रख दिया जावे।

श्री श्रीभानसिंह : Has the Government assessed the priority needs of the people of Jhalawar ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Pardon.

श्री श्रीभानसिंह : Has the Government assessed the priority needs of the people of Jhalawar ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Sir, I have said clearly that this whole amount of Rs. 2,85,862/- will be

Page No.18

(श्री दामोदरलाल व्यास)

invested only for the purpose of the people of Jhalawar. Therefore, the question of the assessment of their needs does not arise. Besides, they will got other loans of Taccavi etc

श्री श्रीमानसिंह : Whether the people of Jhalawar wanted that amount to be invested in Irrigation or implements or seeds or bullocks; why in cooperative only ?

श्री दामोदरलाल व्यास : We have consulted Jhalawar people through Panchayats and M. L. As. of that place.

श्री श्रीमानसिंह : On which date the People of Jhalawar and M. L. As,. were consulted ? Which year ?

श्री दामोदरलाल व्यास : We have informally consulted them. There is no need of referendum on that.

श्री श्रीमानसिंह : When was the meeting informally convened and where; at Jhalawer, Kotah or Bundi ?

श्री दामोदरलाल व्यास : It was an informal consultation. There need not be any meeting.

श्री श्रीमानसिंह : Did the Hon'ble Minister consult them in the air ?

श्री अध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

गत तीन वर्षों में लिये गये चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में हरिजन

२६०. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले तीन वर्षों में पाली जिले में चतुर्थ श्रेणी के कितने कर्मचारी लिये गये ?

(ख) उपरोक्त श्रेणी में कितने दलितवर्ग के लोग नौकरी पर लिये गये तथा उनसे क्या कार्य लिया जाता है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास)

(क) ३५ ।

(ख) २ ।

(ग) दोनों सवार हैं जो तामील का काम करते हैं ।

कृषकों को रॉयल्टी से मुक्ति

श्री रामकरणसिंह (कोटपुतली) : क्या उद्योग मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या कृषकों को किसी प्रकार की रॉयल्टी से मुक्त किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो कब से और क्या इस बारे में सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचना दी गई है ?

उप-उद्योग मन्त्री (श्री ऋषभचन्द धारीवाल) : (क) हां, चुनाई के पत्थर और जाजरा पत्थर जो कृषक अपने घर, खेत, बाड़, कूओं के लिये काम में लेवें उन पर रायल्टी माफ की गई है ।

Page No.19

(श्री ऋषभचन्द)

*(ख) दिनांक २५-१०-५१ से चुनाई के पत्थर पर व जाजरा पत्थर पर दिनांक २०-३-५७ से।

(ग) हां, राजस्थान राज-पत्रिका में तथा दैनिक पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी।

श्री बहादुरसिंह : क्या यह और जगह भी होगी ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : यह तो आप दूसरा सवाल पूछें तो जवाब दिया जा सकता है। राजस्थान में किस किस जगह कहां कहां पर कन कब से है, यह बताना अभी मुश्किल है।

एक माननीय सदस्य : काश्तकार तो सभी जगह हैं, वहां रायल्टी माफ है या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो सारे राजस्थान के लिये है।

श्री बहादुरसिंह : रॉयल्टी वसूल करने का क्या तरीका है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : पत्थर वगैरह होते हैं उन पर रायल्टी का ठेका दिया जाता है। ठेकेदार रॉयल्टी वसूल करता है पर कृषकों से नहीं की जाती।

श्री भैरवलाल कालाबादल : काश्तकार की परिभाषा क्या है ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

नावां तहसील में बीघोड़ी की दरों का पुनरावलोकन व संशोधन करने का आश्वासन

२६२. **श्री किशनलाल शाह** (नावां) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने नावां तहसील में बीघोड़ी की दरों के पुनरावलोकन व संशोधन का विधान सभा भवन में सन् १९५५ में आश्वासन दिया था उसको अब तक पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ? सरकार अब उस कार्य को कब तक सम्पन्न कराने का इरादा रखती है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): यह मामला सरकार के विचाराधीन है और अभी जांच मुकम्मिल नहीं हो पाई है।

श्री लक्ष्मीचन्द : यह कब तक तय हो हो जावेगा ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सरकार के विचाराधीन है, जांच हो रही है। यह जांच मुकम्मिल होते ही कार्यवाही की जावेगी।

श्री किशनलाल शाह : जांच तो आप अगर अपने कानून का मुलाहिजा करेंगे तो सैटलमेन्ट अधिकारी द्वारा की जावेगी; तो क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि किस सैटलमेन्ट अधिकारी को इसके लिये मुकर्रर किया गया है ? इस सम्बन्धी क्या आदेश आपने दिये हैं, क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह तो नहीं कह सकता। सैटलमेन्ट कमिश्नर को जांच के आदेश दिये गये हैं।

श्री किशनलाल शाह : जांच अभी तक नहीं होने में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : जांच के सिलसिले में कई बातें करनी पड़ती हैं, तो वे हो रही हैं।

श्री किशनलाल शाह : इसीलिये पूछ रहा हूँ कि सरकार के आदेश की क्रम संख्या और दिनांक क्या हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : क्रम संख्या और दिनांक तो इस वक्त उपलब्ध नहीं हैं. पर सरकारी आदेश दे दिये गये हैं; यह मैं कह सकता हूं।

श्री किशनलाल शाह : कैसे विश्वास करें कि आदेश दे दिया गया है जब कि इतना अर्सा गुजर गया। अब तक भी जांच नहीं करने से जो विलम्ब हुआ उस बारे में क्या सरकारउन अधिकारियों के विरुद्ध कोई एक्शन लेने का इरादा रखती है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : एक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, जांच हो रही है और ऐसे कामों में थोडा विलम्ब होता ही है। ऐसा कोई एब्नोर्मल विलम्ब नहीं हुआ है।

शहरों तथा ग्रामों में गत वर्ष के बजट में शिक्षा हेतु व्यय किया हुआ रुपया

२६३. **श्री रावतराम** (बालोतरा) : क्या शिक्षा मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) गत वर्ष के बजट में शिक्षा के लिये रखा गया कितना रुपया शहरों में खर्च हुआ और कितना ग्रामों में ?

(ख) प्रान्त के शहरों की और गांवों की आबादी क्या है ?

(ग) पिछली साल जो मिडिल स्कूल खोले गये हैं उनका क्या आधार रक्खा गया है ? किस किस जिले में कितने मिडिल स्कूल खोले गये हैं तथा उनमें से लड़कों के कितने हैं और लड़कियों के कितने हैं ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द) : (क) शहरों और गांवों का अलग अलग बजट नहीं होता इसलिये यह बताना कठिन है।

(ख) ५०,००० या उससे ऊपर वाली आबादी की जगहों की गिनती शहरों में आती है इसलिये उनकी जन संख्या मिलाकर १०,४६,२४३ है तथा गांवों की आबादी मिलाकर १,४६,२१,५१४ है।

(ग) निम्नलिखित आधार पर खोली गई थीं :

(१) प्राइमरी स्कूल में छात्रों की संख्या १०० हो और पांचवी कक्षा में १५ छात्र हों

(२) पांच मील के अन्दर कोई मिडिल स्कूल या हाई स्कूल न हो।

(३) खोली जाने वाली कक्षा ६ के लिये २० छात्र उपलब्ध हों।

(४) १० मील के भीतर भीतर ५ फीडर स्कूल्स हों।

(५) जनता की ओर से भवन की सुविधा हो।

(६) तहसील हैडक्वार्टर्स में यदि कोई मिडिल स्कूल न हो तो उसको प्राथमिकता दी जावे।

गत वर्ष खोले गये मिडिल स्कूल की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री रावतराम : सूची मुझे नहीं मिली है।

श्री जनार्दनराय नागर : क्या ये शर्तें शहरों के लिए भी लागू की गई हैं या केवल गांवों के लिये ही ?

Page No.21

श्री पूनमचन्द : कुछ शर्तें ऐसी हैं जो शहरों में लागू नहीं हो सकती हैं; जैसे पांच मील का दायरा है।

श्री जनार्दनराय नागर : पांच मील का दायरा ही नहीं, जमीन लेने की जो शर्त और किराये पर मकान लेने की जो शर्त है वह शहरों में भी लागू है या नहीं?

श्री पूनमचन्द : शहरों में भी लागू है।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी है कि यह शहरों में लागू नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उसके लिए प्रयत्न किया जाता है कि जहां तक सम्भव हो यह किया जाय लेकिन कई दफा किराया भी देकर मकान की व्यवस्था की जाती है। वह गांवों के लिए है।

श्री जनार्दनराय नागर : मुख्य मन्त्री महोदय ने बताया कि गांवों के लिए अनिवार्य है जब कि यह शहरों के लिए यह अनिवार्य नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : यह न माना जाना भी आवश्यक है, न उस पर अमल किया जाता है। जहां तक हो सकता है करते हैं। खर्चा सरकार द्वारा किया जाता है।

श्री श्रीभानसिंह : ऐसे कितने स्कूल्स खोले गये हैं जिन पर ये शर्तें लागू की गई हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : ज्यादातर शहरों में खोले हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : ये शर्तें हैं तो क्या सब इसको मानते हैं?

श्री अध्यक्ष : श्री डूंगरसीदास।

अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्र-वृत्ति

२६४. **श्री डूंगरसीदास** (जमवा-रामगढ़) : क्या समाज कल्याण मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या शिड्यूल ट्राईब्स के उन समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है जिन्होंने प्रार्थना-पत्र दिये थे? यदि नहीं, तो किन किन को और क्यों? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

समाज कल्याण मन्त्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : शिड्युल्ड ट्राइब्स के समस्त छात्रों को जिन्होंने नियमानुसार प्रार्थना-पत्र दिये हैं छात्रवृत्ति दी गई है। सूची संचालक एवं सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में देखी जा सकती है। उसकी संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए सदन पटल पर रखना उचित नहीं होगा।

श्री डूंगरसीदास : छात्रवृत्ति देने के लिए सरकार की ओर से कोई बोर्ड या समिति बनाई गई है या नहीं?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : छात्रवृत्ति के लिए कोई कमेटी की आवश्यकता नहीं है।

श्री डूंगरसीदास : अब तक क्या नियम हैं? क्या कोई बोर्ड है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सरकार के पास नियमानुसार छात्र-वृत्ति के लिए प्रार्थना-पत्र आते हैं और नियमानुसार छात्रवृत्ति दे दी जाती है।

Page No.22

श्री डूंगरसीदास : क्या उनके प्रार्थना-पत्र मनमाने तरीके से रिजेक्ट कर दिये जाते हैं और उसी कारण से बहुत सारे लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मुझे तो ऐसी सूचना नहीं है।

प्रश्न संख्या २६५ ?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

श्री भंवरलाल।

लाखेरी, शंकरपुरा कारखाना एवं लाखेरी स्टेशन पर सरकारी भूमि पर मकान बनाना

२६६. **श्री भंवरलाल** (हिंडोली) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) लाखेरी, शंकरपुरा कारखाना और लाखेरी स्टेशन पर कितने मकान बिना इजाजत सरकारी जमीन पर जबर्दस्ती कब्जा करके बनाये गये हैं ?

(ख) यह गैर कानूनी कार्य होते हुए कितने वर्ष हो गये और सरकार ने कई शिकायतों के बावजूद भी इन्हें रोकने की कार्यवाही क्यों नहीं की और भविष्य में उक्त गैरकानूनी कार्य के खिलाफ क्या सख्त कार्यवाही की जावेगी ?

राजस्व मन्त्री : (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) १५३।

(ख) काफी अर्से के पहले मकान बनाये गये थे। इन लोगों के खिलाफ ट्रेसपासर्स की कार्यवाही की गई और जुर्माना करके बेदखली की कार्यवाही व कब्जा लेने की कार्यवाही भी की जा रही है।

श्री भंवरलाल : क्या माननीय मन्त्रीजी की जानकारी में है कि नियमानुसार दरख्वास्तें दी गई हैं, तो उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और जबर्दस्ती उन लोगों ने जमीनों पर कब्जा कर लिया है उस पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : कार्यवाही की गई है। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जिसने खिलाफ कानून कब्जा किया हो और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई हो। दरख्वास्तों पर गौर नहीं किया तो इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में कोई नोटिस दिया जाय तो मैं जानकारी कर बता सकता हूँ।

श्री भंवरलाल : मन्त्री महोदय की जानकारी में होगा कि गरीब लोगों की वहां जो झोंपडियां बनी हुई थीं उन पर तो चिट लगा दिये गये और जिनके पक्के मकान बने हुए थे उन पर कुछ नहीं किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यदि माननीय सदस्य सूचना दें कि किसी आदमी को तकलीफ हुई और उसके प्रार्थना-पत्र पर गौर नहीं किया गया तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है।

श्री भंवरलाल : उसमें दो चीजें बरती गई। गरीब आदमियों की झोंपडियों पर तो चिट लगा दिये गये और जो सख्त थे और जिनके पक्के मकान बने हुए थे उन पर कुछ नहीं किया गया ?

प्रश्न संख्या २६७

श्री मोहब्बत सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री अध्यक्ष : श्री हरिशंकर सिद्धान्त-शास्त्री ।

प्रश्न संख्या २६८

देवस्थान विभाग द्वारा सन् १६५१ से दिया गया ऋण

श्री हरिशंकर सिद्धान्तशास्त्री : क्या देवस्थान मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

सन् १६५१ से अब तक कितना रुपया किन २ को कर्ज स्वरूप देवस्थान विभाग द्वारा दिया गया तथा उसका क्या उपयोग हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : (देवस्थान मन्त्री) : गत पांच वर्षों में अर्थात् १ अप्रैल, सन् १६५१ के पश्चात् मंदिर श्री बालानंदजी के फन्ड में से दूसरे मंदिर श्री लाडलीजी को भोग-राग के खर्चे के लिए ५,००० रु० तारीख १२-६-५२ को दिलाया गया ।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी ।

सन् १६४८ में उदयपुर जिले के टिकाने के नम्बरदारों को राजस्व विभाग के अधीन करना

२६६. श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री निम्न लिखित प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १६४८ में भूतपूर्व छोटे राजस्थान के समय उदयपुर जिले के टिकानों के नम्बरदार राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग के आधीन कर दिये गये थे ?

(ख) यदि हां, तो सन् १६४८ के बाद उन्हें किस किस वर्ष में वेतन दिया गया ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों और सरकार अब इन्हें कब तक चुका देगी ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम ।

झुंझुनू में बहुद्देशीय स्कूल भवन का परकोटा इत्यादि

२७०. श्री लच्छूराम (मंडावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) झुंझुनू में बहुउद्देशीय स्कूल के भवन का परकोटा क्यों नहीं है ?

(२) उपरोक्त स्कूल के वाणिज्य तथा विज्ञान की कक्षाओं आदि के लिये जो निर्माण कार्य चालू हुआ था उसे चालू हुए कितना समय हो चुका है तथा वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

(३) क्या सरकार को ज्ञात है कि इस देरी से विद्यार्थियों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ रहा है ?

(४) उपरोक्त स्कूल के लिये छात्रावास का निर्माण कब होगा ?

उप शिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द) : (क) इस स्कूल का निर्माण भूतपूर्व जयपुर सरकार द्वारा कराया गया था । यह अब नहीं बताया जा सकता है कि उस समय

(श्री पूनमचन्द)

इस भवन का परकोटा बनवाना आवश्यक क्यों नहीं समझा गया।

(ख) इस स्कूल के वाणिज्य तथा विज्ञान की कक्षाओं आदि के लिये निर्माण कार्य ५४-५५ के सत्र के मध्य में शुरू हुआ था।

(ग) निर्माण कार्य को पी० डब्ल्यु० डी० विभाग द्वारा पूरा कराने के लिए वह विभाग काफी प्रयत्नशील है। पी० डब्ल्यु० डी० विभाग द्वारा ठेकेदारों को शीघ्र कार्य पूरा करने के लिये चेतावनी भी दे दी है। आशा है, अब कार्य शीघ्र सम्पूर्ण कर दिया जावेगा।

(घ) छात्रों को आगे हानि अवश्य उठानी पड़ रही है, उसको पूरा कराने के लिए विभाग काफी प्रयत्नशील है ताकि अनावश्यक विलम्ब से विद्यार्थियों के अध्ययन में बाधा न हो।

(न) इस स्कूल के लिए छात्रावास बनाने का अभी कोई प्रश्न सरकार के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि इस स्कूल से भी कई उपयुक्त स्कूलें हैं जहां छात्रावासों का बनवाया जाना आवश्यक समझा जा रहा है।

श्री लच्छूराम : क्या सरकार यह जानती है कि परकोटा न होने से कितना नुकसान हो रहा है ?

श्री पूनमचन्द : नुकसान के लिए हमने कह दिया कि छात्रों का बड़ा नुकसान हो रहा है।

श्री लच्छूराम : क्या यह सही है कि स्कूल कम्पाउन्ड के अन्दर लोग भट्टियां और ईंटें पकाते हैं ?

श्री पूनमचन्द : इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री पुरुषोतमलाल।

महाराजा किशनगढ़ मिल्स के कपड़ा बुनाई खाते को पुनः चलवाना

२७१ **श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा** (किशनगढ़): क्या मुख्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या महाराजा किशनगढ़ मिल्स लि० के कपड़ा बुनाई खाते को, जो तारीख ९-६-५५ से बन्द है, पुनः चलवाने के लिये सरकार द्वारा कोई प्रयत्न किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और अगर हां, तो उसके कब तक चालू हो जाने की पूर्ण संभावना है ?

(ख) उपरोक्त कपड़ा बुनाई खाते के बन्द होने से भारत सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली एक्साइज़ ड्युटी का कितने लाख रुपयों का प्रतिवर्ष नुकसान होता है तथा इससे तीनों शिफ्टों में काम करने वाले कितने मजदूर बेकार हुए ?

उप-उद्योग मन्त्री (श्री ऋषभचन्द धारीवाल) :

(क) प्रयत्न जारी हैं। सरकार ने मिल अधिकारियों को ७५,००० रुपयों का ऋण दिया जिससे वे मिल को चालू कर सकें। सरकार का निरन्तर प्रयत्न है कि कपड़ा बुनाई खाता जल्दी चालू हो जाय और आशा है कि जल्दी ही चालू हो जायगा। राजस्थान फाइनेन्स कॉर्पोरेशन से भी ऋण दिलवाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(श्री ऋषभचन्द)

(ख) एक्साइज़ ड्युटी भारत सरकार का विषय है। इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।

कपड़ा बुनाई खाते के बन्द होने से तीनों शिफ्टों में करीब ५०० आदमी बेकार हुए।

श्री पुरुषोत्तमलाल : यह कपड़ा खाता कब तक चालू हो जायगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: यह निश्चित जवाब देना मुश्किल है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : इसको बन्द हुए आज एक साल से ज्यादा अर्सा हो गया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मजबूरी है हमारी भी कुछ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार से जब कर्जा दिया गया था तो यह शर्त उसके साथ थी कि कपड़ा खाता जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया जावेगा?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : जी हाँ। इसीलिए ७५,००० रुपया दिया गया था कि यह चालू हो जाय, प्रयत्न जारी हैं और आशा है कि जल्दी ही चालू हो जायगा।

श्री भैरोंसिंह : जब इस प्रकार की शर्त थी उस समय और जब शर्त की खिलाफवर्जी की गई है तो वैसी सूरत में क्या कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में की गई?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह था कि दो लाख का उनको पेमेन्ट करना था। मजदूरों को पेमेन्ट करने के लिए यह किया गया था। यह आशा थी कि यह चालू हो जायगा। फिर मेनेजमेंट बदल गया और अब दूसरा मेनेजमेंट है और यह प्रयत्न किये जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी यह चालू हो जाय।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार की तरफ से जिस समय ७५,००० रू. का इन्स्टालमेन्ट दिया गया उस समय कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई कि बाकी रकम मिलने पर मिल चालू हो जायगी?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : सिक्योरिटी का कोई सवाल नहीं था क्योंकि मिल के पास काफी प्रोपर्टी थी।

श्री पुरुषोत्तमलाल : क्या मिल पर ७५,००० रू. के अलावा और भी कर्जा बाकी है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह अलग प्रश्न है, इसके लिये जानकारी जरूरी है।

श्री पुरुषोत्तमलाल : जो मजदूर बेकार हुए उनको दूसरे उद्योग में लगाया गया क्या?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : उनको उद्योग में लगाने के लिये ही तो प्रयत्न किया जा रहा है कि मिल चालू हो जावे।

श्री पुरुषोत्तमलाल ; सन् ५५ से अब तक कोई विचार क्यों नहीं हुआ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अभी ५०० आदमी काम पर लग चुके हैं और जो नहीं लगे हैं उन्हें काम पर लगाने का प्रयत्न जारी है।

टिनेन्सी एक्ट के अंतर्गत राजस्थान में बजाय आरजी काश्त के खातेदारी दर्ज कराना

२७२. **श्री रावतराम** (बालोतरा) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) टिनेन्सी एक्ट की धारा १५ के मुताबिक अब तक किस किस जिले की किस किस तहसील में बजाये आरजी काश्त के खातेदारी के दाखिल खारिज दर्ज कराये गये हैं ?

(ख) ये खातेदारियां कब तक दर्ज कर दी जावेंगी ?

(ग) क्या शिकमी काश्तकारों को खातेदारी लेने की जो एक साल की मियाद १६ अक्टूबर, सन् ५५ से १५ अक्टूबर, सन् ५६ तक की थी वह खतम होने पर एक साल की मियाद और बढ़ाई गई है ?

राजस्व मन्त्री (श्री दामोदरलाल व्यास): अभी पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है, किन्तु जहां जहां से सूचना आई है वहां वहां दाखिल खारिज दर्ज किये जाने की कार्यवाही जारी है।

(ख) कुछ तो दर्ज हो गई है और शेष शीघ्र ही दर्ज हो जावेगी।

(ग) जी हां।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २३५, श्री भैरोंसिंह।

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया): माननीय अध्यक्ष, क्वेश्चन अवर १२ बजे पूरा हो जाता है। जो माननीय सदस्य पहले उपस्थित नहीं होते उनको दुबारा मौका नहीं मिलना चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : मुझे अध्यक्ष महोदय ने कॉल किया है इसलिये मुझे प्रश्न पूछने का हक है।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही ११ बजकर १३ मिनिट पर शुरू हुई थी इसलिये १३ मिनट और दिये जाते हैं।

मांडल अशोक शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्री के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स

२३५. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या उद्योग मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) मांडल अशोक शुगर कोऑपरेटिव फैक्ट्री के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में कौन कौन व्यक्ति हैं और इनकी नियुक्ति किस किस कारण से हुई है ?

(ख) क्या यह सही है कि बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में कई ऐसे सदस्य भी हैं जो नियुक्ति के समय इस फैक्ट्री के शेयर होल्डर्स नहीं थे ?

(ग) बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स में किस किस व्यक्ति के पास कितनी कितनी उस क्षेत्र में काश्त के लिये भूमि है और कब से ?

(घ) क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री के कार्यों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की ओर से भी जांच हुई थी ? यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

(ङ) इस फैक्ट्री के मेनेजिंग डाइरेक्टर कौन हैं तथा उनका निवास-स्थान कहां पर है ?

उप उद्योग मन्त्री (श्री ऋषभनन्द धारीवाल) : (क) बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स

(श्री ऋषभचन्द)

में निम्न व्यक्ति हैं और इनकी नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है :

१. राजाधिराज श्री अमरसिंहजी, बनेड़ा
२. श्री मोहनलालजी ओझा
३. श्री चुन्नीलालजी बिड़ला
४. श्री वीरेन्द्रकुमारसिंह भंडारी
५. श्री के. पी. गुप्ता
६. श्री मांगीलाल कजोड़ीमल

सरकार द्वारा नामजद सदस्य :

१. श्री लक्ष्मीलाल जोशी
२. श्री विद्यासागर सूद, मेनेजर, श्री गंगानगर शुगर मिल्स।
३. डिप्टी रजिस्ट्रार (एक्सटेंशन), कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, राजस्थान, जयपुर
४. असिस्टेन्ट रजिस्टार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उदयपुर

मेनेजिंग डाइरेक्टर :

१. श्री मोहनलाल सागरमल लूंकड़।

(ख) नहीं। नियुक्ति के समय समस्त डाइरेक्टर्स फैक्ट्री के शेयर होल्डर्स थे।

(ग) प्रत्येक सदस्य के पास काश्त के लिये भूमि निम्न प्रकार है :

१. श्री मोहनलाल लूंकड	१५ बीघा।
२. श्री वीरेन्द्रसिंह	१५ बीघा।
३. श्री के. पी. गुप्ता	१५ बीघा।
४. श्री चुन्नीलाल बिड़ला	२० बीघा पहिले से ही है।
५. श्री मोहनलाल ओझा	१५ बीघा पहिले से ही है।
६. श्री राजाधिराज अमरसिंह बनेड़ा	२०० बीघा से ऊपर पहिले से ही है।
७. श्री मांगीलाल कजोड़ीमल	१० बीघा पहिले से ही है।

(घ) नहीं।

(ङ) श्री मोहनलालजी लूंकड इस फैक्ट्री के मेनेजिंग डाइरेक्टर नियुक्त हुए थे। ये इन्दौर के निवासी हैं।

श्री भैरोंसिंह : बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के जिन जिन सदस्यों के पास यह भूमि है क्या यह सही है कि उनके पास खातेदारी पर्चा नहीं है ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : अलोटमेन्ट होने के बाद पर्चे वगैरह की बात चालू हुई है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि फैक्ट्री चालू होने के बाद भूमि अलोट की गई थी ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : जी नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): फैक्ट्री चालू नहीं हुई है अभी तक।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स का अपोइंटमेन्ट होनेसे पहले उनके पास भूमि नहीं थी ?

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : अपोइन्टमेन्ट से पहले उनके पास भूमि थी।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन आदमियों के पास जमीन बताई गई है उनके पास खातेदारी पर्चे नहीं हैं ?

Page No.28

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यदि उन्होंने गलती की होगी तो रजिस्टार, कोऑपरेटिव विभाग उनके खिलाफ एक्शन लेंगे; इस समय देखने के जरुरत नहीं।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय लक्ष्मीलालजी जोशी को नियुक्ति किया गया उस समय क्या वे राज्य सेवा में नहीं थे?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सरकार की तरह से मनोनीत करने का प्रश्न था, उस समय जो गवर्नमेन्ट डाइरेक्टर्स थे वे गवर्नमेंट सर्विस में हो सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : वे उस समय गवर्नमेन्ट सेवा में थे या नहीं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : थे।

श्रीमती कमला श्रोत्रिय : यह फैक्ट्री कब चालू होगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि आवश्यक धन-राशि नहीं होने से शुरू नहीं हो सकी।

श्रीमती कमला श्रोत्रिय : कब तक धन राशि होगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : यह तो डाइरेक्टर्स पर निर्भर है।

स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक सहयोग

२३६. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा) : क्या मन्त्री, समाज कल्याण विभाग निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किन किन स्वयं सेवी सामाजिक संस्थाओं को सन् ५६-५७ में समाज कल्याण विभाग की ओर से आर्थिक सहयोग दिया गया?

(ख) क्या सरकार ने इन संस्थाओं के लिये सहायता हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित कर रखा है। यदि हां, तो क्या?

मन्त्री, समाज कल्याण विभाग (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) जो संस्थायें पिछड़ी जातियों के हित के लिये अर्थात अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और विमुक्त जातियों के हित के लिये कार्य करती है। उन्हें सहायता दी जाती है। छात्रावास को चलाने के लिये नियम बने हुए हैं जिनके अन्तर्गत सहायता दी जाती है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्रीमती सतवन्तकौर : क्या गंगानगर जिलों में भी ऐसी सहायता दी गई है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सूची में गंगानगर का नाम नहीं है बहिनजी।

श्रीमती सतवन्तकौर : सूची में गंगानगर जिले का नाम नहीं होने का क्या कारण है?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : कारण यही है कि वहां सहायता नहीं मिली।

एक माननीय सदस्य : समाज सेवी संस्थाओं के नाम बता सकते हैं?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : सूची पढ़ देता हूँ।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न पूछिये।

श्री जगदीशप्रसाद : समाज सेवी संस्थाओं को जो रकम दी गई है उसका अकाउन्ट कभी उनसे लिया गया है ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अलग प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर दूंगा। सामान्य तौर पर ऐसा होना चाहिये।

बीकानेर स्थित शिक्षा विभाग के प्रधान कार्यालय को हटाने सम्बंधी

२४०. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या मुख्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार की शिक्षा विभाग के बीकानेर स्थित प्रधान कार्यालय को वहां से हटाने की कोई योजना है ?

(ख) यदि हां, तो कहां व क्यों ?

उपशिक्षा मन्त्री (श्री पूनमचन्द बिश्नोई) : (क) अभी कोई ऐसी योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : इस सम्बन्ध में क्या कोई एस्टिमेट मांगा गया था बीकानेर से कार्यालय हटाने के लिये ?

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : आपके प्रश्न और मेरे उत्तर के बाद यह प्रश्न बनता नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : प्रश्न इसलिये हुआ कि वहां से एस्टिमेट मांगा गया था कि इस कार्यालय को हटाने में कितना खर्चा होगा।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : डिपार्टमेन्टल जानकारी कई बातों के बारे में पूछी जा सकती है।

अशोक लेबोरेटरीज़ अजमेर को टिन्कचर बनाने के लिये अलकोहल देना

२४१. **श्री भैरोंसिंह** (श्री माधोपुर) : क्या आबकारी मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि अशोक लेबोरेट्रीज़, अजमेर को कुछ टिन्कचर बनाने के लिये एलकोहोल इस्तेमाल करने का लाइसेन्स मिला हुआ है ?

(ख) यदि हां, तो यह लाइसेन्स किस तारीख को कितने समय के लिए मिला है ?

(ग) क्या यह सही है कि भूतपूर्व अजमेर राज्य के डिप्टी कमिश्नर ने लाइसेन्स न दिये जाने के बारे में सरकार को लिखा था ? यदि हां, तो फिर किन कारणों से यह लाइसेन्स मन्जूर किया गया।

आबकारी मंत्री (श्री हरिभाऊ उपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। चूंकि लाइसेन्स नहीं दिया गया इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : आपने (ग) के उत्तर में कहा है, "जी हां"। प्रश्न यह था क्या यह सही है कि भूतपूर्व अजमेर राज्य के डिप्टी कमिश्नर ने लाइसेन्स न दिये जाने के बारे में सरकार को लिखा था ? यदि हां, तो फिर किन कारणों से यह लाइसेन्स मंजूर किया गया। तो क्या यह माना जाय कि दर्ख्वास्त आई थी उस पर डिप्टी कमिश्नर ने सिफारिश नहीं की ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : लाइसेन्स जब दिया ही नहीं गया तो फिर प्रश्न नहीं उठता।

श्री भैरोंसिंह : फिर उन्होंने इन्कार किया क्या ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : जब लाइसेन्स दिया ही नहीं गया तो सिफारिश का क्या प्रश्न उठता है ?

श्री भैरोंसिंह : डिप्टी कमिश्नर ने लाइसेन्स न देने के लिये सिफारिश की तो उसका आवेदन-पत्र आया था या नहीं ?

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आवेदन पत्र लाइसेन्स दिये जाने के लिये आया था, लेकिन लाइसेन्स नहीं दिया गया।

श्री अध्यक्ष : मोहब्बतसिंह।

(अनुपस्थित)

१२.१० म० प०

मांग संख्या १४–शिक्षा
(पूर्व क्रम से)

मांग संख्या १४ पर जो कटौती प्रस्ताव आये थे, उनके बारे में श्री भैरोंसिंहजी का भाषण होगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आपने मूव कर दिये हैं सब।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : जी हां।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में कल शिक्षा सम्बन्धी पांच कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे; उनमें सबसे पहला कटौती प्रस्ताव पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण से सम्बन्धित सरकार की नीति के विषय में है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बजट पर सामान्य वाद-विवाद के समय भी राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी नीति की आलोचना की गई थी लेकिन उस समय सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई संतोषजनक उत्तर इस सदन को प्राप्त नहीं हुआ और उस कारण से यह आवश्यकता महसूस की गई कि सरकार का ध्यान सरकार की इस सम्बन्धी नीति की ओर आकर्षित करने के लिए इस प्रकार के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायं।

अध्यक्ष महोदय, ८ जून, १९५४ को राजस्थान सरकार की ओरसे एक स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड की नियुक्ति हुई थी, जिस स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड में सरकार के शिक्षा विभाग के तीन अधिकारियों को शामिल किया गया था। इसके पहले २१ मई, १९५४ को एक समिति की बैठक हुई थी जिस बैठक में इस सम्बन्ध में विचार किया गया कि नेशनलाइजेशन बोर्ड की स्थापना की जाय और उसके साथ साथ यह व्यवस्था की जाय कि किस प्रकार की नेशनलाइज्ड बुक्स की छपाई हो और किस प्रकार से उनको बेचा जायगा। इस सम्बन्ध में कुछ सलाह-मशविरा किया गया, लेकिन सरकार की ओर से जनवरी, १९५७ तक सिवाय इस बात के कि पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करना है, इस सम्बन्ध में कोई स्पष्ट रूप से आज्ञा प्रसारित नहीं की गई कि कमेटी के क्या फन्क्शन्स हैं और कमेटी जो रिकमन्डेशन्स करे उन रिकमन्डेशन्स के आधार पर उनको किस प्रकार से इम्पलीमेंट करना है। अध्यक्ष महोदय, ऐसी परिस्थिति में अब हमें यह विचार करना पड़ेगा कि सरकार की बनी चीज पर, राष्ट्रीकयरण करने सम्बन्धी नीति पर किस प्रकार से अमल किया गया।

(श्री भैरोंसिंह)

हमने १४ पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया, उन १४ पुस्तकों के लिए हमने टेन्डर इन्वाइट किये और टेण्डर इन्वाइट करने में हमारे पास कई प्रेसों से टेण्डर्स आये लेकिन उन टेण्डर्स को इन्वाइट करने के पहले हमारी सरकार की ओर से जो विज्ञप्ति की गई थी, अध्यक्ष महोदय, उस विज्ञप्ति को अच्छी तरह देखा जाय तो उसमें यह स्पष्ट झलक होगी कि इस प्रकार की विज्ञप्ति टेण्डर इन्वाइट करने के लिए विज्ञप्ति नहीं कही जाती लेकिन एक व्यक्ति को प्रोत्साहन देने के लिए यह विज्ञप्ति सहायक हो सकती है। जब हम पुस्तकों को छपाने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति छापा करें तो उसमें यह उल्लेख करना पड़ेगा कि हमें कितनी पुस्तकों की किस प्रकार के कागज पर, किस प्रकार के स्क्रिप्ट में, किस प्रकार के अक्षरों में, छपाई करवानी है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार की ओर से जो टेण्डर्स इन्वाइट किये गये उन टेण्डर्स में इस बात का उल्लेख नहीं था। मैं समझता हूं माननीय मुख्य मन्त्री स्वयं इस बात से परिचित होंगे। १४ फर्म्स ने इस बात के टेंडर भेजे और टेण्डर्स भेजने में उनके सामने जो कठिनाइयां थीं उन कठिनाइयों के कारण ५ फर्म्स ने कोई कीमत या रेट्स निर्धारित की हों, ऐसी बात नहीं थी। बाकी की कई फर्म्स ऐसी थीं जिन्होंने पूछा था कि सरकार को कितनी पुस्तकें छपवानी हैं और उन पुस्तकों की संख्या के अनुसार उनकी रेट्स आधारित होंगी? कई फर्म्स ने पूछा था कि किस प्रकार के टाइप की आवश्यकता है, किसी ने पूछा था कि उसमें किस प्रकार का स्क्रिप्ट हो, तो कई ने पूछा कि किस प्रकार का प्रिंटिंग होगा, लेकिन टेंडरों में इस बात का अभाव था। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि टेंडरों के विषय में कोई आधार हो नहीं। तो जो टेण्डर्स थे वे किस आधार पर कितनी और किस प्रकार की रेट्स के ऊपर पुस्तकों का काम ले सकते थे और इसमें अपनी पूरी राय नहीं दे सके। इसके क्या कारण थे, हम नहीं कह सकते। लेकिन जिस व्यक्ति का टेण्डर पुस्तकों के प्रकाशन के लिए स्वीकार किया गया था, उस व्यक्ति ने टेण्डर दिया और वह मंजूर हुआ और उसी तरह से पुस्तक विक्रेताओं से समझौता किया गया और उस समझौते के आधार पर इस बात की व्यवस्था की गई कि जिस व्यक्ति ने लोअर रेट्स का टेंडर दिया उसको पहले से पता था कि इतनी संख्या में किताबें छापी होंगी, उन किताबों में किस प्रकार का कागज लगाया जायगा, पुस्तकों को छापने की क्या स्क्रिप्ट हो, किस प्रकार का कवर पेपर हो, किस प्रकार की बाइंडिंग हो; इन सबका उसको पहले से पता था, जिसका टेंडर मंजूर किया गया क्योंकि विक्रय के सम्बन्ध में कोई प्रोटेक्शन प्राप्त करना था। बाकी के जो टेण्डर्स थे, उनको इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं थी और उस जानकारी के अभाव में इस प्रकार के टेण्डर्स दे दिये। हमारी सरकार ने कुछ फर्म्स से समझौता करके, कुछ फर्म्स को प्रोटेक्शन देने के लिए, जिनके टेण्डर्स लोअर रेट्स के नहीं थे, उनको स्वीकार कर लिया और टेण्डर्स के लिए विज्ञप्ति के अन्दर जो शर्त थी, जिस शर्त के द्वारा उन पुस्तकों के पब्लिशर्स की आठ हजार रुपये की सिक्योरिटी जमा करनी चाहिए थी, वह आठ हजार की सिक्योरिटी जमा न कर पांच हजार की सिक्योरिटी जमा कराई। इतना ही नहीं उस विज्ञप्ति में, जो शाया की गई थी, स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि टेण्डर में कागज का पैसा शामिल हो, कम्पोज़िंग का पैसा शामिल हो, बाइंडिंग का

(श्री भैरोंसिंह)

पैसा उसमें शामिल हो, लेकिन जो टेण्डर मंजूर किया गया, उसमें एक दूसरा तरीका निकाला, और उस तरीके को निकाल कर यह मांग की कि पुस्तकों की छपाई में कुछ एक्सट्रा आइटम्स पड़े हैं, इसलिए हमें ज्यादा पैसा मिलना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि विज्ञप्ति में जिन बातों का उल्लेख नहीं था, उनकी पूर्ति करने वाले उस दुकानदार को चार हजार रुपया दिया गया है, कलर्ड ब्लॉक्स के लिए, कलर्ड पेपर के लिए, कलर्ड पेजेज़ के लिए, ग्लेज्ड पेपर के लिए; इतना रुपया और दिया है। मैं समझता हूं ऐसी व्यवस्था विज्ञप्ति में होती तो उनकी पूर्ति करते और फिर इस प्रकार धन-राशि स्वीकार की जाती तो मुझे आपत्ति नहीं होती। यह तो पुस्तकों को छापने के प्रश्न पर मैंने आपको बताया। अब उन पुस्तकों का वितरण किस प्रकार से कराया गया, इस वितरण के सम्बन्ध में सरकार की ओर से सबसे पहले टेण्डर इन्वाइट किये गये ७ मई, १९५४ को और उसके बाद कम्परेटिव स्टेटमेंट तैयार किया गया १४ जून, १९५४ को। वह कम्परेटिव स्टेटमेंट शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा सरकार के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया गया। उस कम्परेटिव स्टेटमेंट पर सरकार विचार कर ही रही थी कि उसके बीच में एक रिवाइज्ड नोटीफिकेशन १५ जून १९५४ को इश्यू होता है कि हमें जिन पुस्तकों का वितरण करवाना है, उसके लिए समूचे राजस्थान में वितरण की नीति के आधार पर टेन्डर्स इन्वाइट किये थे। अब हमें इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि हम पुस्तकों का जिलेवार वितरण करायें। अध्यक्ष महोदय, यह आवश्यकता महसूस हुई कम्परेटिव स्टेटमेंट देकर, जिन पुस्तकों के डिस्ट्रीब्युशन के टेन्डरों पर विचार करना है, उन पर विचार न किया जाकर और अलग से टेन्डर्स इन्वाइट किये जायं, इसमें हमें आपत्ति हो सकती है। सरकार ने टेन्डर्स इन्वाइट कर लिये, विज्ञप्ति शाया कर दी लेकिन उसके पहले सरकार की कोई नीति नहीं है कि पुस्तकों का वितरण डिवीजन बेसिस पर होगा या समूचे राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट होंगी। जब कि टेन्डर इन्वाइट कर लिये, उस समय भी, अध्यक्ष महोदय, यह तय नहीं था कि पुस्तकें कैसे बांटी जायंगी? कोटेशन्स तीन माह के बाद में दिये जाते हैं और दो-तीन फर्म्स को खास तौर से नियुक्त किया जाता है लेकिन इन दो-तीन फर्म्स के बारे में कोई लिखित आज्ञा नहीं है। जिस समय किसी व्यक्ति ने सरकार से इस सम्बन्ध में जानकारी की तो सरकार ने कहा कि टेलीफोनिक ऑर्डर इश्यू कर दिये गये थे। इस प्रकार टेलीफोनिक आदेश के आधार पर कहते हैं। मैंने, अध्यक्ष महोदय, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी है। हम यहां टेलीफोनिक ऑर्डर के बारे में चर्चा करते हैं, तो सरकार इन्कार करती है और इन्कार करने के साथ ही चैलेंज करती है। उस चेलेंज को मंजूर करते हुए राजस्थान सरकार के जो शिक्षा विभाग का ऑडिट हुआ है उसमें ऑडिटर जनरल ने उल्लेख किया है कि १९५४ में जो मामले हुए उनकी १९५७ में सरकार से जानकारी की जाती है तो सरकार ऑर्डर प्लेस करने के स्थान पर यह कह कर संतोष करती है कि टेलीफोनिक ऑर्डर्स इश्यू कर दिये गये थे। जो ऑडिट रिपोर्ट १९५७ में आई है, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। ऐसी सूरत में में हमें यह विचार करना पड़ेगा कि हमारी सरकार जहां इस प्रकार के टेन्डर्स के विषय में गम्भीरता के साथ निर्णय लेने में कई प्रकार

(श्री भैरोंसिंह)

की कोताई करती है, वहां उससे कई व्यक्तियों पर अन्याय होता है और अन्याय इस प्रकार से होता है कि कई व्यक्तियों को पुस्तकों के वितरण के बारे में डिस्काउन्ट का प्रश्न होता है, इसके लिये जिन लोगों ने टेन्डर्स भेजे, डिस्काउन्ट का जिक्र किया, पर जो डिस्काउन्ट एवरेज स्कीम के आधार पर १६ पर्सेन्ट माना था वहां १६ पर्सेंट का टेन्डर मन्जूर करना था, पर दो–एक आदमियों को रियायत देना था, उनके टेन्डर्स ऊंचे थे पर उनसे समझौता किया गया, उनके रेट्स नीचे लाये गये और १६ पर्सेंट किये गये और उनके टेन्डर्स मंजूर किये गये, जब कि न्याय यह कहता है कि जिस व्यक्ति ने १६ पर्सेन्ट का, यानी कम से कम जिसने टेन्डर दिया था उसका एक्सेप्ट करना चाहिये था। पर उसका मंजूर न करके जिन लोगों ने साढ़े सोलह के, पोने सत्रह के, १७ के और १८ के टेन्डर्स दिये थे, जिनको कि न्याय के अनुसार रिजेक्ट करना चाहिये था, उनको मंजूर किया गया। उनके ऊंचे टेन्डर्स को १६ पर्सेंट पर लाने की कोशिश की गई और उन लोगों के टेन्डर्स मंजूर किये गये।

आगे चल कर मैं अध्यक्ष महोदय, उन किताबों के सम्बन्ध में निवेदन करूंगा कि कीमतों के बारे में निश्चित नीति नहीं अपनाई गई; खास कर कागजों की क्वालिटी, इन्डेक्स, कवरपेज, कुल पेज, टाइप इन सब चीजों को छोड़ कर उन पुस्तकों की कीमतों को निश्चित करने का जो निर्णय था उसका बोझा, उसका असर सरकार पर, प्रिन्टर्स पर, पब्लिशर्स पर नहीं पड़ने वाला था बल्कि जो छात्र विद्याध्ययन करते हैं उन पर इन कीमतों के निर्णय का असर पड़ता है। पर जिन व्यक्तियों को जानकारी थी उन्होंने टेन्डर्स के दबाव में, कमीशन के लालच से, उच्च अधिकारियों से मिल कर दौड़–धूप करके टेन्डर्स स्वीकार करा लिये और इसका असर गरीब छात्रों पर पड़ा।

नेशनेलाइज़ेशन बोर्ड का प्रादुर्भाव....

श्री मोहनलाल सुखाडिया (मुख्य मंत्री): यह कब की बात है?

श्री भैरोंसिंह: ये टेन्डर्स मई ५४ से लेकर, जुलाई ५४ तक....तारीखें बताऊं, मेरे पास तारीखें हैं। ७ मई १९५४ को टेन्डर्स इन्वाइट किये, १४ जून, ५४ को टेन्डर्स की अन्तिम तारीख थी, २५-६-५४ को रिवाइज्ड टेन्डर्स लिये गये, १४ को लिये, १७ जून को वापिस दिये, फर्स्ट जुलाई को कोटेशन्स दिये गये। ये सारी तारीखें ले लीजिये।

हां, इतना कह सकता हूं कि दो वर्ष पहले की बात है। तो मैं निवेदन कर रहा था इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, कि राष्ट्रीयकरण की नीति का प्रादुर्भाव किस कारण से हुआ है, इससे सदन परिचित है। इस सदन में इस बात को लेकर चर्चा हुई थी कि टेक्स्ट बुक्स को लेकर कई घोटाले, पक्षपात होते हैं और इस पक्षपात के कारण अच्छी किताबों का सिलेक्शन में नाम नहीं आता और गन्दी पुस्तकें सिलेक्शन में आ जाती हैं। गंगासहाय नामक एक क्लर्क को लेकर इन टेक्स्ट बुक्स का काफी पचड़ा हमारे सामने आया है, चार वर्षों से वह क्लर्क मोअत्तिल है। जो लोग अपराधी थे उनको कोई सजा नहीं दी गई, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं उठाया गया। सजा देती या एक्शन लेती तो कैसे लेती क्योंकि सरकार के सामने दुविधा थी, अपनी इनएफिशियेन्सी के कारण सरकार अगर मजबूत हाथों से इन

Page No.34

(श्री भैरोंसिंह)

पुस्तकों के सिलेक्शन के बारे में निर्णय लेती तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, पर इससे नेशनेलाइज़ेशन का प्रादुर्भाव हुआ । शिक्षा शास्त्रियों का इसके विपरीत मत है कि प्रजातन्त्रीय शासन में सरकार अपने दृष्टिकोण को संकुचित नहीं बनावे । हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिये कि विकसित हो । पर डिस्काउन्ट की होड़ में, दलाली के चक्कर में आकर नेशनेलाइज़ेशन के विचार की रिकमंडेशन होती है । सरकार ने कमेटी बनाई, पेनल बना दिया कि अमुक अमुक किताबें लिखो और इसके साथ ही सरकार ने विज्ञप्ति निकाल दी कि जो कोई इस तरह की पुस्तकें लिखना चाहें वे लिख कर सरकार के सामने पेश करें । इससे पुस्तकें लिखने वालों के दिमाग में एक दुविधा का प्रादुर्भाव हुआ । जो लोग पेनल में थे, उनके दिमाग में यह बात आई कि यदि पुस्तकें लिखीं, सरकार जो भाव चाहती है उन भावों की पुस्तकें लिखीं तो भी उनको एप्रूव करने का काम, उनके बारे में निर्णय करने का अधिकार सरकार के हाथ में है, यदि हमारी लिखी हुई पुस्तक डिसएप्रूव हो गई तो हमारी मेहनत असफल हो जायगी । इसके साथ ही जिन स्वतन्त्र व्यक्तियों को विज्ञप्ति के द्वारा सूचित किया गया है कि वे अमुक अमुक तरह की किताबें लिखें और सरकार के सामने पेश करें उनके दिमाग में भी यह बात आई कि जिन लोगों के नाम पेनल में हैं, उन्हीं लोगों की लिखी हुई पुस्तकों को सरकार प्रायोरिटी देगी, इसी कारण उन स्वतन्त्र लोगों ने भी पुस्तकें लिखने में कम दिलचस्पी दिखाई । इसलिये शिक्षा के योग्य जिस प्रकार की पुस्तकें बनाने की चेष्टा करते हैं उस प्रकार की पुस्तकें नहीं बन पातीं । उनके स्थान पर राजस्थान में, उन पुस्तकों का, जिनका कि जिक्र इस सदन में पहले भी किया गया था और आज भी जिक्र करूंगा, इस प्रकार की पुस्तकें हमारे विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती हैं । सामाजिक ज्ञान नाम की पुस्तक है, इसका उल्लेख मैंने उस दिन किया था, आज फिर इसलिये इसका उल्लेख करता हूं कि मैंने ध्यान पूर्वक उसको शुरू से आखिर तक पढ़ा है और इतिहास से विपरीत तथ्यों का उल्लेख इसमें किया है ।

राजस्थान पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की ओर से संयुक्त राजस्थान नामक पत्र निकलता है, उसमें जातियों पर छींटाकशी की गई । इसका उल्लेख मैंने कल किया था । इस पुस्तक में राजपूत जाति पर छींटाकशी की गई है, इसका उल्लेख मैं आज करना चाहूँगा । भारतवर्ष के इतिहासज्ञ हैं, वे इसे नहीं मानते कि राजपूत शक और हूणों के वंशज हैं, पर सामाजिक विज्ञान नाम की इस किताब में इतिहास के इन पन्नों की वास्तविकता के विपरीत इस पुस्तक में उल्लेख है कि राजपूत जाति शक और हूण जाति से सम्बन्धित थी । आज के बच्चों पर इस पुस्तक से क्या असर पड़ेगा, इसका आप अन्दाज लगा सकते हैं । एक तरफ तो भारत के जितने इतिहासकार थे उन्होंने राजपूतों को राज करने वालों का पुत्र बताया है और यूरोप के जितने इतिहासकार हैं उन्होंने शक और हूणों से सम्बन्ध बताया है । मैं कहता हूं अंग्रेजों ने जितने इतिहास लिखे, वास्तविकता को देखा जाय, तो उनमें इस बात का पुट मिलता है कि जिन लोगों के दिलों में अंग्रेजों से मुकाबिला करने की, देश को आजाद करने की भावना पनपती है, ऐसे व्यक्तियों का इतिहास कलंकित करके उनको लोगों की नजरों में नीचा दिखाया जाय । फोरेस्ट मंत्रीजी हंसते हैं । इसलिये हंसते हैं कि उन्होंने देश की आजादी के लिये लड़ाई में

(श्री भैरोंसिंह)

भाग लिया है, पर मैं दावे के साथ कहता हूं कि आजादी की लड़ाई में अगर किसी ने सबसे ज्यादा भाग लिया है, देश को विदेशी हुकूमत से बचाये रखने के लिये, देश को आजाद बनाये रखने के लिये चेष्टा किसी ने की है तो वह राजपूत जाति ने की है।

श्री लच्छूराम : माननीय अध्यक्ष, यह सदन है, इसमें साम्प्रदायिकता का प्रचार किया जा रहा है, यह सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ है।

श्री भैरोंसिंह : सदन की प्रतिष्टा क्या है, इसकी जानकारी आप पहले कर लें।

श्री अर्जुनदास : Is it a Government publication ?

श्री अध्यक्ष : आपका एक कट मोशन और है।

श्री भैरोंसिंह : Yes, Sir.

श्री नाथूराम मिर्धा : आप किसी की हंसी को देख कर यह अन्दाज क्यों निकाल रहे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : तो इस सम्बन्ध में हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या इस प्रकार की पुस्तकें छात्रों के विद्याध्ययन के लिये रखी जानी चाहिये। आज तक के जितने इतिहास लेखक हैं, उन्होंने महाराणा प्रताप को भारत के उज्ज्वल इतिहास की ज्योति माना है। पर इस पुस्तक में मोहम्मद तुग्लक का इतिहास मिलेगा, अल्लाउद्दीन खिलजी का इतिहास मिलेगा, हुमायूं और नूरजहां का इतिहास मिलेगा, पर महाराणा प्रताप का इतिहास इसमें नहीं मिलेगा। महाराणा प्रताप बड़े आदमी थे, इस बात का उल्लेख इसमें ४ लाइनों में किया हुआ है और शिवाजी का उल्लेख ६ लाइनों में किया हुआ है, जहां मोहम्मद तुगलक का ३ पेज में इतिहास लिखा है, पर महाराणा प्रताप जिनसे सारे भारतवर्ष की जनता गौरवान्वित है, उनका उल्लेख ४ लाइनों में किया गया है।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह टेक्नीकल विषय है, इसमें माननीय सदस्य उतना नहीं जानते जितना कि टेक्निकल व्यक्ति जानते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप जरा देर से आये, मैं राष्ट्रीयकरण का विरोध कर रहा था।

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका कहना गलत है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे कहने से गल्तियें दुरुस्त होंगी, मैं आशा करता हूं। मैं यह निवेदन कर रहा था कि राष्ट्रीयकरण की नीति असफल नीति है। इससे अच्छे अच्छे विद्वानों को प्रोत्साहन नहीं मिलता और न लोग उनको पढ़ सकते हैं। अच्छी अच्छी पुस्तकों को लेने का और उनको सरकारी स्कूलों में भेजने का अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों का अवसर नहीं मिलता। मैं यह कहूंगा। कि प्रजातन्त्र में अलग अलग दलों की अलग अलग विचार–धारा होती है। आज कांग्रेस का राज्य है, कांग्रेस की विचार–धारा कुछ और है और कुछ दिनों के बाद किसी दूसरे दल की सरकार आ सकती है। यदि नेशनलाइज़ेशन की स्कीम लाई जावेगी तो हमें किस प्रकार से वातावरण को बदलने की चेष्टा करनी चाहिये जिससे लोगों की बुद्धि का विकास हो ?

Page No.36

(श्री भैरोंसिंह)

माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर जो नीति अपनाई गई है वह उचित नहीं है। सरकार को चाहिये कि सब लोगों के आवेदन—पत्र मंगावे कि कौन कौन पुस्तकें लिखना चाहते हैं और वे किस प्रकार की पुस्तकें हों, उनमें ऊंचे स्तर की शिक्षा हो; यह नहीं कि कुछ पुस्तकों का ऐरेंजमेंट करके लोगों को लिखने को दे दी और वे लिख कर पाठ्यक्रम में ले ली गईं। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की चीज बहुत अनुचित होगी।

अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रस्ताव संस्कृत के विकास के बारे में है। मैं निवेदना कर रहा था कि राजस्थान में यदि यह सोच जावे कि इन पांच या सात वर्षों में संस्कृत का विकास हुआ है तो मैं समझता हूँ कि विकास नाम की चीज के हत्या होगी। विकास के नाम पर अवनति हुई है, यह कहा जाय तो हय वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। इसलिये संस्कृत का विकास होना आवश्यक है, हमारे यहां जितने भी शिक्षा शास्त्री और विद्वान् हैं बड़े बड़े उनका यह मत है कि यदि हमें देश का विकास करना है तो देश के लोगों के चरित्रों का निर्माण करना पड़ेगा और इसके लिये उन्होंने इस बात की राय दी है कि इसके लिये हमें संस्कृत शिक्षा देनी होगी और उसके जरिये हमें मानवता के संस्कारों की जानकारी व्यक्तियों को करानी होगी। लेकिन इन सारी बातों के उपरान्त राजस्थान सरकार न मालूम क्यों संस्कृत के बारे में कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है? जहां पर नई स्कूलें खोलने की व्यवस्था की जाती है वहां पर ऐसी व्यवस्था करे कि प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृत लेना अनिवार्य होगा। अगर छोटी छोटी क्लासेज़ में इसको कम्पलसरी कर दिया जावे तो मैं कहूँगा कि सामाजिक ज्ञान जैसी पुस्तक से ज्यादा फायदा होगा। इस सम्बन्ध में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें एल. एल. जोशी और कुछ संस्कृत के और विद्वान भी थे। उन्होंने इसका अध्ययन किया, यह देखने के लिये कि यहां पर संस्कृत की कितनी पाठ-शालाएं हैं और संस्कृत की शिक्षा की क्या हालत है? उसके बाद उन्होंने कहा कि संस्कृत के जितने विद्यालय हैं वहां किसी को मकान की सुविधा नहीं है, किसी के पास साधन नहीं हैं तो कहीं पर पढ़नेवाले लड़के नहीं हैं। इसके अलावा संस्कृत का कितना ही विद्वान क्यों न हो आज पढ़ाई के मुकाबले में उसको नहीं लिया जा सकता है। उसके लिये संस्कृत समिति ने उल्लेख किया है कि इन लोगों को भी अंग्रेजी पढ़े—लिखे लोगों के बराबर की श्रेणी में शुमार किया जावे। अध्यक्ष महोदय, कहते हैं कि आज के संस्कृत के विद्वान् अंग्रेजी के ग्रेजुएट, एम. ए., मेट्रिक आदि के मुकाबले में नहीं आ सकते। ये सारी अड़चने आती हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर कोई एम. ए. है और उसने एम. ए. के मुकाबले में संस्कृत की कोई डिग्री हासिल कर ली है तो केवल यह कह कर उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जावे कि यह अंग्रेजी नहीं जानता, यह एक खेद की बात है। राजस्थान सरकार इस सम्बन्ध में आज उदासीनता की नीति अपनाती जा रही हैं और इसके कारण संस्कृत का ह्रास होता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रस्ताव मेरा अध्यापकों की तनख्वाह के बारे में है। यह इस प्रकार का प्रश्न है जिसका समय समय पर सदन में उल्लेख किया गया है। आज से एक वर्ष पूर्व भारतवर्ष के प्रधान मन्त्री ने

Page No.37

(श्री भैरोंसिंह)

उल्लेख किया कि मुझे अफसोस है कि भारत में अध्यापकों की तनख्वाह चपरासियों से कम है। मैं समझता हूँ कि उनके अफसोस को दूर करने के लिये हमारे चीफ मिनिस्टर को कदम उठाना चाहिये था, मगर कल एक प्रश्न के उत्तर में, जो सदन में आया कि अध्यापकों का वेतन बढ़ाने की बात सरकार के विचाराधीन है या नहीं, तो उत्तर प्राप्त हुआ कि आर्थिक संकट के कारण अध्यापकों की तनख्वाह नहीं बढ़ सकती। यह बात समझ में आती है कि आर्थिक कठनाइयें हैं और इसके कारण अध्यापकों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई। लेकिन एक प्रश्न और यह रखा कि राजस्थान सरकार ने अब इस बारे मे विचार किया कि नहीं कि किस हद तक अध्यापकों के वेतन कम हैं और कितने होने चाहिये और अगर उनको पूरी तनख्वाह दी जाती है तो कितना असर फाइनेन्स पर पड़ता है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की गई है कि नहीं, वह इस बात की जांच करे। हमने बराबर मांग की है कि हमें एक पे कमिशन की नियुक्ति करनी चाहिये जो इस बात की जांच करे कि कितना लिविंग इन्डेक्स है, रोज मर्रा का खर्चा है और उसके बारे में निर्णय ले कि किस हद तक अध्यापकों की तनख्वाह कम है।

यह भी प्रश्न आया कि मन्त्रियों की तनख्वाह कम की जावे। उस समय चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि उस समय से लेकर रुपये की कीमत गिर गई है जिस तरह से माननीय मन्त्रियों के विषय को लेकर रुपये की कीमत कम हुई है, उसी प्रकार रुपये की कीमत, अध्यापकों को तनख्वाह के रूप में खो देते हैं, कम हुई है। अब मन्त्रियों की तनख्वाह का मामला आता है तो कहा जाता है कि रुपये की कीमत कम हो गई, किन्तु जब अध्यापकों का प्रश्न आता है तो इसकी तरह ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूँ कि हमें समान स्तर से देखना होगा।

मैं कहूंगा कि जिस तरह से कोई आदमी अपना साइड बिज़नेस समझता है उसी तरह से मास्टर लोग अपना साइड बिज़नेस समझते हैं। अध्यापक हर वक्त यही सोचता रहता है कि उसको तनख्वाह कम मिलती है इसलिये उसे किसी दूसरे महकमें में जाकर दूसरी नौकरी करनी है। वह पढ़ाई करता है और एग्ज़ामिनेशन देता है और उसके साथ साथ दूसरी सर्विसेज़ की कोशिश करता रहता है। नतीजा यह होता है कि इन्टेलिजेन्ट व्यक्ति तो किसी दूसरी जगह चले जाते हैं और वे ही लोग यहां पर रहते हैं जो बदकिस्मत होते है या वे लोग रहते हैं जिनको दूसरी जगह कोई सर्विसेज़ नहीं मिलतीं। मैं यह निवेदन करूंगा कि सरकार को चाहिये कि जितने भी शिक्षकगण हैं उनके मस्तिष्क से उनके पेट की समस्या को दूर कर दें। उनको इस तरह से इससे आजाद कर दें कि वे सोच नहीं सकें, खयाल नहीं कर सकें और वे अपने कर्त्तव्य को पूरा करने की जिम्मेदारी लें कि जो छात्र उनके पास पढ़ रहे हैं उनको ठीक तरह से शिक्षा दी जावेगी। अभी तो मैं कहूँगा कि उनकी तनख्वाह बढ़ाने के सवाल को छोड़िये उनके फिक्सेशन का काम भी पूरा नहीं हुआ है। पहले यह कहा गया था कि मई के महीने में फिक्सेशन का काम पूरा कर दिया जावेगा मगर अभी तक नहीं हो पाया है, उनके एरियर्स एक्युमुलेट होते जा रहे हैं। कागजात डिप्टी डाइरेक्टर के ऑफिस से और डिप्टी एं. जी. के पास और

(श्री भैरोंसिंह)

वहां से सेक्रेटेरियेट में लगभग १० वर्षों से चलते हैं किन्तु अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आज मैं हमारे माननीय मुख्य मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा और वह अपने उत्तर में हमें बतायें कि किन किन अध्यापकों को उनके एरियर्स का भुगतान किया जा चुका है। मैं समझता हूँ कि एरियर्स बाकी हैं, अध्यापकों को तनख्व हें नहीं मिलती हैं। मैं कहता हूँ कि अध्यापकों ने जिस तरह की ट्रेनिंग पास की है उनको उसके अनुसार नियुक्त नहीं किया जाता है, उनकी तरक्की नहीं होती है। स्थानान्तरण के मामलों को लेकर उनको परेशान करने की चेष्टा की जाती है बल्कि हम यह कहें कि अध्यापकों को राजनैतिक बातों में भी घसीटने की कोशिश की जाती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि अध्यापकों की तनख्वाहें बढ़ाने, उनके फिक्सेशन आदि के प्रश्न ऐसे हैं कि जिनका असर समूचे राष्ट्र पर पड़ता है। यदि मास्टरों के मन में अनिश्चितता रहती है, उनके मन में एक विभाग से दूसरे विभाग में तनख्वाहों की कमी के कारण जाने की भावना सदा रहती है, वेतन पर्याप्त न मिलने के कारण दूसरा काम करने की प्रवृत्ति रहती है तो इसका असर न तो हमारे बच्चों पर ही अच्छा होता है और न हमारे देश पर ही इसका अच्छा असर होता है। जिस शिक्षा के द्वारा हम अपने देश को उन्नति पर लाना चाहते हैं उस देश को उन्नति पर नहीं ले जा सकते हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि शिक्षा के सम्बन्ध में सरकार कोई एक दृढ़ नीति बनाये और उसको अच्छी तरह से इम्पलीमेन्ट करे तभी हमरा देश उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है।

मेरा एक कटौती का प्रस्ताव शिक्षा विभाग के द्वारा जो खरीद की जाती है उसके सम्बन्ध में है। यह एक इस प्रकार का प्रश्न है जिसके ऊपर सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख आया था कि एक सेन्ट्रल ऑर्गेनाइज़ेशन नामक संस्था की स्थापना की जा रही है। वाकई में इस बात को सुनकर सभी को आनन्द हुआ। लेकिन वह काम किस ढंग से पूरा होगा इसके ऊपर विचार करने से पहले हमें इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि हमारे राजस्थान के शिक्षा विभाग की ओर से जो गत दिनों में खरीद हुई है उसमें किस ढंग से काम लिया गया है? अध्यक्ष महोदय, इस बात की एक चर्चा है कि शिक्षा विभाग की खरीद फरवरी और मार्च के महीने में होती है। इसका मैं एक मतलब समझता हूँ कि शिक्षा के अधिकारी सोते रहते हैं। सारा साल तो वे चुपचाप बैठे रहते हैं और जब कि फरवरी और मार्च का महीना आता है तो वह खरीद करने लगते हैं। फिर राजस्थान सरकार की ओर से टेन्डर्स इन्वाइट किये जाते हैं, टेन्डर्स खोले जाते हैं और टेन्डर्स के खुलने के बाद में आज्ञायें दी जाती हैं। इसी का फल है कि शिक्षा विभाग को सामान नहीं मिलता है। उधर साल का अन्त आता है, ३१ मार्च का डर विभाग को रहता है। साल के अन्त का समय होने के कारण रुपये के लैप्स हो जाने का डर भूत की तरह रहता है। तो ऐसी स्थिति में कम्पनियों से और फर्मों से समझौता करते हैं और फर्मों को कहते है कि तुम रसीद लिख दो। हैड मास्टरों को इस विषय में दबाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि

Page No.39

(श्री भैरोंसिंह)

तुम्हारी लाइब्रेरी के लिये ५० किताबों की डिमान्ड आई थी उसके लिए फिर लिख कर दो। तो इस तरह हैडमास्टरों से लिखवा लिया जाता है, फर्मों से रसीद ले ली जाती है और फिर ट्रेजरी से पैसा ले लिया जाता है, ताकि जो रुपया जिस साल के लिए रखा गया था वह लैप्स न हो। मैं कहता हूं कि यह बात कोई गलत नहीं कह सकता। जिस समय रकम के लैप्स होने का डर होता है जो बिना किसी डिले के सारी चीजों की खरीद–फरोख्त होती है और इससे राजस्थान सरकार को काफी गलत बिलों का भुगतान करना पड़ता है। मैं आपको, अध्यक्ष महोदय, एक उदाहरण दूं कि स्लेट के टेंडर्स इन्वाइट किये गये। इसके लिए कई फर्मों ने टेंडर्स दिये, उनमें से एक टेन्डर्स राजस्थान स्लेट डिपो का भी था। इसने तीन रुपये प्रति दर्जन का टेन्डर दिया। अब भरतपुर की एक और कम्पनी है, उसका शायद भिन्न भिन्न डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से ४ रुपये ६ आने, कहीं १० रूपये के हिसाब सप्लाई करने के लिए टेन्डर दिया है, इस प्रकार से उसके टेन्डर्स आये। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो व्यक्ति ३ रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से स्लेट सप्लाई करना चाहता है उसका तो टेंडर्स एक्सैप्ट नहीं किया जाता है और जो इससे ज्यादा के टेन्डर देते हैं उनका टेन्डर मन्जूर कर लिया जाता है। स्टुडेन्ट्स ब्रदर्स एण्ड कम्पनी, भरतपुर का ३ रु० १० आने का, ४ रु० ८ आने का, और ४ रु० २ आने का मन्जूर होता है। कन्हैयालाल एण्ड सन्स का ४ रु० ६ आने का होता है और किशोर ब्रदर्स ऑफ अजमेर का ४ रु० ५ आने का मन्जूर होता है। तो देखना यह है कि जो कम्पनी इस स्लेट का मैनुफैक्चर करती है उसको तो तीन रुपये का टेन्डर मन्जूर नहीं किया जाता है और दूसरी कम्पनियो का इससे भी ज्यादा टेन्डर होते हुए भी मन्जूर कर लिया जाता है। मैं समझता हूँ कि इसका उत्तर मिलेगा कि राजस्थान स्लेट डिपो का भी तो टेन्डर मन्जूर किया गया। कहने को यह भी मिलेगा कि जिस व्यक्ति ने तीन रुपये के अन्दर स्लेट देने का वायदा किया था उसका भी तो टेन्डर स्वीकार किया गया, लेकिन अगर हम यह कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो टेन्डर स्वीकार किया गया है वह १॥ महीने बाद किया गया। इतना ही नहीं जिस व्यक्ति का टेन्डर दो महीने बाद मन्जूर किया गया और उसका टेन्डर पहले रिजेक्ट कर दिया गया तो बाकी की सारी कम्पनियों ने स्लेट इसी राजस्थान स्लेट डिपो से खरीदीं। इन्होंने तीन रुपये के हिसाब से खरीदीं और सरकार को वही ४ रु० ७ आना और ४ रु० २ आने के हिसाब से दीं। यदि राजस्थान सरकार इस बारे में जांच करना चाहे कि किन लोगों ने यह पक्षपात किया है तो मैं वे सारी बातें प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं जो यह बतायेंगी कि ये वही स्लेटें हैं जो कि राजस्थान प्लेट डिपो राजस्थान सरकार को तीन रुपये के टेन्डर द्वारा देना चाहती थी। वही स्लेट दूसरी कम्पनियों ने खरीद कर सरकार को ऊंचे भाव पर बेचीं।

अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं मेरे पास ऐसे बिल भी है कि कन्हैयालाल एण्ड सन्स ने जो स्लेट सप्लाई की है वे सारी की सारी राजस्थान स्लेट डिपो से खरीदी हैं। भरतपुर की कम्पनी ने जितनी स्लेटें दी हैं वे भी उसने इसी राजस्थान स्लेट डिपो से ली हैं। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मेन्यु–

(श्री भैरोंसिंह

फेक्चरर है और जिसने सब से कम का टैन्डर दिया उसका टैन्डर मंजूर नहीं हुआ बल्कि जो कम्पनियां दूसरों से खरीद करके बेचती हैं उनका टैन्डर मंजूर कर लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तो इस प्रकार के घोटाले हुए हैं इस शिक्षा विभाग की खरीद में कि कुर्सी का टेन्डर लिया गया। तो जो टैन्डर मांगा गया था वह १० सेर और १२॥ सेर की कुर्सी का मांगा गया था लेकिन वे कुर्सियां ५॥ सेर की बनीं। जो कुर्सी बनाई गई है वह १० पौंड की है। अगर माननीय मंत्री महोदय चाहें तो मैं स्वयं उनको तोल कर बता दूंगा। शिक्षा विभाग ने ड्राइंग बोक्सेज़ १२ बाई ८ के खरीदने चाहे लेकिन वे कम कीमत के खरीदे गये। कोटेशन तो दूसरे थे लेकिन सप्लाई उससे बिलकुल ही भिन्न हुई और ब्लैक बोर्ड के लिए कोटेशन आदि में लिखा गया कि एक ही टुकड़े के खरीदे जायेंगे लेकिन आप देखें कि जो खरीदे गये हैं वे दो–तीन जोड़ के खरीदे गये हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि एक ही कम्पनी को सारा काम देने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग को बरतनों की आवश्यकता थी। चाहिये तो यह था कि बरतन ठठेरों से सरकार लेती और इन छोटे आदमियों को थोड़ा फायदा पहुंचाती लेकिन बरतन भी खरीदे गये तो उस फर्म से जो कि उनकी है। ठठेरे खुद बरतन सप्लाई कर सकते हैं और वे दूसरे लोगों से सस्ते दे सकते थे, वे टैन्डर्स भी दे सकते हैं लेकिन उनसे बरतन भी नहीं खरीदे जायेंगे। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बरतन भी खरीदे जायेंगे तो एक विशेष फर्म से, ताले भी खरीदे जायेंगे तो एक विशेस फर्म से, रेडियो भी खरीदे जायेंगे तो एक विशेष फर्म से।

अब एक चीज और अध्यक्ष महोदय मैं आपको बताऊं कि "जय अम्बे" नामक एक फर्म से फर्नीचर खरीदा गया, हालां कि वह फर्म फर्नीचर कतई नहीं बनाती है, वह टेबुल नहीं बनाती है, कुर्सियां नहीं बनाती है लेकिन फिर भी फर्नीचर उसी से खरीदा जाता है। अब यह फर्म जब कि फर्नीचर नहीं बनाती तो फिर यह फर्नीचर सप्लाई कैसे करती है? वह दूसरे फर्नीचर हाऊसेज़ से फर्नीचर बनवाती है और बीच में कमीशन लेती है। यह एक पुस्तक की फर्म है जिसको कि फर्नीचर का टेन्डर दिया जाता है। सरकार को चाहिए तो यह था कि यह फर्नीचर डाइरेक्ट हाऊस से बनवाती। लेकिन नहीं, वह तो एक ही फर्म से सभी तरह की चीजें खरीदती है। लेकिन श्रीमान अध्यक्ष महोदय, कमीशन देने की कोई बात नहीं है लेकिन चूंकि एक ही आदमी को पनपाना है, "जय अम्बे" को प्रोटेक्शन देना है इसलिए रेडियो, ताले, दरी, पेटी और ट्रंक आदि सभी इसी जय अम्बे से खरीदते हैं, सभी चीजें जय अम्बे से खरीदी जायेंगी। इसका मतलब यह है कि जितनी भी शिक्षा विभाग की खरीद है उसका ठेका "जय अम्बे" को दे दिया गया है। जय अम्बे की परिवरिश के खातिर और इसको पनपाने के लिए सरकार के शिक्षा विभाग की सारी खरीद का पैसा इसको दिया जा रहा है और साथ ही इससे यह भी भावना आती है कि इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए; तो मैं कह सकता हूं कि मैं कोई भी आपत्ति नहीं करूंगा। लेकिन कहता हूं कि आप कोई नियम निर्धारित कर लें। अब जब

(श्री भैरोंसिंह)

कि हम टेन्डर मंजूर करने की बात करते हैं उस समय यह विचार करना पड़ेगा कि ये चीजें ऐसे नहीं होनी चाहिए । भरतपुर में एक पुस्तक विक्रेता से बैलगाड़ियाँ खरीदी गईं । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी भरतपुर जाकर देखें कि बैलगाड़िया खरीदी तो गई हैं लेकिन उनमें बैल नहीं आते हैं । बैल अगर आते हैं, हटवाड़े में बिकने के लिए जो बैल आते हैं वे खरीदे जाते हैं । यदि उन बैलगाड़ियों पर सामान रख दिया जाय तो वह बैल उस सामान को नहीं खींच सकते । लेकिन गाड़ी का काम भी पुस्तक विक्रेता करेगा, यह नीति हमारे सरकार की है ! माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि जितनी भी चीजें राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा गत दो वर्षों में खरीदी हुई हैं उनकी जांच करायी जाय और उस जांच के लिये एक कमेटी अपोइन्ट की जाय और उन व्यक्तियों से आवेदन-पत्र लिये जायं जो इस विभाग के बारे में जानकारी रखते हैं, जो शिकायतें करते हैं, उनसे सुबूत लिये जायं उसके बाद जिन लोगों की गलती मालूम हो उनको सजा दी जाय । अगर आप ऐसे अधिकारियों को सजा नहीं देंगे तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि जनता के साथ न्याय नहीं होगा, जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा सरकार में आता है उस पैसे का दुरुपयोग माना जायगा ।

कुछ पुस्तकें अध्यक्ष महोदय, लाब्रेइरी के लिए भी खरीदी गई थीं । उन पुस्तकों के टेन्डर्स इन्वाइट किए गए थे, लेकिन उन टेन्डर्स में उल्लेख इस बात का नहीं था कि किस प्रकार की किताबें होंगी, कौन कौन से उपन्यास लिए जायेंगे । उपन्यासों के दो भाग किये गये, एक भाग में उपन्यास और दूसरे भाग में हिंदी की पुस्तकें । उपन्यास किस प्रकार के होंगे, यह डिफाइन नहीं किया गया था । उन उपन्यासों में चक्रवर्ती राजगोपाला-चारी के भी उपन्यास हो सकते हैं, उपराष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन् के भी उपन्यास हो सकते हैं और गंदे उपन्यास भी हो सकते हैं; सबको एक श्रेणी में लिया गया । इसके अलावा हिंदी की कितनी पुस्तकें खरीदी जायेंगी और वे पुस्तकें किस प्रकार की होंगी, किसी बात का उल्लेख टेन्डर्स में नहीं था । इन किताबों की सप्लाई का ऑर्डर केवल चार फर्म्स को मिला, उनमें से दो तो राजस्थान की थीं । राजस्थान की जो फर्म्स थीं उनमें एक जय-अम्बे को यह किताबें सप्लाई करने का ऑर्डर दिया गया और दूसरी कोई अजमेर की दुकान थी । इसके अलावा दो अलीगढ़ की और दो शायद दिल्ली की; इस प्रकार चार फर्म्स को पुस्तकें देने का ऑर्डर दिया । ऐसी सूरत में हमें विचार करना पड़ेगा कि ऐसी पुस्तकें जिनके बारे में टेण्डर्स में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं उनको सप्लाई करने का ऑर्डर देना कुछ रहस्यपूर्ण अवश्य है । सरकार को चाहिये तो यह था कि टेण्डर्स में ही इस बात उल्लेख कर दिया जाता कि हमें अमुक अमुक उपन्यास और फलां-फलां हिंदी की किताबें चाहिए । वह न करके केवल दो चार फर्म्स को किताबें सप्लाई करने का ऑर्डर देना सरकार की ढिल-मिल नीति का परिचायक है और इसी ढिल-मिल नीति के कारण सरकारी धन का दुरुपयोग होता है और जनता के पैसे का नाश होता है ।

अन्त में मेरा कटौती का प्रस्ताव है श्री माधोपुर क्षेत्र में, जहां से निर्वाचित होकर मैं आया हूँ, उस क्षेत्र में स्कूलों की कमी के

(श्री भैरोंसिंह)

विषय में। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं केवल इतना ही चाहता हूं कि मैंने राजस्थान के कई हिस्सों में भ्रमण किया है, ज्यादा तो नहीं लेकिन मुझे जितनी जानकारी है उस जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि श्री माधोपुर एक ऐसा क्षेत्र है जहां सब से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। कोई गांव ऐसा नहीं जहां छोटी मोटी स्कूल नहीं हो। श्रीमाधोपुर छोटा सा कस्बा है, फिर भी वहां २७५ अध्यापक रहते हैं। छोटे से कस्बे में २७५ अध्यापकों का होना, इस बात का सुबूत है कि वहां की शिक्षा की हालत कैसी है। शिक्षा के सम्बन्ध में इस क्षेत्र में काफी जागृति है लेकिन एक परिस्थिति ऐसी है जिसके कारण मुझे यह कटौती का प्रस्ताव पेश करना पड़ा है। वहां की स्कूलों में जगह नहीं, कई स्थानों पर मिडिल स्कूलों में जगह नहीं। जहां प्राइमरी स्कूलों के छात्रों की अन्तिम कक्षा की संख्या ६० है वहां पर मिडिल स्कूल नहीं।

श्री माधोपुर क्षेत्र में श्री जतनसिंह की ढाणी है। इस प्रकार कई गांव हैं, जहां पर प्राइमरी स्कूल्स हैं उन प्राइमरी स्कूलों की अन्तिम कक्षा में ५० और साठ साठ लड़कों की संख्या है जिनको श्रीमाधोपुर में एडमिशन नहीं मिल सकता, खंडेला में एडमिशन नहीं हो सकता, रींगस में उनका एडमिशन नहीं हो सकता। इससे या तो वे लड़के आगे पढ़ने से रह जाते हैं या जिनके पास पैसा खर्च करने को होता है वे जयपुर चले आते हैं या अन्य किसी स्थान पर पढ़ने के लिए जाते हैं। हमारी सरकार का इस सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण है वह कोटा तय करते हैं। सीकर जिले में कितनी स्कूलें होंगी, झुंझुनूं जिले में कितनी मिडिल स्कूलें बनेंगी, इस प्रकार वे कोटा तय करते हैं, लेकिन जरूरत को देखा नहीं जाता कि किस जगह ज्यादा जरूरत है। मेरा निवेदन यह है कि जहां जरूरत पहले हो वहां स्कूलों का इन्तजाम पहले किया जाना चाहिये। मैं यह देखता हूँ कि पिछले कुछ वर्षों में उदयपुर में शिक्षा के लिए काफी कार्य हुआ है। उसके लिए यह कहा जा सकता है कि वह पिछड़ा हुआ इलाका है इसलिए वहां जो काम करना था वह किया। लेकिन मैं इसके लिये आपको कुछ नहीं कहता, आप जितनी भी शिक्षण संस्थायें खोलें मुझे किसी प्रकार का एतराज नहीं किंतु जहां जरूरत ज्यादा है वहां हमको उन जरूरतों का पूरा करना पड़ेगा। श्री माधोपुर में हाई स्कूल की बिल्डिंग है, खंडेला में हाईस्कूल की बिल्डिंग है, जनता ने पैसा लगा कर बिल्डिंगें खड़ी की हैं लेकिन आज जनता के पास पैसा नहीं है अतः सरकार से मेरा निवेदन है कि इन संस्थाओं को सहायता मिलनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैंने जो पांच कटौती के प्रस्ताव रखे हैं उनको प्रस्तुत करता हुआ मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे कटौती प्रस्तावों का उत्तर देते समय जिस प्रकार ब्योरेवार मैंने बातें रखीं, उसी प्रकार ब्योरेवार उत्तर देने की कृपा करेंगे ताकि मुझे सतोष हो सके।

श्री अध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्यों को सूचित है दो बजे गिलोटिन लागू हो जायगा। उसके बाद किसी प्रकार का भी वाद-विवाद नहीं हो सकेगा। इसके अलावा आधा घंटा शिक्षा मन्त्रीजी को भी उत्तर देने में लग जायगा; इस प्रकार केवल आधा घंटा शेष रह जाता है। अतः मैं माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जो भी माननीय सदस्य कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करें वे संक्षेप में अपना भाषण

(श्री अध्यक्ष)

दें ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को अपने प्रस्ताव पेश करने का समय मिल सके।

(विराम)

श्री अनोपसिंह।

श्री अनोपसिंह (बालोतरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जो कटौती प्रस्ताव है वह बहुत छोटा सा है। माननीय सदस्यगण यह सोचते होंगे कि इस प्रकार एक छोटी सी बात लेकर कटौती का प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर दिया। यह आपके लिये छोटी सी बात हो सकती है किन्तु अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूं कि जिस जगह के लिये मैंने कट मोशन रखा है वह एक कस्बा है। वहां की जनता बहुत दिनों से स्कूल की मांग करती चली आ रही है कि यहां पर विज्ञान की कक्षायें बढ़ायी जायं। यह वैसे देखने में छोटी सी बात है लेकिन दो-तीन साल से लगातार यह मांग चली आ रही है किन्तु आज तक पूरी नहीं हो पायी है। इतनी छोटी सी बात को सदन के सामने रखते हुए मैं यह समझता हूँ कि मैं कोई बड़ा कार्य नहीं कर रहा हूँ बल्कि मेरा उस क्षेत्र की जनता के प्रति जो कर्तव्य है, जो फर्ज है वह पूरा कर रहा हूँ। इतने साल से जहां की जनता मांग करती आयी हो, उसको पूरा न करना शिक्षा विभाग के अधिकारियों और माननीय मन्त्रियों तक के समझ में यह छोटी सी बात नहीं आई। तो यह अन्दाज लगाया जा सकता है इससे कि शिक्षा विभाग में कितनी एफीशियेन्सी है, कितनी लापरवाही है। यह बात शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लापरवाही की द्योतक है कि वे इतनी छोटी सी बात पर भी ध्यान नहीं देते। यह तो इस छोटी सी बात से अन्दाज लगाया जा सकता है कि जहां पर जनता की मांग हो वह भी पूरी नहीं होती और जब कम्पलसरी एजुकेशन हो जायगा उस समय वे कैसे इस बड़ी बात को पूरा कर सकेंगे जब कि उनसे छोटी सी बात भी पूरी नहीं होती है। जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ता ने भ्रष्टाचार और घोटाले की बात कही, अगर कम्पलसरी एजुकेशन प्रणाली यहां लागू हो गई तो इस विभाग द्वारा जो लाखों का घोटाला हो रहा है न मालूम यह किस सीमा तक पहुंच जाय? जिस विभाग पर हमारे बच्चों का भविष्य निर्भर करता है, भारत का भविष्य निर्भर करता है और उसी विभाग में घोटाला हो, टेन्डर वगैरह में भ्रष्टाचार हो यदि अनिवार्य शिक्षा प्रणाली लागू हो गई तो शायद न मालूम कितना घोटाला होगा? दूसरे विभाग सब बन्द हो जायेंगे और सब अधिकारी मिल कर कम्पलसरी एजुकेशन को चलायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आप अपने विचार कटौती प्रस्ताव तक ही सीमित रखिये।

श्री अनोपसिंह : (जारी रखते हुए) मैं इसलिये इन बातों को निवेदन कर रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, कि जब हम इस प्रकार स्कूलें खोलने के लिये या किसी क्लास को बढ़ाने के लिये कहते हैं तो कहा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है; पैसा तो इस प्रकार बरबाद हो रहा है लेकिन जिस छोटी सी बात को लेकर मैंने कटौती प्रस्ताव रखा है वह मंजूर नहीं हो रहा है। वे बालोतरा में विज्ञान की कक्षा नहीं खोल सकते। अगर हम भ्रष्टाचार को मिटा दें तो हमारा पैसा जो बरबाद जाता है ऐसे कार्यों में लग सकता है।

बालोतरा में हाईस्कूल काफी अर्से से है और वहां का परीक्षाफल भी बहुत अच्छा

(श्री अनोपसिंह)

रहता है और वहां की जनता की यह मांग है कि वहां विज्ञान की कक्षायें चालू हों, लेकिन उनकी किसी प्रकार भी सुनवाई नहीं होती। इसलिये मैं अर्ज करता हूं कि जहां जनता की मांग हो उसको पूरा किया जाना चाहिये। शिक्षा एक बुनियादी चीज है और इसी पर हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है और प्रजातंत्र की नींव का आधार भी शिक्षा ही है। जिस प्रजातंन्त्रीय प्रणाली को हम चला रहे हैं उसे विकसित करने का काम शिक्षा द्वारा ही हो सकता है और यह सब काम शिक्षा विभाग के कार्य पर मुनस्सर करता है। एक छोटी सी बात जिसको माननीय मन्त्री महोदय दर-गुजर कर सकते हैं उनकोध्यान में लाने के लिये यह कटौती का प्रस्ताव मैंने रखा है। आप मेरे इस सौ रुपये के कटौती प्रस्ताव को पास कर दें और अगर चाहिये तो आप मेरी जेब से सौ रुपया ले सकते हैं और मेरे प्रस्ताव को मंजूर करें ताकि जिस छोटी सी बात के लिये कटौती प्रस्ताव रखा है वह भी ठीक हो जाय और हमारे विभाग की जो लापरवाही है वह भी दूर हो जाय। इसको दूर करने के लिये मुझे कटौती प्रस्ताव रखने के अलावा और कोई दूसरा कोई जरिया नजर नहीं आता और इसीलिये मैंने कटमोशन प्रस्तुत किया है।

१—म० प०

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी) : मैंने एक रुपये की कटौती का प्रस्ताव इसलिये रखा है जो कि प्राइमरी स्कूलें हैं उन स्कूलों में इनके संचालन और व्यवस्था के लिये पूरे साधन न होने की वजह से उनकी बड़ी बुरी हालत है।

राजस्थान में आठ हजार प्राइमरी स्कूलों की योजना है और उनमें १२ हजार शिक्षकों की व्यवस्था है। प्राइमरी स्कूलों के लिये जो बजट रक्खा गया है उसमें १।। करोड़ रुपया है। जहां तक मैं समझता हूं जो बजट रक्खा गया है उसमें से करीब १/३ हिस्सा इनके लिये है और दूसरी ओर तुलनात्मक दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि इन प्राइमरी स्कूलों में कितने लड़के हैं और कितने शिक्षक हैं और दूसरी तरफ हायर एजुकेशन में मिडिल स्कूलों और अन्य कार्यों में कितने लड़के पढते हैं और कितने शिक्षक हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि यह भेद बहुत बड़ा है, तिगुनों से ज्यादा है। जहां तक उन प्राइमरी स्कूलों के खर्चे का सवाल है वह बहुत कम किया जाता है।

आज सही माने में देखा जावे तो बड़े बड़े शिक्षा-शास्त्रियों की, यहां तक कि महात्मा गांधीजी की भी यह राय थी कि आज अगर इन हायर एजुकेशन में दी जाने वाली शिक्षा को बन्द भी कर दिया जावे तो भी देश का लाभ है। बहुत गहराई से अगर देखा जावे तो मैं समझता हूँ कि हर शिक्षा शास्त्री यह महसूस करेगा कि वाकई आज हमारे देश में जो शिक्षा दी जा रही है उससे सिर्फ कोई लाभ है तो यही है कि हम कुछ छात्रों को साक्षर भर बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर कुछ खर्चा टेक्नीकल शिक्षा में किया जा रहा है तो वह भी आज जरूर देश के लिये लाभप्रद है। परन्तु जो हायर एजुकेशन में खर्चा अंग्रेजों के जमाने से किया जा रहा है, जिसका अंग्रेजों के समय एक मात्र उद्देश्य यह था कि इससे शासन में सहूलियत पहुंचाने के लिये क्लर्क बनाये जावें, वह व्यर्थ है, उससे देश को कोई लाभ नहीं और मैं समझता हूं कि हर आदमी यह महसूस कर

(श्री मुरलीधर व्यास)

रहा है कि इस शिक्षा में अगर परिवर्तन नहीं किया गया तो देश का लाभ नहीं होगा। यह वस्तु स्थिति है और इसको मद्दे नजर रखते हुए भी अगर इस दिशा में कोई क्रान्तिकारी कदम नहीं उठाया जाता है तो देश का अहित ही दिखाई देता है।

इस दृष्टि से मैं समझता हूँ कि प्राइमरी स्कूलों के लिये और उनमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनके विकास के लिये अधिक खर्चा किया जाय, अधिक से अधिक साधन उनको दें। यह देश के लिये लाभप्रद होगा।

आज प्राइमरी स्कूलों की हालत चिन्तनीय है। आपने १२ हजार शिक्षक ८ हजार स्कूलों के लिये रक्खे हैं। हिसाब लगाया जावे तो कई स्कूलों में एक एक मास्टर होगा और कुछ में दो दो, कहीं एक मास्टर होगा तो बच्चे बहुत होंगे। आप गांवों में जाइये तो पायेंगे कि कहीं स्कूल में मास्टर अकेला है, बच्चे हैं ही नहीं। बच्चे अगर आते हैं तो अपने मौसम में आते हैं। खेती के समय में वे नहीं आते। ऐसे वक्त में कई स्कूलें ऐसी नजर आवेंगी जिनमें केवल शिक्षक ही होंगे और बच्चे नहीं होंगे। तो यह हमारी स्थिति है और दूसरी ओर आप यह भी देखेंगे कि छात्र बहुत ज्यादा हैं और शिक्षक नहीं हैं और उन बच्चों के लिये आगे बढ़ने के लिये कोई साधन वहां नहीं हैं। यहां तक कि कई स्कूलों में आप सर्दियों में अगर चले जावेंगे तो आपको बच्चे सीमेन्ट के फर्श पर बैठे हुए मिलेंगे। सवेरे के समय भी और दोपहर के समय भी आप उनको देखेंगे कि बच्चे सरदी में बिलकुल कांप रहे हैं, नीचे बैठने को चटाई नहीं है। आज एक चटाई का प्रश्न आपके पास अर्थाभाव होने से कोई महत्व न रखता हो, पर बच्चों के विकास के लिये चटाई का महत्व बहुत ज्यादा है। कई स्कूलों में आप चले जाइये। बच्चे और मास्टर आपको नजर आवेंगे, पर कोई बोर्ड नजर नहीं आवेगा, न चॉक नजर आवेगी, न रजिस्टर नजर आवेगा और न किसी प्रकार का और कोई साधन ही नजर आवेगा। तो आज यह वस्तुस्थिति है। हमें इसे बहुत गहराई से देखना है।

दूसरे देशों को आप देखें। छोटे बच्चों के विकास में कितना खर्च किया जाता है और कितने अच्छे से अच्छे साधन दिये जाते हैं, इसे अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जावे तो मैं समझता हूं कि हम बहुत पीछे हैं।

इसी के साथ आज बच्चों के विकास में खेलों का भी बड़ा महत्व है। इन खेलों के लिये क्या सामग्री उपयुक्त है इस दृष्टिकोण से देखिये। गांवों की स्कूलों में चले जाइये। हजारों स्कूलें ऐसी नजर आवेंगी कि जहां बच्चों को खेल के लिए स्थान और साधन नहीं दिये जाते। आज खेलों का महत्व छोटे बच्चों के लिये कम नहीं है। यहां तक कि खेलों ही के माध्यम के द्वारा शिक्षा दी जा सकती है। दूसरे देशों में आज खेलों के साथ साथ उन बच्चों की रुचि जिस खेल के प्रति अधिक हो उसको माध्यम बनाकर उन्हें शिक्षा दी जाती है, उनका विकास किया जाता है। जिस चीज को बच्चे तोड़ते हैं, उठाते हैं, बनाते हैं, उछालते हैं और इस रूप में जो मनोरञ्जन वे करते हैं उसका वैज्ञानिक अध्ययन करके उन बच्चों को इन्हीं खेलों के दौरान में शिक्षा देते हैं और उनका विकास करते हैं। तो यह सबसे बड़ा काम प्राइमरी स्कूलों में हो सकता है। इस दृष्टिकोण से अगर आपके

(श्री मुरलीधर व्यास)

पास उनको शिक्षा देने के लिये पैसे की कमी भी हो तो दूसरी जगह जहां आप खर्च करते हैं, कुछ कम करिये। यह देश के लाभ का, उसके उत्थान का बहुत बड़ा काम है। इसे प्राथमिकता देनी चाहिये और इस काम में ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिये। लोग अलग अलग मांगें करते हैं, पर सही माने में जिस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता हो, जो देश के लिये लाभकारी हो उसको प्राथमिकता अवश्य दी जानी चाहिये। आप अन्दाज लगाइये। अगर आप १२ हजार शिक्षकों को जो वेतन देते हैं १।। करोड़ में से जो ७० लाख होता है और दूसरा पैसा आप दूसरे कामों में लगाते हैं और इसमें से सौ सौ रुपया भी माहवार के हिसाब से एक एक स्कूल को भी दिया जावे तो इतने ही रुपये स्कूलों में काम चलाने के लिये, उनकी उन्नति के लिये लगाये जा सकते हैं।

आज कई प्राइमरी स्कूलें ऐसी हैं जहां बच्चों को पानी पिलाने की व्यवस्था तक नहीं है। उनको पानी पीने के लिये घर जाना पड़ता है, यह कोई छोटी बात नहीं है। तीन रुपया माहवार दे दो आप, उनका प्रबन्ध हो जावेगा। दूसरी जगह पर तो उनको खाने-पीने तक की सुविधा दी जाती है। महात्मा गांधी ने विद्या मन्दिर स्कीम के नाम से १९४७ में बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयोग प्रारम्भ किया था। इसमें यह दृष्टिकोण रक्खा गया था कि श्रम के माध्यम से, खेल के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जावे। मध्यप्रदेश में गांधीजी ने ऐसी कुछ स्कूलें चलाई थीं। उन्होंने यह किया था कि हर गांव के अन्दर कम से कम २०–२५ एकड़, जिससे शिक्षक अपने जीवन का निर्वाह कर सकें, जमीन दे दी जाय, उस जगह पर वे रहें और वहां विद्यामन्दिर बने; उन विद्यामंदिरों में बच्चे शिक्षा पाने के लिए आयें और उनको वहां हस्तकला की तालीम दी जाय। आज जब बुनियादी तालीम का प्रश्न आता है, तो मैं समझता हूं कि जब तक इसके लिए कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जावेगा, जब तक हजारों शिक्षकों के लिए कोई ट्रेनिंग स्कूल्स नहीं खुलेंगे, वर्धा में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसके आधार पर उनमें ट्रेनिंग नहीं दी जावेगी, तो तालीमी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा सफल नहीं होगी और उसकी सफलता के लिए अनेक सेन्टर्स कायम करने पड़ेंगे; हजारों शिक्षकों को एक-एक, दो-दो साल के लिए ट्रेन्ड करना पड़ेगा और उसके बाद ऐसा कर सकते हैं, यदि हमारे पास साधन न हों, बजट में पैसा न हो, तो उन शिक्षकों के निर्वाह के लिए, साधन उपलब्ध करने के लिए उनको जमीन देनी पड़ेगी। आज राजस्थान में काफी जमीन पड़ी हुई है और हम आसानी से इस स्कीम को राजस्थान के अन्दर प्रारम्भ कर सकते हैं। यदि हमने राजस्थान में इस स्कीम को प्रारम्भ किया तो हम हिन्दुस्तान के सामने भी एक नया मार्ग रख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने जो तालीमी शिक्षा देश के सामने रखी थी उसको राजस्थान में प्रारम्भ किया गया है और इस तरह प्रारम्भ की जायगी तो बजट में जो पैसे की कमी है, शिक्षकों को पूरा वेतन नहीं दे सकते हैं; बच्चों को पूरे साधन नहीं दे सकते हैं, तो इससे तो उसकी पूर्ति होगी और उससे लाभ होगा।

प्राइमरी स्कूल्स के लिए एक बात और भी कहना चाहता हूं। प्राइमरी स्कूल्स में

(श्री मुरलीधर व्यास)

बच्चों के लिए कहीं डबल शिफ्ट चलती है और उसमें भी भेदभाव होता है। जयपुर के अन्दर प्राइमरी स्कूल्स हैं, यहां सिन्धी बच्चे भी पढ़ते हैं। यहां ए. और बी. सेक्शन से पढ़ाई होती है। गर्मी के दिनों में 'ए' सेक्शन सवेरे के टाइम पर आता है और सर्दी के टाइम पर वही 'ए' सेक्शन जो आना चाहिए सवेरे के टाइम पर सवेरे न आकर दोपहर के टाइम में आता है। यह भेदभाव की बात मेरे सामने रखी गई है। शिक्षा विभाग में भेदभाव कैसा ? सिन्धी बच्चे जहां पढ़ते हैं उनके साथ ऐसा भेदभाव करें कि वे सर्दी में सुबह आयें और गर्मी में दोपहर को आयें; जो सर्दी में सुबह आने चाहिए वे दोपहर को आयें ? यह भेदभाव स्कूलों में हो तो बुरी चीज़ है और मैं समझता हूँ कि सिन्धी लेंग्वेज है, जहां तक सिन्धी का सवाल है, सिन्धी भाषा का सवाल है वह उठ गई। सारे लोग दूसरे इलाके में आ गये। सिन्धी लेंग्वेज़ और सिन्धी कल्चर की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सिन्धी एक लेंग्वेज़ है उस दृष्टिकोण से नहीं, सिन्धी लेंग्वेज़ के साथ हमारा एक कल्चर है, सिन्ध समाप्त हो जाने के बाद वह समाप्त न हो जावे, उसका प्रयत्न करना चाहिये। इसी प्रकार के बच्चे कई स्थानों पर उर्दू भाषा के हैं.......

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of order, Mr. Speaker, sir, उनका कटौती का प्रस्ताव है स्कूलों में आवश्यक साधन.........

श्री मुरलीधर व्यास : प्राइमरी स्कूलों के लिए साधन.......

श्री जनार्दनराय नागर : साधन और भाषा से क्या सम्बन्ध है ?

श्री मुरलीधर व्यास : मैं समझता हूं कि थोड़ा सा मतभेद है। प्राइमरी स्कूलों में यह भी एक साधन है।

श्री अध्यक्ष : हर चीज़ साधन बनें।

श्री जनार्दनराय नागर : साधन और भाषा दोनों अलग हैं अलग।

श्री अध्यक्ष : जल्दी खत्म करिये।

श्री मुरलीधर व्यास : तो यह जो सवाल यहां आया, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कल्चर के रूप में, साधन के रूप में दिया बच्चों का विकास हो सके तो यह आवश्यक चीज़ है। यदि विकास की ओर थोड़ा ध्यान नहीं रखेंगे तो यह भाषा कल्चर, जो सदियों से हमारे देश में फैली वह उठ न जाय, यह कहना चाहता हूं।

अधिक न कहकर मैं प्राइमरी स्कूल्स के शिक्षकों के वेतन के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं।

(घंटी)

अगर साधन के रूप में जैसा बजट में रखा गया है ७५) रु. माहवार शिक्षकों को दिया जाय तो १२ हजार शिक्षकों के लिए १ करोड़ ८ लाख रुपया होता है। राजस्थान इतना खर्चा कर देता है। राजस्थान सरकार यह घोषणा कर दे कि प्राइमरी स्कूल का शिक्षक चाहे जहां राजस्थान में काम करता हो तो उसको कम से कम ७५) रु० मासिक मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह एक बड़ी

Page No.48

(श्री मुरलीधर व्यास)

घोषणा होगी। जिन शिक्षकों को वेतन लेने के लिए असुविधा होती है,

(घंटी)

जिनको दूर दूर तक वेतन लेने के लिए जाना पड़ता है अगर वह वेतन वहीं मिलने का प्रबन्ध हो तो अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री लच्छूराम।

श्री लच्छूराम (मंडावा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव है, कि मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक २७–शिक्षा में १ रु० की कमी की जाय (पाठ्य पुस्तकों के सिलसिले में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में)"

जैसा कि दूसरे माननीय सदस्यों के द्वारा भी यह चीज सदन के सामने आ चुकी है कि पाठ्यपुस्तकों में किस प्रकार अनियमितताये बरती जा रही हैं, उनके प्रकाशन में और उनके सिलेक्शन के बारे में किस प्रकार अनियमितताये बरती जा रही हैं; वास्तव में प्रशासन में जो अनियमिततायें हो रही हैं वे ठीक हैं कि ज्यादा कमीशन देने वाले प्रकाशकों को छोड़ दिया जाय और दूसरे प्रकाशकों को, जिससे सरकार को हानि होती है, उनको प्रकाशन दे दिया जाता है। यह सरकार और जनता दोनों की ही हानि है। सबसे बड़ी अनियमितता जो पाठ्य पुस्तकों में की जाती है उसका मूल कारण है कि पाठ्यक्रम जो निर्धारित किया जाता है, जो स्कूलों में पाठ्यक्रम लागू किया जाता है उसमें अध्यापकों का सही प्रतिनिधित्व नहीं होता है। मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखूं कि अध्यापकों का पूरा प्रतिनिधित्व उस समिति में न होने से कितने छात्रों को नुकशान उठाना पड़ता है। प्राइमरी कक्षाओं के लिये जो पाठ्यक्रम हैं वह इतना ऊँचा रखा गया है कि प्राइमरी कक्षाओं के छात्र उसको समझते नहीं। पहले तो, पहले पहले जब लड़के स्कूलों में भर्ती हुआ करते थे तो "अ" और "ब" दो कक्षाएं हुआ करती थीं, लेकिन आज जो छात्र प्राइमरी स्कूलों में भर्ती होते हैं, घर से सीधे बच्चे स्कूलों में भर्ती होते हैं तो उनको कक्षा १ में भर्ती कर दिया जाता है और कक्षा एक में विषय है 'सामान्य विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, उद्योग, ललित कला और चित्र कला'। जब बच्चे पहल पहले घर से निकल कर स्कूल में जाते हैं तो उनके सामने ऐसे विषय आते हैं और जब बच्चे को 'क' लिखना ही नहीं आता है तो उनके लिये इन विषयों की जानकारी रखना असंभव है और इस प्रकार का नमूना कक्षा पांच तक है।

श्री जनार्दनराय नागर : On a point of order, Mr. Speaker Sir. आपका जो कट मोशन है, वह है पाठ्य पुस्तकों के सिलसिले में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में। आप जो कह रहे हैं वह अनियमितताओं के बारे में नहीं कह रहे हैं किन्तु आप दूसरी बातें रख रहे हैं कि पाठ्यक्रम इस प्रकार से है। पाठ्यक्रम से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री लच्छूराम : मेरा जो कहने का तात्पर्य है वह यह है कि अध्यापकों को कमेटी में नहीं रखा जाता है इस, कारण से ये अनियमिततायें हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : Mr. Speaker, Sir, this is not any irregularity

Page No.49

(श्री जनार्दनराय नागर)

to be considered in the text-books. It may be a difference of opinion wheather a subject should be taught in primary school or at an earlier stage. But that is not an irregularity which he is pointing out.

श्री लच्छूराम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, शायद मुझे शंका है कि समय थोड़ा है और उनकी बोलने की इच्छा है, बोलने की कोशिश करते होंगे।

तो मैं कह रहा था कि अध्यापकों का पूरी तौर पर पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय प्रतिनिधित्व न होने से ये अनियमिततायें हो रही हैं। पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को मिला कर एक समिति बनाई जाय और जो पाठ्यक्रम वह बनाये, वह लागू करे और इसी प्रकार से मिडिल तक स्कूलों के लिये भी। जिस स्टेन्डर्ड की किताबें रखी जांय तो उस स्टेन्डर्ड के अध्यापकों को उसमें लिया जाय।

यह मेरा सुझाव है कि प्राइमरी स्कूलों का पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का सही प्रतिनिधित्व लिया जाना चाहिये और मिडिल कक्षाओं की किताबें निर्धारित करते समय मिडिल कक्षाओं के अध्यापकों का पूरा प्रतिनिधित्व होना चाहिये। प्रकाशन में होने वाली अनियमितताओं के बारे में कई सदस्यों ने कहा है, वे अनियमिततायें नहीं होनी चाहिये। अब मैं ज्यादा नहीं कहूँगा। मेरा सुझाव है कि पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय अध्यापकों का ध्यान रखा जावे।

मेरा दूसरा प्रस्ताव है प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने के लिये। आज राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। यदि प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य नहीं करते हैं तो राजस्थान को शिक्षित बनाने में बहुत समय लगेगा। इसलिये सरकार से मेरा अनुरोध है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया जावे। समय की कमी के कारण माननीय सदस्य बीच में रुकावट पैदा करते हैं इसलिये मैं अधिक नहीं कहना चाहता।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो कट मोशन्स हैं। मैं उन पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मेरा पहला विश्वविद्यालय के बारे में कट मोशन है उसको मैं मूव करना चाहता हूं और उसको मूव करने के साथ राधाकृष्णन रिपोर्ट के दो पैराग्राफ्स पढ़ना चाहता हूं। इससे मेरा लक्ष्य साफ हो जाता है। श्री राधाकृष्णन युनिवर्सिटी कमीशन के चेयरमेन थे और मेरी सूचना है कि उनकी रिपोर्ट को गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया ने मन्जूर कर लिया है। इससे आप महसूस करेंगे कि राजपूताना युनिवर्सिटी का पुनर्गठन कितना जरूरी है। राधाकृष्णन रिपोर्ट कहती है :

"Great as were the changes that had taken place in the political and economic conditions of Indian society in the years that preceded the transfer of power on August 15, 1947, considerable as was the progress in education during that period, they are less great than the changes that have been crowded into these few months of freedom. The academic problem has assumed new shapes

Page No.50

(श्री जनार्दनराय नागर)

We have now a wider conception of the duties and responsibilities of Universities They have to provide leadership in politics and administration, the professions, industry and commerce. They have to meet the increasing demand for every type of higher education, literary and scientific, technical and professional. They must enable the country to attain, in as short a time as possible, freedom from want, disease and ignorance, by the application and development of scientific and technical knowledge. India is rich in natural resources and her people have intelligence and energy and are throbbing with renewed life and vigour. It is for the universities to create knowledge and train minds who would bring together the two, material resources and human energies. If our living standards are to be raised, a radical change of spirit is essential.

"He indeed must be blind who does not see that, mightly as are the political changes, far deeper are the fundamental questions which will be decided by what happens in the universities. Everything is being brought to the test of reason, venerable theologies, ancient political institutions, time honoured social arrangements, a thousand things which a generation ago looked as fixed as the hills. If India is to confront the confusion of our time, she must turn for guidance, not to those who are lost in the mere exigencies of the passing hour, but to her men of letters, and men of science to her poets and artists, to her discoverors and inventors. These technical pioneers of civilization are to be found and trained in the universities, which are the sanctuaries of the inner life of the nation."

अध्यक्ष महोदय, इन दो पेराग्राफ्स के अलावा इस कट मोशन के बारे में कुछ नहीं कहना है। मैं राजस्थान सरकार से आपके जरिये यह मांग करना चाहता हूँ कि राजपूताना विश्वविद्यालय एक्ट एक प्रतिगामी और स्थिर एक्ट है। उसके जीवन की एक कहानी है। राजस्थान सरकार ने कुछ वर्ष पहले इसे बना कर विश्वविद्यालय पर लागू किया। अब समय आ गया है जब इसे बदलना चाहिये। मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार हायर सेकेन्ड्री बोर्ड बनाने का बिल ला रही है। अब स्थिति ऐसी आ रही है कि सरकार को इस एक्ट को बदलने का कदम उठाना पड़ेगा। मैं सूचना के लिये कहना चाहता हूं कि जो नयी नयी बातें राधाकृष्णन कमीशन की रिपोर्ट में बताई गई हैं उनको ओर यहां पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। जहां तक ओरिएन्टल फेकल्टी बनाई है उसमें २०,००० रुपयों को लेकर कदम रुका हुआ पड़ा है। आज न कोई नया दृष्टिकोण है और न इसमें कोई प्रेरणा के लिये गुंजाइश है। इसके पदाधिकारी पुराने हैं। राजस्थान में उच्च बातों की मांग के लिये जैसा कि राधाकृष्णन रिपोर्ट में बताया गया है, उनकी पूर्ति करने में यह सब तरह से असमर्थ है। इसलिये मैं सोचता हूँ कि इस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर

Page No.51

(श्री जनार्दनराय नागर)

पुनर्गठन करने की स्थिति आ गई है। विश्व विद्यालय की समस्या हमारी सबसे आवश्यक समस्या है। हमारी सबसे पहली समस्या है यह सदन। प्रजातंत्र के लिये इस सदन की पहली आवश्यकता है और इसके बाद राजस्थान की जनता की शिक्षा-दीक्षा के लिये यदि कोई संस्था है तो वह राजपूताना विश्वविद्यालय ही हो सकता है। इस सदन को मैं पहला मंदिर मानता हूं और राजस्थान का आत्म लाभ करने के लिये दूसरा मंदिर मानता हूं यदि किसी को तो वह राजस्थान विश्वविद्यालय है।

दूसरा मेरा कटमोशन है हिन्दी, अरबी, उर्दू और संस्कृत पढ़े हुए उपाधिकारी अध्यापकों के बारे में। यह दुर्भाग्य की बात है कि हिन्दी, उर्दू और संस्कृत की उपाधियां जिन लोगों ने प्राप्त की हैं उनको एक अंग्रेजी पढ़े हुए अध्यापक के मुकाबले में बहुत कम तनख्वाह मिलती है। संस्कृत के एक आचार्य को एम. ए. पास के मुकाबले में कम तनख्वाह देना सरकार अन्याय नहीं समझती है। हाई स्कूलों में बी. ए. पास अध्यापकों को अनुकूल तनख्वाह मिलती है लेकिन हिन्दी संस्कृत का विषय लेकर फिर बी० ए० पास करने वाले अध्यापकों को ग्रेजुएट ग्रेड न देकर इन्टर मेट्रिक या मिडिल ग्रेड ही दिया जाता है। सरकार या तो उनको भी ईमानदारी से मान्यता दे वरना उनको शाब्दिक मान्यता देकर इन्टर, मेडिल ग्रेड देना उनके साथ अन्याय है। उनसे वही काम नहीं लिया जाता जो बी. ए. पास से लिया जाता है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, इसलिये मैंने यह कट मोशन दिया है ताकि यह विषमता दूर की जाय।

यह कहा जाता है कि इन उपाधियों के पीछे खोखलापन है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि खोखलापन विश्वविद्यालय की डिग्री में भी है। विश्वविद्यालयों में हजारों की संख्या में पर्चे आउट होते हैं और आप मानते हैं कि टैक्स्ट बुक्स जैसा व्यापार होता है वह विश्व विद्यालयों के जरिये होता है। यह दलील इधर दी जाती है तो उधर भी योग्यता के साथ दी जा सकती है। यदि सरकार इस दलील से ऊपर उठकर सैकड़ों हजारों नौजवान उपाधिधारियों के प्रति न्याय करती है और मान्यता देती है तो सरकार एक प्रकार से अपनी ही समस्या हल करेगी। हिन्दी में विशारद, उर्दू में आलिम फाजिल आदि जो हैं उनको बी. ए. या उसके बराबर की डिग्री के बराबर मानकर इस समस्या को हल किया जायगा तो जो शिक्षक हैं उनकी समस्या हल हो जायगी। लेकिन मेरी सूचना है कि इन उपाधिधारियों को समाज शिक्षण कार्य में नहीं लेंगे ! यदि उनको समाज शिक्षण कार्य में भी नहीं लेंगे तो यह उनके साथ अन्याय नही है। इसलिये यह कट मोशन रखा है ताकि इस बारे में स्पष्ट बात कह दूं। केवल शाब्दिक मान्यता से कुछ नहीं होने का है, जब तक कि व्यावहारिक मान्यता नहीं दी जाती।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय,.......

श्री श्रीमानसिंह : What happened to the other cut-motions ?

श्री अध्यक्ष : We have decided

(श्री अध्यक्ष)

that we have to give some time for the Education Minister to reply. It is no use putting all the cut-motions and not getting any reply to the cut-motions.

श्री श्रीमानसिंह : Is guillotine to be applied from 1.20 ?

श्री अध्यक्ष : I had suggested to the House that we should give atleast half an hour to the Hon'ble Minister to give a reply, and the other cut-motions will not be put.

श्री श्रीमानसिंह : May I rise on a point of order ?

श्री अध्यक्ष : Since no one had objected to it I thought it was the sense of the House.

श्री अर्जुनदास : We were not consulted at all.

श्री अध्यक्ष : If you insist on speaking without getting any reply I will have no objection, but then you will not get any reply.

श्री अर्जुनदास : But our prerogative also is to speak. Just I want to speak...

श्री श्रीमानसिंह : There are other cut motions and so many speakers want to speak. As regards guillotine, imay I draw your attention to Rule 162 ?

श्री अध्यक्ष : I am ware of that.

श्री श्रीमानसिंह : Then, Sir, we have not discussed the budget for 15 days and it is clearly laid down......

श्री अध्यक्ष : I had suggested a little variation in the procedure in the hope that the members of the House will raise some points and would like to have some reply. If they do not want any reply, I do not mind giving the members permission to speak.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय सदस्य का कटमोशन है क्या ?

श्री श्रीमानसिंह : किसी कट मोशन को सपोर्ट तो कर सकते हैं साहब ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि हम लोगों को अधिकार हो जवाब देने का, भले ही माननीय सदस्य कह दें कि आवश्यकता नहीं है, जो कटौती प्रस्तावों में आक्षेप में लगाये जावें उनका जवाब देने का हमें भी अधिकार है ।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : अध्यक्ष महोदय, सदस्यों को अपने कटमोशन मूव करने का तो समय दिया जाय । हर कट मोशन के लिए पांच पांच मिनट निश्चित कर दें यह दूसरी बात है ।

श्री तनसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर,

(श्री तनसिंह)

सर, रूल १६५ में डिमाण्ड्स फोर ग्रान्ट्स के लिए १५ दिन का समय दिया हुआ है। यह जो गुलेटिन लगाये जाने का निर्णय हुआ है, यह ठीक नहीं है, इस विषय में कोई आपकी व्यवस्था नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : But that had been done on the advice of the business Adivsory Committee and we can, not go back upon it.

श्री श्रीमानसिंह : Under which provisions of the Rules can the Business Adivsory Committee......

श्री अध्यक्ष : That cannot be discussed here.

श्री तनसिंह : बिजनेस एडवाइज़री कमेटी इसको डिस्कस नहीं कर सकती। रूल १६२ की तरफ में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं उसमें ग्रान्ट के लिए १५ दिन का समय दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : १५ दिन तक। यह लाजिमी नहीं है कि १५ दिन में डिस्कशन खत्म किया जाय।

श्री अर्जुनदास : I would like to suggest that we are not unnecessarily wasting our time. You may check us only if we are wasting the time of the House. But even for speaking we have had no opportunity, then the question of wasting the time does not arise.

श्री अध्यक्ष : दो बजे तक कट मोशन पर बहस चलेगी, उसके बाद में उत्तर होगा। श्री मनोहर कोठारी।

श्री अर्जुनदास : Education and Police both.

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

श्री तनसिंह : दो ग्रान्ट विशेष रह गई हैं एक तो पुलिस, इस पर आधा दिन रखना आवश्यक था। मेरी समझ में नहीं आता कि बिजनेस एडवाइज़री कमेटी का इससे कोई ताल्लुक है। इसमें तो आपको स्वयं निर्णय करना होता है और इसका सम्बन्ध लीडर ऑफ दी हाउस से रहता है। बिज़नेस एडवाइज़री कमेटी में इस प्रकार का प्रश्न पैदा नहीं होगा। पुलिस की ग्रान्ट एक महत्वपूर्ण ग्रान्ट है। पुलिस वाले ज्यादती और बदमाशियां करते हैं। इसके लिए समय मिलना चाहिये। जब दूसरी ग्रान्ट पर विचार विनिमय हुआ है तो पुलिस क्यों अछूती रह जाय। इसलिए हमें समय मिलना चाहिये जिससे इस पर भी बहस कर सकें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं, कि गुलेटिन एप्लाई करने की बात आज नहीं खड़ी हुई, इस पर पहले ही निर्णय किया जा चुका है। और यह सदन की जानकारी में था। अगर दूसरे आइटम ऐसे थे जिन पर माननीय सदस्य बहस करना चाहते थे, तो माननीय सदस्य शिक्षा पर कम बहस कर सकते थे, जिससे कि दूसरे आइटम्स पर दो बजे तक बहस की जा सकती। और दो बजे के बाद गिलेटीन एप्लाई किया जा सकता।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह

(श्री तनसिंह)

क्या हमारे हाथ की बात है ? जब प्रश्न रखा गया तो उस पर बहस तो होती ही है, किसी का मुंह बन्द नहीं किया जा सकता। शिक्षा एक महत्वपूर्ण मामला है, आप स्वयं जानते हैं शिक्षा हमको शिक्षण देती है, आगे विकास करती है। पुलिस डंडे लगाती है। डंडे लगाने से ज्यादा दर्द होता है, इसलिए पुलिस ग्रान्ट पर विचार करना जरूरी है। इसलिए पुलिस ग्रान्ट को जरूर लिया जाना चाहिये।

श्री अर्जुनदास : According to Rules, Sir, not more than two days time can be given for each demand but here we are not being given some little time. I have not had even a few minutes for education and police. I want to speak on education and also on police. The Hon'ble Leader of the House just now said that members should have spoken less on other demands. That was not within my control. How can I control the right of other members to speak if I want to speak ?

It is not within my powers to request anybody. Because I want to speak, I cannot request other members not to speak. I cannot prevent any Hon'ble Member, Sir, from speaking. I must be given my right to speak. I am interesting in speaking on Education, and if you see me wasting the time of the House, you can prevent, you can ask me to resume my seat. If I am not wasting the time of the House, and if I speak to the point, it may be a matter of indifference to the Treasury Benches, but I should be allowed to speak. The budget is for 15 days' discussion and we should be given full opportunity to discuss it. I request you kindly not to apply the guillotine at this stage, Sir.

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि मेरे सुझाव में एतराज न हो, तो स्वीकार कर लें और टाइम की बाधा लगा दी जाय। उसके मुताबिक हर एक कट मोशन के लिए मेम्बर को पांच-पांच मिनट का समय दिया जाय, जिससे कि महत्वपूर्ण बातें कही जा सकें।

श्री अध्यक्ष : दो बजे तक पांच-पांच मिनट का समय दिया जाय, आपका यह मतलब है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक मांग के ऊपर ५ मिनट, १० मिनट दिये जाते हैं, इतना समय और लग सकता है। मैं समझता हूँ कि कम से कम पांच मिनट का समय तो और मिलना चाहिए; दो बजे तक, तीन बजे तक। माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि दो बजे जो गिलोटीन एप्लाई करना है, वह न करें।

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय अध्यक्ष, उधर बैठने वाले सदस्यों को टाइम दिया जाता है और इस तरफ बैठने वाले सदस्यों के साथ पांच मिनट की बात होती है, यह मैं दो-तीन दिन से महसूस कर रहा हूँ। उस तरफ बैठने वाले सदस्यों को काफ

(श्री जनार्दनराय नागर)

समय दिया जाता है। जब इधर बैठने वाले सदस्यों को समय देने की बात होती है तो पांच–दस मिनट में समाप्त करने की बात होती है।

श्री श्रीभानसिंह: On a point of explanation, Sir, every member is eager to know whether the guillotine will be applied at two or not ? This point should be clarified.

श्री अध्यक्ष : It is too late in the day to reconsider that. We have already reconsidered the business of the House more than once and I do not think we can do it at this stage again.

श्री श्रीभानसिंह : At what stage could the House oppose to the guillotine when it did not come up before the House earlier. It is now said that the guillotine will be applied and it is only now that the House can object. I would like to bring it to your notice that there should be nothing of that sort, Sir. It depends upon you to be kind and generous to this House.

रावराजा श्री सरदारसिंह : आज का दिन और दिया जाय, कल गिलोटीन लगा दी जाय।

श्री सोहनलाल भटनागर : अध्यक्ष महोदय, डिमान्ड के लिए दो दिन रखे थे, उसके बावजूद दो दिन बढ़ा दिये गये। रूल १६२ में १५ दिन लिखे हुए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि १५ दिन तक डिस्कशन चले। अभी तक काफी समय मिल गया है। उसके बाद सब–क्लॉज़ में बिल्कुल साफ है कि जो टाइम गिलोटीन के लिए रखा गया है, उसी समय गिलोटीन एप्लाई किया जायगा, समय एक्सटेंड नहीं किया जायगा। इसमें वर्ड "Shall" है। मैं समझता हूँ काफी समय मिल गया है, अब गिलोटीन एप्लाई करना बहुत आवश्यक होगा।

श्री अध्यक्ष : गिलोटीन के बारे में कार्य सूची में लिखा था और वह कार्य सूची १७ तारीख को भेज दी गई थी। १७ तारीख के बाद में काफी मौका था इसके बारे में कहने का। दूसरी बात है कि बिजनेस एडवाइज़री कमेटी मे सभी दल के मेम्बर होते हैं। वे अगर किसी बात में ज्यादा समय लेना चाहते, तो वहां कह सकते थे। अब जो दो बजे गिलोटीन एप्लाई करने के लिए समय निश्चित कर दिया है, उसको बार बार बदलने में दिक्कत होगी। दो बजे के बाद गिलोटीन एप्लाई होगी, उसके पहले जितने कटौती प्रस्ताव लिये जा सकते हैं, उन पर विचार किया जायगा। श्री मनोहर कोठारी।

श्री मनोहर कोठारी: माननीय अध्यक्ष....

श्री तनसिंह : बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में सभी दल के मेम्बर हैं, यह बात नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : जवाब, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : दो बजे के बाद।

श्री मनोहर कोठारी (कुम्भलगढ़) : माननीय अध्यक्ष, I beg to move, "That the Demand No. XIV, Major Head 37-Education be reduced by Rs. 100/- (to discuss the inefficiency of the teachers and consequently indiscipline amongst the students)"

माननीय अध्यक्ष, यह एक ऐसी राष्ट्र-व्यापी समस्या है कि जिसके सम्बन्ध में हम आये दिन बड़े से बड़े नेताओं के मुंह से सुनते हैं कि विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता है और साथ ही विद्यार्थियों पर इस बात का दोषारोपण किया जाता है सच्चाई यह है कि आज विद्यार्थियों के सामने कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं होने से वे अनुशासनहीन हो गये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, कि हम यदि गहराई में जाकर इस बात को सोचने का प्रयत्न करें कि आखिर यह अनुशासन की कमी, जिसकी जिम्मेदारी विद्यार्थियों के सिर पर थोपने का प्रयत्न करते हैं, उसकी जिम्मेदारी किस पर है? इतिहास बताता है कि हमारे देश में आजादी के पहले विद्यार्थियों में काम करने वाले लोग देश को आजाद कराने के प्रयत्नों में भाग लिया करते थे और आजादी की प्राप्ति में भी विद्यार्थियों का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अनुशासनहीनता सम्बन्धी जो बातें आज हमारे सामने आती हैं उसका मूल कारण विद्यार्थियों के सामने कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं होना है। यदि उसका सबसे बड़ा जिम्मा किसी पर डालें तो वह जिम्मा हमारी सरकार के ऊपर होगा। इसका कारण साफ है। आज हमारे देश में राष्ट्रपति से लेकर बड़े बड़े शिक्षा शास्त्री कहते सुने जाते हैं कि हमारी शिक्षा-पद्धति खराब है, हमारी परीक्षा प्रणाली खराब है, और इसलिए इन सब चीजों को बदलना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है देश का, इस शिक्षा पद्धति को खराब मानते हुए यह स्वीकार करते हुए कि परीक्षा प्रणाली खराब है हमने कोई ऐसा वैज्ञानिक विकल्प प्रस्तुत नहीं किया। नतीजा यह होता है कि विद्यार्थियों में यह भावना घर कर गई है कि जब हमारे देश के बड़े बड़े नेता स्वीकार करते हैं, शिक्षा शास्त्री यह मानते हैं कि शिक्षा पद्धति खराब है, परीक्षा प्रणाली खराब है तो फिर ऐसी शिक्षा प्राप्त करने से क्या लाभ?

बाप बच्चों को घर पर बैठने नहीं देना चाहते और वे कहते हैं स्कूल में जावो, स्कूल में शिक्षक कहते हैं शिक्षा पद्धति खराब है। यह बड़ी समस्या है वह क्या करें? यह अवस्था इसलिये पैदा हुई है कि न तो विद्यार्थियों के सामने कोई अन्य विकल्प रखा है और देश के सामने ही कोई विकल्प है और जो प्रयत्न इस दिशा में किये जाते हैं वह बड़े धीमे हैं और इनसे हमारे विद्यार्थियों में अनुशासन बढ़ाने में प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। इसके साथ ही हमारे स्कूलों में अधिकांश वे लोग ले लिये जाते हैं, जिनको सब विभागों के दरवाजे खटखटाने के बाद निराश होना पड़ता है। जो लोग अलग अलग नौकरियों में जाना चाहते हैं और सब जगह से निराश होजाते हैं वे ही इस गरीब परवर डिपार्टमेन्ट में आ कर चैन की सांस लेते हैं। सब जगह से जो तिरस्कृत होते हैं वे आखिर में स्कूलों में अध्यापक नियुक्त किये जाते हैं। वे स्कूल में आते हैं तो जिन भावनाओं से प्रेरित होकर आते हैं उन्हीं भावनाओं का प्रतिबिम्ब उनके सामने पढ़ने वाले विद्यार्थियों पर पड़ता है। उदाहरण के तौर पर लीजिये, कच्ची मिट्टी किसी कलाकार के हाथ में सौंप दी जाय और उसे कह दिया जाय कि वह कलाकार उसे

Page No.57

(श्री मनोहर कोठारी)

देवता का रूप दे, अगर वह कलाकार एक्सपर्ट नहीं है तो देवता के स्थान पर राक्षस भी बन सकता है, इस बात की आशंका रहती है। जो अध्यापक वृन्द हैं उनके सबके बारे में नहीं कहता, पर कुछ अध्यापक हैं खास तौर से छोटे स्कूलों में अध्यापक हैं वे ऐसे हैं जिन्हें हम इनसफिशियन्ट कह सकते हैं। उनमें योग्यता की कमी होती है। इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे अध्यापकों में नेतृत्व की शक्ति समाप्त हो गई और यही कारण है कि हमारे विद्यार्थियों में आज अनुशासनहीनता है। अभी कुछ समय पहले कोटामें इसी प्रकार की एक दुखद घटना हुई, एग्जामिनेशन हाल में एक लड़के को नकल करते हुए पकड़ा गया, दूसरे दिन उसने इन्विजिलेटर पर छुरे से हमला किया, यह प्रान्त के लिए शर्म की बात है। पर हम इसके मूल कारण को क्यों नहीं ढूंढते कि ऐसी घटनाओं का उत्तरदायित्व किस पर है। जहां अध्यापकों का प्रश्न है, वहां यह बात भी सत्य है कि चरित्रवान् व्यक्ति दूसरे विभाग में जाने का प्रयास करते हैं क्योंकि वहां उनको पूरा वेतन मिलता है, अधिक सम्मान मिलता है....

श्री रामचन्द्र: ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर, सदन के सामने अध्यापकों पर इस प्रकार का दोष लगाना ठीक नहीं। चरित्र के विषय में इस प्रकार की बातें न कहिये। और बातें भले ही कहिये, पर चरित्र के विषय में न कहिये।

श्री मनोहर कोठारी: माननीय अध्यक्ष तो मैं अर्ज कर रहा था कि इन सब बातों का कारण यह है कि जो लोग शिक्षा विभाग में आते हैं वे लोग बहुत परेशान होते हैं, उनको आर्थिक कठिनाइयां होती हैं या ऐसे लोग इस क्षेत्र में आ जाते हैं जिन्हें आजीविका के लिये उपकरण भी उपलब्ध हो और अपनी आगे की परीक्षाओं में भी बैठ सकें। जब परीक्षाओं के दिनों में अध्यापक अपनी परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं उसकी तैयारी में लगते हैं तो वे उन दिनों में विद्यार्थियों को कैसे पढ़ा सकते हैं। परिणाम यह होता है कि विद्यार्थियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त वेतन कम दिये जाने के कारण अध्यापक कोई कान्ट्रेक्ट करते हैं या ट्यूशन करते हैं इसी कारण लड़कों में गुरु भक्ति की भावना का अभाव रहता है। जैसे किसी दूसरी चीज को पैसे देकर खरीदा जा सकता है उसी तरह जहां पैसा देकर शिक्षा खरीदी जाती हो वहां विद्यार्थियों में गुरुभक्ति नहीं होना बिलकुल स्वाभाविक है। हमारे यहाँ सरकार ने ऐसा न किया है और कान्स्टीट्यूशन में भी व्यवस्था है कि हम सस्ती से सस्ती शिक्षा देना चाहते हैं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा देना चाहते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व हमने जनता से वादे किये थे कि सबको प्रारम्भिक निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य रूप से देंगे, पर सामन्ती युग में जो शिक्षा दी जाती थी, उससे भी मंहगी आज की शिक्षा है, इससे विद्यार्थियों के दिमाग में शंका पैदा हो गई है कि हमें अनिवार्य और सस्ती शिक्षा मिल नहीं सकती।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: इनएफिशियेन्सी आफ टीचर्स को डिस्कस करने के लिए माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव रखा है. उस सम्बन्ध में ही बोलें और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा समय लें, क्योंकि कटौती प्रस्ताव बहुत हैं।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि यह एक ऐसा टोपिक है जिसकी ओर किसी ने भी अब तक सदन का ध्यान आकर्षित नहीं किया। हमारे सामने बहुत अहम मसला है, आने वाली पीढ़ियों पर हमारे देश का भविष्य निर्भर है। जब हम शिक्षा पद्धति पर, परीक्षा प्रणाली पर विचार करने को खड़े होते हैं तो इस विषय पर ज्यादा विस्तार से विचार करना चाहिये। केवल यह कह देना कि फलां जगह स्कूल नहीं है, फलां जगह हाई स्कूल नहीं खोला, यही काफी नहीं है। शिक्षा प्रणाली बदलने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि केवल पुस्तकें बदल दी जायं।

श्री श्रीमान सिंह : On a point of order, Sir, may I remind that this is to discuss the inefficiency of teachers, शिक्षा की प्रणाली, एग्ज़ामिनेशन ये क्या इनएफिशियेन्सी ऑफ टीचर्स से रिलेट करते हैं?

श्री अध्यक्ष : Please be specific.

श्री मनोहर कोठारी : Yes, Sir.

माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करूंगा कि हमारे अध्यापकों में कमजोरी है उसका कारण यह है कि उन्हें तनख्वाह कम मिलती है और सरकार की ओर से व जनता की ओर से उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलता, जो लोग सब जगह से निराश होकर शिक्षा विभाग के दरवाजे पर आ जाते हैं उन्हें शिक्षा देने के लिए नियुक्त किया जाता है।

इसके लिए माननीय अध्यक्ष, सबसे पहले सरकार को जो कार्य करना चाहिये वह यह है कि शिक्षा के लिये जिन लोगों को लिया जाय वे पूर्ण अनुभवी हों, वे अध्यवसायी और चरित्रवान भी होने चाहिये। इसके साथ ही सरकार को यह भी करना चाहिये कि जो शिक्षा विभाग में शिक्षक होकर आते हैं उन पर परीक्षा देने सम्बन्धी रोक लगा दी जाय। दूसरे विभागों में काम करने वाले क्लर्कस के मुकाबले में इनकी तनख्वाहें ज्यादा कर दी जायं पर इन्हें परीक्षा देने की स्वाधीनता न दी जाय क्योंकि इस प्रकार परीक्षाएं देने की छूट के कारण विद्यार्थियों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है।

कई स्थानों पर तो अध्यापकों को अपनी जीविका चलाने के लिये पर्याप्त धन नहीं दिया जाता, इस कारण भी हम उनसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि वे हमारे बच्चों की तकदीर बनायेंगे और हमारे देश के लिये उन्हें योग्य कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय अध्यक्ष, मेरा कटौती प्रस्ताव है, "कि मांग संख्या १४ मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा में १ रु० की कटौती की जाय। (बांसवाड़ा जिले में स्कूल भवनों के लिए कोई भी रकम नहीं रखी गई है इस पर वाद-विवाद हेतु)"

बांसवाड़ा जिला आदिवासी क्षेत्र है। हमारे देश में जितनी उन्नति हो सकती है वह शिक्षा पर ही निर्भर करती है। बांसवाड़ा पिछड़ा हुआ आदिवासी क्षेत्र है और उस क्षेत्र में स्कूलों के भवनों के लिये कोई रकम नहीं रखी गई है। अगर उस जिले में शिक्षा की उन्नति नहीं हुई तो जिले की किसी तरह उन्नति नहीं हो सकती। वहां ८० पर्सेंट लोग गांवों में रहते हैं। गांवों में स्कूलों का कोई प्रबन्ध नहीं है। अध्यापकों की गलतियों के

Page No.59

(श्री नाथूराम)

लिये हम कहते हैं पर अध्यापकों की खामियां नहीं हैं, खामियां यह हैं कि हमारे वहां स्कूल भवन नहीं हैं, बच्चों के बैठने को जगह नहीं है। वहां सबसे पहली आवश्यकता यह है कि गांवों में स्कूलों के लिये भवन बनाये जायं। वहां पर वर्षा के दिनों में कई लड़के गीली जमीन में बैठते हैं और अधिकतर वहां पर वर्षा के समय में स्कूलें बन्द रहती हैं कारण की वहां पर कई स्थानों पर स्कूल भवन बने हुए नहीं हैं। यदि देखा जाए तो शहरों में अधिक रुपया लगाया जाता है और गांवों में नहीं लगाया जाता। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि पिछड़े हुए एरिया में स्कूलों के लिये ध्यान दिया जावे। एकतन्त्रीय शासनों के समय में स्कूलों की वहां पर बहुत कमी थी। देश आज़ाद होने के बाद वहां पर दशा कुछ सुधरी है मगर जिस प्रकार से उन्नति होनी चाहिए वह नहीं हुई। वह पिछड़ा हुआ एरिया है जहां मिडिल स्कूल हैं। वहां पर एक ही इन्टर कॉलेज है। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि हर तहसील हैड क्वार्टर पर एक हाई स्कूल होना चाहिये और वहां पर डिग्री कॉलेज के लिये मेरी आपसे प्रार्थना है। बागीदोरा खास में और जौलाना में मिडिल स्कूल हैं उनको हाई स्कूलों में परिवर्तित करने का मेरा सुझाव है और जो गढ़ी हाई स्कूल आदि चल रहे हैं उनको हायर सेकन्ड्री स्कूल और डिग्री कॉलेज बांसवाड़ा में खोला जाना चाहिये। अगर वहां पर डिग्री कॉलेज नहीं होगा तो कई निर्धन लड़के पढ़ने वाले वहां से एक सौ मील की दूरी पर पढ़ने के के लिये नहीं जा सकेंगे। इसलिये यदि बांसवाड़ा जिले की स्कूलों की शिक्षा की उन्नति नहीं हुई तो जिले की उन्नति नहीं होगी। वहां के लोग गांवों में श्रमदान जरूर करते हैं मगर अर्थ की कमी के कारण वहां की कई बिल्डिंगें अधूरी पड़ी हैं और सरकार की तरफ से उनको आर्थिक सहायता नहीं मिलने से पूरी नहीं कर सके हैं। गांवों के लोग वैसे ही सुना करते हैं कि कुछ रुपया सरकार की ओर से मिलेगा मगर नहीं मिलता। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरी सदन से प्रार्थना है कि बांसवाड़ा जिले में शिक्षा का उचित प्रबन्ध शीघ्र किया जाय।

श्री हरिश्चन्द्र (डग) : अध्यक्ष महोदय, I beg to move, "That the Demand No. XIV, Major head 37-Education be reduced by Re, 1/- (To discuss the inadequacy of Budget provision for games, play-fields. etc. in schools.)"

अध्यक्ष महोदय, समय इतना कम है कि इस विषय में ज्यादा कहूँ तो दो बजे से ज्यादा समय हो जाएगा और दो बजेसे गिलोटीन लग जाएगा। मैं मोटी मोटी बातें अर्ज करना चाहूंगा और वह यह है कि हमें शिक्षा विभाग को दो हिस्सों में बांटना चाहिये। किसी बच्चे को अगर शिक्षा दी जावेगी तो सिर्फ हम उसकी लिट्रेसी की तरफ, उसके ज्ञान बढ़ाने की तरफ ही जावेंगे इसके सिवाय हमारा कोई एम (aim) नहीं होगा। अगर हम उसकी फिजिकल ट्रेनिंग को निगलेक्ट करें तो मैं समझता हूं कि उसकी एक तरफ ही उन्नति होगी। इसलिये मैं यह चाहूंगा और राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि वे बच्चों के गेम्स की तरफ ज्यादा ध्यान दें और बच्चों में जो एक लीडरशिपकी क्वालिटीज होती हैं उनको गेम्स के द्वारा प्रोत्साहन दें। हम यह मान कर चलते हैं कि गेम्स फिजूल की चीज है। मैं यह निवेदन करूंगा कि बच्चों की शिक्षा के साथ साथ गेम्स एक बहुत आवश्यक चीज है

(श्री हरिश्चन्द्र)

और यदि इसमें हम ढील देते हैं तो ऐसी होती हैं जैसे एक मित्र ने कहा कि बच्चों में डिप्लिन नहीं है। मैं यह कहूँगा कि केवल पढ़ने से ही बच्चों में डिसिप्लिन नहीं होता। इसके लिये आपको ऐसी बातें रखनी पड़ेगी और वह गेम्स के द्वारा ही सीख सकता है। दूसरी बात यह की टीम स्पिरिट, एकता, युनिटी इत्यादि चीजें गेम्स के द्वारा ही सीख सकता है।

यदि किसी बच्चे में इनिशियेटिव नहीं है तो बच्चा किसी काम का नहीं। वह बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिये भी गेम्स की आवश्यकता है। मैं देखता हूं कि हर स्कूल में बच्चे १० बजे स्कूल जाते हैं और ५ बजे वापिस आ जाते हैं। उसके बाद उनको कोई पूछनेवाला नहीं। उनको कोई नहीं पूछता कि वे क्या करते हैं और क्या हो रहा है, तुम कहां हो? मैं यह कहूँगा कि गेम्स कम्पलसरी हो जाने चाहिये। सारी स्कूलों और कॉलेजेज़ में गेम्स सभी को सिखाया जावे। मैं एक बात और निवेदन करूंगा कि मैंने सुना है कि राजस्थान सरकार को ६० लाख रुपया किसी स्टेडियम बनाने के लिये दिया गया है, मगर अभी तक वह स्टेडियम नहीं बना है। मैं निवेदन करूंगा कि स्टेडियम ही एक ऐसी चीज है जहां राजस्थान के बच्चे जा सकते हैं और फिज़िकल ट्रेनिंग में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और यह एक जरूरी चीज एज्युकेशन में हो जाती है कि इसको बनाया जावे। अगर नहीं बना है तो इसको जरूर बनवाया जावे। इसकी बहुत जरूरत है।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि आपको राजस्थान के लिये एक बोर्ड बनाना चाहिये जिसके द्वारा जितने भी बच्चे हैं उनको फिजिकल कल्चर सिखाया जावे, इसके नियम सिखाये जावें। बच्चे गुल्ली-डन्डे का खेल खेलते हैं। यह भी एक खेल है, मगर मैं यह कहूँगा कि हमारे यहां के लडके इन्टरनेशनल स्पोर्ट में क्यों नहीं जाते? हाल ही में ओलिम्पिक गेम्स आस्ट्रेलिया में हुए थे। हमारे यहां पर भी बहुत टेलेन्टेड पर्सन्स हैं, मगर उनको कोई उत्साह नहीं मिलता, सरकार की तरफ से किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती इसलिये किसी भी तरह से भी वे बच्चे गेम्स में नहीं जा सकते और अपना ज्ञान नहीं बढ़ा सकते। मैं यह कहूंगा कि अच्छा हो अगर दो बोर्ड बनाए जावें। एक बोर्ड ऑल राजस्थान का और दूसरा डिविजन बोर्ड होना चाहिये और उसको चाहिये कि रिपब्लिक डे के दिन जितनी भी डिस्ट्रिक्ट की टीमें हों वे सब यहां इकट्ठी हों और जो भी गेम्स ओलिम्पिक में होते हैं वे सारे के सारे रिपब्लिक डे में होने चाहिये। मैं इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री से भी निवेदन करूंगा कि उनको भी इस अवसर पर हिस्सा लेना चाहिये जिससे हमारे बच्चे भी आगे बढ़ें और हमारी शिक्षा भी केवल किताबी कीड़ों की नहीं रहे, हमारे बच्चे भी इस तरफ से आगे बढ़ सकें। यही निवेदन करके मैं बैठ जाता हूँ।

श्री अध्यक्ष : अब सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर दिया जाएगा।

(श्री जनार्दनराय के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : मुख बन्द (Guillotine), आपको जो सर्क्युलेट हुआ है उसमें लिखा है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष, मैं इस मांग को लेकर ......

श्री तनसिंह : ओन ए पोइन्ट ओफ ऑर्डर, सर, माननीय अध्यक्ष, मैं आपका ध्यान रूल १६३ (३) की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जिसमें यह निहित किया गया है कि जिस वक्त गिलोटीन एप्लाई होने को है उस वक्त कोई उत्तर नहीं दे सकता। यदि यह रूल आप माननीय मंत्री महोदय के लिये रिलेक्स करते हैं तो हमारे लिये भी रिलेक्स होना चाहिये। उसका जवाब हमारी तरफ से भी होना चाहिये। अगर नियम हैं तो उन नियमों की ठीक रूप से पाबन्दी होनी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (१४) : अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय चीफ मिनिस्टर जवाब देंगे तो हमें भी जवाब देने का अधिकार (राइट) है। केवल उनको राइट रहता है और हमारे राइट्स पर एन्कोचमेंट होता है तो यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं तो बिल्कुल रिलेक्स करने के पक्ष में नहीं था; कुछ वाद-विवाद हुआ, उन बातों को ध्यान में रखते हुए यह सदन के समक्ष रखा है।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, अगर आप रिलेक्स करेंगे तो बड़ी खुशी होगी।

श्री अध्यक्ष : Relaxation only to the extent that the Minister will reply.

श्री तनसिंह : जब मिनिस्टर साहब अपने रिप्लाई का राइट एक्सरसाइज़ करते हैं तो फिर हमें भी प्रत्युत्तर देने का राइट मिलना चाहिए। आखिर मिनिस्टर साहब को कोई हक है तो हमें भी तो अधिकार है कि हम प्रत्युत्तर दें।

श्री अध्यक्ष : वह राइट एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं। वह तो कई माननीय सदस्यों ने चाहा था कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनका उनको उत्तर मिले, इसी कारण उनको उत्तर देने के लिए कहा गया है।

श्री भैरोंसिंह : लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम भी यह चाहते हैं कि जो अधिकार माननीय मंत्री महोदय को उत्तर देने का मिल रहा है वह उनको नहीं मिलना चाहिए क्योंकि दो बजे बाद गिलोटीन कर लेने के लिए कहा गया था और अगर उनको उत्तर देने का अधिकार दिया गया है तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी फिर प्रत्युत्तर का मौका मिलना चाहिए। हमारा जो अधिकार है वह हमको मिलना चाहिए।

२.१ म० प०

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का आश्चर्य होता है कि अभी कुछ समय पहले आपने यह स्पष्ट किया कि दो बजे तक कट-मोशन्स पर और बहस हो सकती है और उसके बाद में कटमोशन्स पर बहस बन्द हो जायगी और फिर उस पर सरकारी पक्ष की ओर से उत्तर दिया जायेगा। तो अब यह प्रश्न कैसे उठ सकता है कि मैं जवाब नहीं दे सकता? अब मैं अध्यक्ष महोदय, जवाब देना शुरु करता हूं।

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी समाप्त कर देंगे तो हम ही समाप्त हो गए।

(हंसी)

यदि माननीय मंत्री को जवाब देना है तो जब उनको यह अधिकार है तो हमें भी यह

(श्री तनसिंह)

अधिकार सुरक्षित रहना चाहिए। न तो यह कोई आवश्यक है कि हम उनकी बात सुनें और न ही उनको आवश्यकता है कि वह हमारी बात सुनें। मगर हम यह शिकायत करते हैं कि जब वह जवाब देते हैं तो हम भी प्रत्युत्तर देंगे। हमारी शिकायत के उपरान्त भी अगर आप कोई बात नहीं सुनना चाहते तो माननीय मंत्री महोदय को अधिकार है कि वह जवाब दें और इसके साथ ही साथ प्रत्युत्तर का अधिकार भी दूसरों को होना चाहिए। तो जिस एक्सटेन्ट तक ट्रेज़री बेन्चेज़ वालों के लिए रिलेक्स किया जा रहा है उतने एक्सटेन्ट तक ही..... ....

श्री अध्यक्ष : मैं आपको फिर बताऊं कि रिलेक्सेशन नहीं किया गया है। कई माननीय सदस्यों ने चाहा था कि उनकी बातों का जवाब उनको मिले। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ट्रेज़री बेन्चेज़ वालों के लिए रिलेक्सेशन किया गया है।

श्री तनसिंह : हमें एतराज इस बात का है कि रूल १६२ के सब रूल (३) का यहां इन्फ्रिन्जमेन्ट हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : अगर सदन के सदस्य नहीं चाहते कि उनको उनकी बातों का उत्तर मिले तो फिर हम गिलोटीन करने के लिए तैयार हैं।

श्री तनसिंह : सदन तो, शायद हो सकता है कि हमारी बातों को भी न सुने क्योंकि उधर बहुमत है। तो जिस तरह से वह अपनी बात हमें सुनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो फिर आप उनको इस बात के लिए यत्नशील बनायें कि वह भी हमारी बात सुनने को तैयार रहें और उन्हें आप ही इसके लिए मजबूर कर सकते हैं। आप ही हमारी बातों को उन्हें सुनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके बाद में कटौती के प्रस्ताव का उत्तर देने के हेतु हमको भी समय प्रत्युत्तर के लिए दिया जाना चाहिए।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, हमारे भी तो कटमोशन्स हैं.......

श्री सरदारसिंह : यह तो कोई बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने १॥ बजे यह कहा था कि कटौती के प्रस्ताव २ बजे तक लिये जायेंगे और जितने भी प्रस्तुत कर दिये जायेंगे उसके ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे। लेकिन आपने उस समय यह नहीं फरमाया था कि उसके बाद में राइट ऑफ रिप्लाई नहीं रहेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि आपने उस समय कोई रूलिंग नहीं दी थी कि जितने प्रस्ताव दो बजे तक लिये जा सकेंगे उन पर माननीय मंत्री महोदय की ओर से जवाब होगा और उस पर प्रत्युत्तर नहीं होगा। अतः उनका रिप्लाई नोर्मल कोर्स में ही रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय समय यदि लेना चाहते हैं तो जिन माननीय सदस्यों ने सदन के सामने कटौती प्रस्ताव रखे हैं उनको भी प्रत्युत्तर देने का अधिकार जरूर दिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : All right. We apply the guillotine forthwith.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि यह सदन के लिए उपयुक्त बात नहीं होगी कि जिसके लिए आपने अभी कुछ देर पहले निर्णय किया कि दो बजे मैं जवाब दूंगा। पहले कहा गया कि १॥ बजे जवाब दूंगा और उसके बाद में यह कहा जाय कि उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है; मैं समझता हूँ कि ऐसा शायद कहीं नहीं हुआ कि कटौती का प्रस्ताव तो मूव हो जाय और बिना रिप्लाई के रह जाये।

श्री अर्जुनदास : On a point of order, Sir. is the hon'ble Leader of the House challenging the ruling given by the chair ?

श्री अध्यक्ष : He is making a submission to which the House is entitled to hear.

श्री अर्जुनदास : Call it anything but it amounts to challenging the Ruling given by the hon'ble Speaker, Sir.

श्री अध्यक्ष : It means that all the proceedings should cease including the reply from the Government side. No further proceedings should take place and all the motions required to be passed will be put forthwith. So it does not necessarily mean that there should be a reply from the Government side.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पहले यह कहा गया कि मैं दो बजे जवाब दूंगा और अब मुझे उत्तर देने के लिए अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा कि जिसमें डिमान्ड पर डिस्कशन हो जाय और गवर्नमेन्ट साइड से जवाब देने के पहले ही गिलोटिन एप्लाई कर दिया जाय और खास तौर से उस वक्त जब कि जिस डिमान्ड पर कटमोशन्स आए हैं और उन पर बहस की जा चुकी है और जिसके ऊपर कि रिप्लाई देने का राइट है। तो जहां तक हमारे रिप्लाई देने का राइट है वह राइट कैसे जा सकता है ? फिर गिलोटीन एप्लाई करने का क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : गिलोटीन का मतलब है कि वादाविवाद समाप्त किया जाय। जब कि सारे कटमोशन्स ही पेश नहीं हुए हैं तो आपको जवाब देने के लिए नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि हाउस ने बात नहीं मानी इसलिए आप जवाब ही न दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं समझता हूँ कि हाउस के सामने यह प्रश्न ही नहीं रखा गया कि उत्तर दिया जाय या नहीं।

श्री अर्जुनदास : On a point of order. It amounts to challenging the Ruling of the Chair, Sir.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हाउस के सामने यह प्रश्न होता कि दो बजे तक ही सब कुछ हो जाना है तो ऐसी स्थिति में शायद सदन यह निर्णय नहीं देता।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, वैसे सदन के नेता इस बात का जवाब देना चाहें तो मैं समझता हूँ और माननीय अध्यक्ष से रिक्वेस्ट करूंगा कि गिलोटीन आज न एप्लाई करके कल कर लेना। इससे माननीय मंत्री

(श्री भैरोंसिंह)

भी उत्तर दे पायेंगे और हम भी प्रत्युत्तर दे सकेंगे।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, जहां तक ट्रेजरी बेन्चेज़ की ओर से जवाब देने का सवाल है, मैं समझता हूं कि डिमान्ड पर बहस होने के बाद में उसका जवाब देना आवश्यक हो जाता है।

श्री तनसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने निर्णय दे दिया और अब उसको बहस का विषय बनाया जा रहा है, यह उचित नहीं है और माननीय मुख्य मंत्रीजी को आज्ञा दें कि वे अपना जवाब दें, फिर हम अपना प्रत्युत्तर देंगे।

श्री अर्जुनदास : After the ruling on the point has been given there does not remain anything to discuss.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : I invite your attention to Rule 175 of the Rules of Business.

श्री अर्जुनदास : Is he on a point of order, Sir ?

श्री अध्यक्ष : He is allowed to speak.

श्री तनसिंह : Sir, there cannot be a point of order in vacuum ? The last thing was your Ruling and there cannot be any point of order on it now.

श्री बृजमोहनलाल शर्मा : I want to bring to the notice of the Speaker that under Rule 175 he can allow the Chief Minister to make a reply to the Debate on the floor of the House :

" 175. Time limit for disposal of financial business.—In addition to the powers exerciable by the Speaker under these rules......"

You have got additional powers under Rule 175...." he may exercise all powers necessary for the purpose of the timely completion of all financial business and in particular allot time for the disposal of various kinds of such business and where time is so allotted, he shall at the appointed hour put every question necessary to dispose of all the outstanding matters in connection with the stage or stages for which time has been allotted. "

Here, Sir, you can ask the Chief Minister to make a reply to the debate on the floor of the House.

श्री अर्जुनदास : साहब माइक का मुंह उधर है और उनका मुंह भी उधर है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या १४ पर श्री तनसिंह का कटौती का जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

श्रीमती डा० चन्द्रकला : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहती हूँ।

श्री अर्जुनदास : On a point of information, Sir, she had not exppressed why she should withdraw it.

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि श्रीमती चन्द्रकला को कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्रीमती डा० चन्द्रकला: मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेती हूं।

श्री भैरवलाल कालाबादल : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि इनको कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री पी. के. चौधरी : Mr. Speaker, Sir, I want to withdraw my cut-motion.

श्री अर्जुनदास : On a point of order, Sir, you are not taking this to the opposition whether they want to withdraw it or not?

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री पी. के. चौधरी को उनके कटमोशन्स वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw my cut-motion.

श्री मूलचन्द डागा : माननीय अध्यक्ष, मुझे अपने कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री मूलचन्द डागा को कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मूलचन्द : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, मुझे तीनों कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री भीमसेन को उनके तीनों कटौती प्रस्ताव वापिस लेने दिये जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री भीमसेन : I withdraw my all the three cut-motions.

श्री पी. के. चौधरी : Mr. Speaker, Sir, I want to withdraw all my remaining four cut-motions; I want your permission, Sir.

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री पी. के. चौधरी को शेष चारों कट मोशन्स वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री पी. के. चौधरी : I withdraw all tho remaining four cut-motions of mine.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : माननीय अध्यक्ष, चूंकि मेरी स्कूल सम्बन्धी कोई आश्वासन नहीं मिला, फिर भी मुझे एक लेटर मिला है। इससे मुझे उम्मीद हो गई है कि मेरी मांग मन्जूर हो जायगी, इसलिये मैं अपने कटौती प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि रावराजा सरदारसिंह को अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

रावराजा श्री सरदारसिंह : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव लेता हूं।

श्री रामेश्वरदयाल : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान का जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है [illegible] कट मोशन वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामेश्वरदयाल : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री छोटूसिंह का एक पत्र आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे अपने कट मोशन को प्रेस नहीं करना चाहते।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री श्री. एन. जोशी के कट मोशन को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

श्री जोशी का कट मोशन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कट मोशन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कट मोशन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

श्री मुक्तलाल मोदी ने कट मोशन मूव नहीं किया।

प्रश्न यह है कि जो कट मोशन श्री जगदीशप्रसाद माथुर ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कट मोशन अस्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि श्री भैरोंसिंह के जो पांच कटौती के प्रस्ताव हैं उन्हें स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री अनोपसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री मुरलीधर व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री व्यास को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री लच्छूराम ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

कटौती का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दनराय नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने दोनों कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि श्री जनार्दनराय नागर को अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं अपने दोनों कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री मनोहर कोठारी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपना कटौती प्रस्ताव लेने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि इनको कटौती प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मनोहर कोठारी : मैं अपना कटौती का प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की यह अनुमति है कि इनको कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री नाथूराम : मैं अपना कटौती प्रस्ताव वापिस लेता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र : Mr. Speaker, Sir, I may be permitted to withdraw my cut-motion.

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति

(श्री अध्यक्ष)

है कि श्री हरिश्चन्द्र को कटौती का प्रस्ताव वापिस लेने की आज्ञा दी जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिश्चन्द्र : I withdraw my cut motion.

श्री अध्यक्ष : एक श्री लक्ष्मीचन्द का कटौती का प्रस्ताव है।

श्री लक्ष्मीचन्द : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो कटौती का प्रस्ताव श्री लक्ष्मीचन्द ने रक्खा है वह स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया।

२. २१ म० प०

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या १४, मुख्य शीर्षक ३७ शिक्षा के सम्बंध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ४,०१,२८,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(करतल-ध्वनि)

शेष मांगों पर मत-दान

प्रश्न यह है कि, "कि अनुदान की मांग संख्या १५, मुख्य शीर्षक ३८–स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को १,५०,६१,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

माग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या १७, मुख्य शीर्षक ४०-कृषि के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ६२,६५,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या २१, मुख्य शीर्षक ४३-उद्योग और प्रदाय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ५३,७८,००० रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या १२, मुख्य शीर्षक २९–पुलिस के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु

Page No.69

(श्री अध्यक्ष)

राज्यपाल महोदय को २,४१,५८,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या ३४, मुख्य शीर्षक ७०-जन स्वास्थ्य सुधार पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने के हेतु राज्यपाल महोदय को ३०,६३,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या ३५, मुख्य शीर्षक ७१-कृषि सुधार व अन्वेषण परियोजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ८,००,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या ३३, मुख्य शीर्षक ६८-सिंचन, नौचालन, तट-बन्धन, तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ८,४६,६०,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या ३८, मुख्य शीर्षक ८१, का विद्युत योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को २,२६,२७,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या ४२, मुख्य शीर्षक ता-राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने के हेतु राज्यपाल महोदय, को २,५१,६३,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या ३२, मुख्य शीर्षक ६३-ख-सामुदायिक विकास-परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार-सेवा

(श्री अध्यक्ष)

तथा विकास निर्माण कार्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को १, ०६, ३४,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ५६-लेखन सामग्री तथा मुद्रण के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ३१, ६४,०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या २३, मुख्य शीर्षक ४७-विविध विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ८१,३५,०००)रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या १३, मुख्य शीर्षक वैज्ञानिक विभाग के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को १२, ३७, ०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या १, मुख्य शीर्षक ७-भू राजस्व के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को २, १६, ३१, ०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या २, मुख्य शीर्षक ८-राजकीय आबकारी कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को १८, ६७, ०००) रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या ३, मुख्य शीर्षक ९-स्टाम्प्स के संबंध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल

(श्री अध्यक्ष)

महोदय को १, ६७, ०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या ४, मुख्य शीर्षक १०—वन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ४०, ०५, ०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या ५, मुख्य शीर्षक ११—पंचायत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को १, ०५, ०००) रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या ६, मुख्य शीर्षक १२—वाहनों पर कर के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को २,६०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, 'कि अनुदान की मांग संख्या ७, मुख्य शीर्षक १३-अन्य कर और महसूल के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ३०,३१,०००) रु० तक की राशि प्रदान की जाय।,,

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है; "कि अनुदान की मांग संख्या ८, मुख्य शीर्षक-सिंचन, नौचालन, तट-बंधन तथा जल निकास निर्माण (वाणिज्य) के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ४६,०५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या १०, मुख्य शीर्षक २७-न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को २४,८१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

(श्री अध्यक्ष)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ११, मुख्य शीर्षक २८- कारागृह तथा बन्दी बस्तियों के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को २०,८६,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है; "कि अनुदान की मांग संख्या १६, मुख्य शीर्षक ३९—जन स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्षमें किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ४५,८१,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है, 'कि अनुदान की मांग संख्या १८, मुख्य शीर्षक ४०—का ग्राम विकास के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ९५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है, 'कि अनुदान की मांग संख्या १९, मुख्य शीर्षक ४१-पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को २८,१८,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है, 'कि अनुदान की मांग संख्या २०, मुख्य शीर्षक ४२-सहकारिता के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि के पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को १९,६७,००० रु० तक की राशि प्रदान जी जाय ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है, 'कि अनुदान की मांग संख्या २२, मुख्य शीर्षक ४४-उड्डयन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को २०,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय ।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग

Page No.73

(श्री अध्यक्ष)

संख्या २५, मुख्य शीर्षक ५१—ख-बहु प्रयोजन नदी योजनाओं से सम्बन्धी अन्य राजस्व व्यय के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने के हेतु राज्यपाल महोदय को १४,४५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या २७, मुख्य शीर्ष ५४-दुर्भिक्ष के संबंध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को २६, २६,०० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या २८, मुख्य शीर्षक ५४ खा—भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ११,५३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जावे।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या २९, मुख्य शीर्षक अधिवार्षिक भत्ते और निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ३६,७५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या ३६, मुख्य शीर्षक ७२—औद्योगिक विकास पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च १९५८, को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने के हेतु राज्यपाल महोदय को ३३,२५,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या ३७, मुख्य शीर्षक ८१—राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्यों पर पूंजी लेखा के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को २,८०,५४,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि मांग संख्या ३९, मुख्य शीर्षक ८२—राजस्व लेखे से बाहर राज्य के

(श्री अध्यक्ष)

अन्य निर्माण कार्यों के पूंजी लेखा के संबंध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ४,१५, ००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या ४०, मुख्य शीर्षक ८३—निवृत्ति वेतनों की संराशियों के भुगतान के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को ४३,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

प्रश्न यह है, "कि अनुदान की मांग संख्या ४१, मुख्य शीर्षक ८५—क—सरकारी व्यापारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में ३१ मार्च, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त आवश्यक राशि को पूरा करने हेतु राज्यपाल महोदय को १,१७,००० रु० तक की राशि प्रदान की जाय।"

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

२.३९ म० प०

राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९५७

(पुरःस्थापन, विचार—विमर्श एवं पारित)।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्त मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९५७ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

(विराम)

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय……

श्री तनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय इससे पहले कि कोई इस पर बोलना शुरू करें मैं एक जानकारी हासिल करना चाहता हूँ, वह यह कि स्पीचेज के लिए टाइम लिमिट किया जायगा या किस विषय पर कहा जा सकता है, यह पहले बताया जाय क्योंकि इसे पास करने के लिए भी आज ही का दिन रखा गया है। यदि ऐसी अवस्था है तो समय के मुताबिक मन्त्रीजी भी उत्तर वगैरह दे सकें।

श्री अध्यक्ष : इस स्टेज पर ऐसे भाषण दिये जावें और उन बातों का जिक्र किया जावे जो पहले नहीं आई हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए बोला जायगा तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर): अध्यक्ष महोदय, वित्तमन्त्रीजी की ओर से जो एप्रोप्रियेशन बिल विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, उसके बारे में कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहूँगा। इस बारे में वादविवाद को जहां तक मैं सुन पाया हूं, इसमें ब्लोक डेवलपमेंट पर कोई चर्चा नहीं हुई है। यह इस प्रकार का मद है जिसके नाम पर सरकार लाखों रुपये पानी की तरह बहाती है और इस ब्लोक डेवलपमेंट का नाम लेकर सरकार यह भी बात कह देती है कि राजस्थान में विकास का कार्य बड़ी प्रगति पर है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि कहने में और वास्तविकता में विशेष प्रकार का अन्तर है। राजस्थान के बजट के आंकड़ों को यदि देखें तो वास्तव में पता लगेगा कि ब्लोक डेवलोपमेन्ट के नाम पर काफी धन और शक्ति खर्च करने की योजना है। यदि सरकार के अंग्रेजी और हिन्दी में प्रकाशित परिपत्र देखें तो उससे यह अनुमान निकाल सकेंगे कि हमारी सरकार इस सम्बन्ध में काफी जागरूक है। लेकिन इन चीजों का अनुभव प्राप्त करने के बाद यदि कोई नागरिक जहां पर ब्लोक डेवलपमेन्ट सेन्टर्स खुले हैं वहां पहुँचता है तो उसको पता लगेगा कि कहने में और करने में रात दिन का अन्तर है और वहां पर जाकर देखने से पता लगता है कि जो रकम हम स्वीकार करते हैं उसका किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस चीज का उल्लेख करना चाहता हूँ कि जितने ब्लोक डेवलपमेंट सेन्टर्स खोले जाते हैं उनमें विशेष प्रकार का राजनैतिक दृष्टिकोण होता है, वरना यह आवश्यकता नहीं पड़ती कि जहां से अधिकांश विरोधी दल के सदस्य जीत कर आते हैं उन क्षेत्रों में जो ब्लोक डेवलपमेन्ट नहीं खोले जांय और समय निकालने की चेष्टा की जाय। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले राजस्थान विधान सभा में माननीय मुख्य मन्त्री जी, जो इस विभाग की ओर से उत्तर दे रहे थे, उनकी ओर से मुझे आश्वासन मिला था कि सीकर जिले में ब्लोक डेवलपमेंट सेन्टर्स की कमी है जिसे पूरा किया जायगा लेकिन बद-किस्मती से इस वक्त सीकर जिले से विरोधी दल के सदस्य ज्यादा जीत कर आये हैं और नतीजा यह हुआ कि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लोक डेवलपमेंट सेन्टर्स खोले गये हैं और सीकर जहां ऐसे सेन्टर्स खोलने की ज्यादा आवश्यकता है, वहां केवल एक ब्लोक डेवलपमेंट सेन्टर शामिल किया गया है। जहां दूसरी जगह ३.४ सेन्टर्स शामिल किये गये हैं वहां इस जिले में १ शामिल किया गया है। लेकिन जिस समय एरिया निर्धारित किया गया,, सरकार की ओर से अधिकृत जानकारी दी गई तब लोगों को पता चला कि सीकर जिले का नाम इस लिस्ट में नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि सीकर जिला भी आपके नेतृत्व में और अपने अधिकार में है और आप ही के शासन में है। यदि आप इसके प्रति इस प्रकार का दृष्टिकोण बनाये रखेंगे तो यह सीकर की जनता के साथ अन्याय है। सीकर जिले में किसी तरह का डेवलपमेंट कार्य नहीं किया जाता है। यदि सोशियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई काम करना है तो वह भी सीकर जिले में नहीं किया जाता। इर्रिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं तालाब, नहरों आदि का प्रश्न आता है तो सीकर का नाम उसमें शामिल नहीं होता। यदि सड़कों का नाम आता है तो भी सीकर का नाम नहीं आता। इसका कारण शायद मैं यह कहूँ कि आज राजस्थान मंत्रीमण्डल

(श्री भैरोंसिंह)

में सीकर जिले का कोई सदस्य नहीं है, यही कारण हो सकता है। यदि मन्त्री मण्डल में सीकर से योग्य व्यक्तियों को लेना चाहते हैं तो कई हैं, उनको लेने से इतना जरूर होगा कि वे शायद अपने नाम पर कुछ रकम सीकर के लिए ले सकें लेकिन वह भी सीकर के लिए ही होगी। सीकर सारे राजस्थान में एक अभागा जिला है जहां सबसे कम रुपये खर्च किये जाते हैं। बाकी जगह अनेक तरह से रुपये खर्च किये जाते हैं। मैं एक ब्लोक डेवलपमेंट का नाम लूंगा जिससे पता चलेगा कि कितने रुपये खर्च किये जाते हैं; वह है सांगानेर.....

श्री भीखाभाई (उप मंत्री) : On a point of order, Sir, you have just said that those points could not be taken which have been earlier considered, but the Hon'ble member has already spoken on the general discussion of the Budget and probably that covered all the points which he is raising now. Whether it is relevant on this juncture.

श्री भैरोंसिंह (१४) : अध्यक्ष महोदय, खेद है कि माननीय मन्त्रीजी, जिस समय वाद-विवाद होता है उस समय सदन में नहीं रहते। उनको शायद जानकारी नहीं है कि ब्लोक डेवलपमेन्ट के ऊपर कोई वाद–विवाद नहीं हुआ है। रूल्स देखें तो उसमें 'डिमान्ड' शब्द है। मैं यह कहूँगा कि इस मांग पर कोई वाद–विवाद नहीं हुआ यह मांग आई ही नहीं इसलिए इस पर कोई ऐतराज नहीं उठाया जा सकता। यदि उनको कोई ऐतराज उठाना था तो उपमन्त्री के नाते जिम्मेदारी से उठाते।

तो मैं निवेदन कर रहा था, सांगानेर ब्लोक डेवलपमेन्ट के बारे में। मैं इस समय जो चर्चा प्रस्तुत करना चाहता हूँ वह इस प्रकार है कि इस ब्लोक डेवलपमेन्ट को लेकर राजस्थान सरकार गौरव अनुभव करती है कि हमारे यहां इस प्रकार का ब्लोक डेवलपमेन्ट सेन्टर है लेकिन इसमें किस प्रकार की अनियमितता बरती जाती है और खास करके सामान खरीदने के नाम पर, मुझे खेद के साथ कहना पड़ेगा कि जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जाता है वहां पर १६ एम. एम. प्रोजेक्टर है जिसके द्वारा ग्रामीण जनता को सिनेमा दिखाया जाता है। उसके लिये पर्दे की आवश्यकता थी। वह पर्दा टेन्डर मांग कर खरीदा जाय, इस प्रकार की पाबन्दी, मैं समझता हूँ, ब्लोक डेवलपमेन्ट ऑफिसर्स को नहीं होती होगी इसलिये उन्होंने टेन्डर इन्वाइट नहीं किये और एक व्यक्ति से उन्होंने कहा कि रेडियेन्ट स्क्रीन खरीदना है, किसी इंग्लिश फर्म का रेडियेन्ट स्क्रीन खरीदना चाहिये। स्क्रीन २०० रुपयों का दिखाकर उस व्यक्ति ने वह स्क्रीन बाजार में ६० रु० में खरीदा और १४० रु० अपनी पोकेट में रखे। इसी तरह के स्क्रीन की एक दूसरी जगह जरुरत पड़ी तो उसको उस जगह भेज दिया गया और दूसरा खरीद लिया गया। जिस प्रोजेक्टर की कीमत एक हजार रुपया होती है उसी प्रोजेक्टर की कीमत राजस्थान सरकार १०,००० रु० देती है। ऐसा समझना चाहिये कि राजस्थान में ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं होगा जहां एक भी बार सिनेमा नहीं, रील नहीं दिखाई गई हो। लेकिन मैं उन प्रोजेक्टर्स को दूकानों पर पड़ा देखता हूँ इसलिये कि खराब हो गये हैं। उनसे अगर पूछा जाय कि आपके प्रोजेक्टर

Page No.77

(श्री भैरोंसिंह)

ने किस किस जगह काम किया है, किस किस जगह रील दिखाई गई, किस किस जगह सिनेमा दिखाया गया, तो उनके पास इसका कोई हिसाब नहीं है। हिसाब कहां से दें, वह तो रेडियोनिक्स के यहां पड़ा रहता है और वहां पर किराये पर चलता है। वहां पर दो-दो महीनों पड़ा रहता है और मुनाफा आधा ब्लोक डेवलपमेन्ट ऑफिसर के यहां जाता है और आधा खुद खाते हैं। मैं एक तारीख का जिक्र करूंगा। मंत्रीजी कहेंगे कि यह गलत है। १०-५-५६ को जमुआ रामगढ़ में एक शादी में वह प्रोजेक्टर गया। ब्लोक डेवलपमेन्ट सेन्टर से रेडियोनिक्स के यहां खराब होने के सर्टिफिकेट के साथ गया और वहां से जमुआ और रामगढ़ गया। १० हजार के प्रोजेक्टर्स रखे जाते हैं सिनेमा रील के लिये और उसका दुरुपयोग इस तरह से होता है। मन्त्रीजी को पता होगा कि वहां पर १ हजार प्रोजेक्टर्स हैं लेकिन ओपरेटर नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति आया; चचा, ताऊ की सिफारिश लेकर तो उसको एल. डी. सी. या यू. डी. सी. की जगह रखने की तो गुंजाइश नहीं होती है लेकिन उसको ओपरेटर के नाम पर भर्ती किया जाता है।

जो सोश्यल वेलफेअर डिपार्टमेंट में ऑपरेटर हैं, उन्हें प्राजेक्टर को किस प्रकार ऑपरेट किया जाय, इसका ज्ञान नहीं है। एक नहीं, हर डिपार्टमेंट में जो टेक्नीशियन्स हैं, लेकिन किसी को ऑपरेट करने की जानकारी हो, इस प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। उनको हमारी सरकार अपोइन्ट कर देती है, उनके लिए किसी क्वालीफिकेशन की जरूरत नहीं है। ऐसी सूरत में मुझे मजबूर होकर निवेदन करना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट के नाम पर खर्च करते हैं, उस खर्च को निगरानी रख कर करें तो इतनी ज्यादती नहीं होगी। गांवों के अन्दर बीज-वितरण कार्य होता है, बीज वितरित करते हैं। अध्यक्ष महोदय, १९५७ की ऑडिट रिपोर्ट आई है, इसमें इस बात का उल्लेख किया है कि खाद खरीदने के अन्दर राजस्थान सरकार को कितना घाटा हुआ है। खाद व अन्य सामान खरीदते हैं, जिन केमिकल्स की जरूरत होती है, खाद की आवश्यकता होती है, ये सब चीजें बरसात के दिनों में ब्लॉक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा वितरित की जाती हैं। जब कि बीज और खाद सर्दी में वितरित होने चाहिए, उन चीजों को बरसात में वितरित किया जाता है और ढेर की ढेर खाद बोरियों में नष्ट हो जाती है। इस नष्ट हुई खाद को किसानों में वितरित करते हैं, यह पाबन्दी लगा दी जाती है कि यदि बीज दिया जाता है तो कहा जाता है कि खाद भी लेनी होगी, दूसरे इम्प्लीमेंट्स देते हैं तो कहा जाता है कि खाद लेनी पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ यह कहा जाता है कि बीज बांटते हैं, इम्प्लीमेंट्स जो खेती के लिए जरूरी हैं वे देते हैं, तकावी देते हैं, और जो काश्तकार को सुविधायें देनी हैं, वे सुविधायें दे रहे हैं, लेकिन इन सुविधाओं के साथ, सरकार की सुस्ती के कारण जो खाद खराब हो गई है, उसको खरीदना पड़ता है। बीज खरीद लिया, ढेर का ढेर खरीदा जायगा, उस बीज को गांवों में दिया जाता है, लेकिन वे बेच देते हैं क्योंकि बीज समय पर नहीं मिलता, फसल को बो देने के बाद मिलता है। मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि ब्लॉक डेवलपमेंट के नाम पर अन्धाधुन्ध ढंग से धन-राशि खर्च की जाती है, उसके बारे में सरकार को सतर्क होकर काम करना चाहिए।

(श्री भैरोंसिंह)

पुलिस विभाग के बारे में अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अधिकांश सदस्यों का विचार होगा कि सदन में पुलिस विभाग पर वाद-विवाद किया जायगा। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया था, यदि उसको पुलिस बजट कहा जाय तो मैं समझता हूं कि अतिशयोक्ति नहीं होगी। राजस्थान सरकार कहती है कि हमने डाकुओं का सफाया किया है, चोरों का सफाया किया है, बेईमानी और नालायकी करने वालों का बिल्कुल सफाया किया है। मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, कि डकैती का ढंग था, चोरी का ढंग था, वह ढंग बदल गया है और बदले हुए ढंग के जमाने में हमारे यहां नवीन तरह के डाकू और चोर हैं जो वैज्ञानिक और साइन्टिफिक ढंग से डकैती करते हैं, चोरी करते हैं और उनको पकड़ने में हम असमर्थ हैं। मैं कहता हूँ कि पुलिस विभाग में यदि किसी के जाने का काम पड़ता है तो देखेगा कि वहां सक्युंलर हैं या नहीं, लेकिन वहां पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है, छोटी-मोटी डकैतियों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। आप किसी सब इन्सपेक्टर या किसी आदमी से बात करें तो वह कहेगा कि ऊपर से ऐसे आदेश मिले हैं कि जरायम के नम्बर कम किये जायं और यदि कहीं चोरी हो तो आप मौके पर जा सकते हैं, यदि मुलाजिम गिरफ्तार हो जाये तो उसे जेलखाने भिजवा दें, उसे अपनी डायरी में लिख लें, उसकी रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हीं आकड़ों के आधार पर हमारी गवर्नमेंट कहती है कि डकैती और चोरी में कमी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अभी कुछ दिन पहले नवलगढ़ में एक विशेष घटना हुई कि एक गरीब आदमी को एक सब इन्पेक्क्टर ने चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया, उसको गिरफ्तार कर लिया और उसकी थाने में पिटाई हुई। पिटाई करते हुए उससे कहा गया कि सुबह तक पता बता दो, नहीं तो जान निकाल दी जायगी। इतना ही नहीं जिस वक्त उसे ले जा रहे थे, उस व्यक्ति ने कहा कि उसे शौच करने जाना है। उस व्यक्ति के हथकड़ियां लगाई और थानेदार ने कहा कि इसे शौच के लिए ले जाओ और इसकी गुदा में मिर्चें भर दो। उस व्यक्ति को भय हुआ और उसने सोचा कि जो कह रहे हैं वह सही हो, और भय के कारण जो पास में कूआ था उसमें गिर गया। वहां जनता इकट्ठी हुई और कहा कि इसको निकाला जाय। निकालने के स्थान पर पुलिस के आदमी ने कहा कि कूए में पुलिस का व्यक्ति घुसेगा। कूए में घुसने में देरी हुई और उस व्यक्ति के शरीरमें पानी चला गया। निकालने के बाद में वह होस्पीटल में पहुँचा नहीं कि वहीं खत्म हो गया। चाहिए तो यह था कि पुलिस इन्क्वायरी करती, डिप्टी एस. पी. इन्क्वायरी करते। गांव को जनता का एक प्रतिनिधि मंडल माननीय गृह मन्त्री से भी मिला। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रतिनिधि मंडल से कहा कि हम जांच कर रहे हैं, कार्यवाही करेंगे। लेकिन इस सब इन्सपेक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। चाहिए तो यह था कि जैसे कोई दूसरा आदमी यदि कत्ल करता है और उसको गिरफ्तार करके जेलखाने में रख देते हैं, उसी तरह से थानेदार को भी गिरफ्तार कराया जाता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, कि ऐसा नहीं किया गया। एक तरफ जनता चिल्लाती

(श्री ... सह)

है, दूसरी तरफ सरकार कहती है कि पुलिस विभाग सतर्क है, जन-सेवा का कार्य करता है। पुलिस का एक सब इन्सपेक्टर एक व्यक्ति को मार कर, उसकी गुदा में मिर्चा भरने के लिए कहता है और वह व्यक्ति भय से कुए में गिर जाता है, उसे जल्दी निकाला नहीं जाता और वह मर जाता है, लेकिन उस सब इन्सपेक्टर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या यही पुलिस की सतर्कता है? मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें ऐसी सतर्कता की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, सब इन्सपेक्टर्स, इन्सपेक्टर्स और डिप्टी एस. पीज़. शिकायत करते हैं कि राजस्थान के अन्दर जो प्रमोशन मिलते हैं, उसके लिए कोई नियम नहीं हैं। यह कह दिया जाता है कि प्रमोशन में सीनियोरिटी का प्रश्न नहीं है, एफीशियेन्सी के आधार पर प्रमोशन मिलते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सब इन्सपेक्टर को इन्सपेक्टर बना दिया जाता है, वहां एफीशियेन्सी का प्रश्न नहीं है, इन्सपेक्टर को डिप्टी एस. पी. बना दिया जाता है, लेकिन वहां कोई एफीसियेन्सी का प्रश्न नहीं है। पुलिस विभाग में प्रमोशन के लिए कोई नियम नहीं हैं, नियम थोड़े बहुत हैं भी तो उनका पालन नहीं होता है। सब इन्सपेक्टर को इन्सपेक्टर बनाया जाता है, कभी किसी और को इन्सपेक्टर बनाने के लिए उन्हें रिवर्ट भी कर दिया जाता है, किसी को एकोमोडेट करने के लिये रिवर्ट कर दिया जाता है। यह यह पुलिस विभाग की सर्विसेज़ की हालत है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, कि पुलिस विभाग को सतर्क होना चाहिए, पुलिस के कर्मचारियों को संतोष होना चाहिये, उनमें सेवा की भावना होनी चाहिए और उनके दिमाग में सरकार के विरुद्ध कोई चीज नहीं आनी चाहिये जिसके कारण वे अपना कर्तव्य निभाने में कोताई करें। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज न तो पुलिस अधिकारियों में संतोष है, न जन-सेवा की भावना है और न जनता में ही संतोष है। हमारी सरकार कह देती है कि पुलिस विभाग ने अच्छा काम किया।

इसी प्रकार बोर्डर का प्रश्न आता है। जो पाकिस्तान और राजस्थान का बोर्डर है वह काफी बड़ा है। अध्यक्ष महोदय, आज कल हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि भारतवर्ष की आन्तरिक स्थिति और परिस्थिति ठीक है लेकिन इन्टरनेशनल पोज़ीशन ऐसी नहीं है जिस पर हम गम्भीरता के साथ विचार न करें। पाकिस्तान में जिहाद का नारा लगा कर धमकियां दी जाती हैं। यह ऐसी बात है जो हमें संकेत करती हैं कि किसी समय भी खतरा आ सकता है और उस खतरे का सामना करने की जिम्मेदारी भारतवर्ष में सबसे ज्यादा यदि किसी को है तो वह राजस्थान की ही है। राजस्थान में जैसलमेर का बोर्डर है उस पर हमला कर सकते हैं, और उस हमले से राजस्थान नहीं सारा भारतवर्ष खतरे में पड़ सकता है, लेकिन राजस्थान सरकार के कान में इस सम्बन्ध में जूं तक नहीं रेंगती। मैं समझता हूँ कि बोर्डर प्रोटेक्शन का मसला बहुत जरूरी है, वहां अच्छे अधिकारियों की नियुक्ति करने की बात सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहना कि आर. ए. सी. काम कर रही है, यह कहना कि पुलिस विभाग सतर्क है. इससे काम नहीं चलनेवाला है। मैं कहता हूँ अध्यक्ष महोदय, कि बोर्डर पर तस्कर व्यापार होता है। तस्कर व्यापार की खबर आये दिन समा-

(श्री भैरोंसिंह)

चार-पत्रों में मिलती है, जो प्रतिदिन लोग पढ़ते हैं। इससे पता चलता है कि बोर्डर बिल्कुल असुरक्षित है। मैं वित्त मन्त्री जी से व मुख्य मन्त्री जी से कहूंगा कि उन्हें इस बोर्डर के प्रश्न को लेकर गम्भीरता से सोचना चाहिए और बोर्डर को पुलिस के हाथ में ही नहीं छोड़ना चाहिए यदि वहां पर मिलिटरी की आवश्यकता हो तो मिलिटरी लगानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बोर्डर पर सोने आदि का आदान प्रदान होता है। हिन्दुस्तान के डाकू पाकिस्तान में शरण लेते हैं और पाकिस्तान के डाकू हिन्दुस्तान में शरण लेते हैं और एक दूसरे की सीमा में शरण के कारण गरीब जनता लुटती है। मैं समझता हूं इस पर विचार किया जाना चाहिए सन्त बलवन्तके नाम को लेकर एक प्रश्न सदन में आया था। सरकार ने कहा था कि हमारा परीक्षण सफल रहा है लेकिन खेद है कि राजस्थान सरकार ऐसी व्यवस्था आने के बाद परीक्षण करती है। मैं निवेदन करूंगा अध्यक्ष महोदय, तस्कर व्यापार को रोकने लिए हमारी सरकार को ज्यादा से ज्यादा कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच जो इस प्रकार के कार्य करते वाले व्यक्ति हैं, उनको कड़ा से कड़ा दंड देना चाहिए औरइसके लिए ईमानदार पुलिस ऑफिसरों को अपोइन्ट करना चाहिए मैं निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इस मामले को सरकार गम्भीरता से सोचे। आर. ए सी. का प्रश्न आता है, इलेक्शन के दिनों में आर. ए. सी. के ३००, ३५० व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। मैंने सुना है कि इन पर काफी ज्यादती हुई है। अभी तक आर. ए. सी. के व्यक्तियों को तनख्वाह नहीं मिली है, वे लोग पुलिस लाइन्स में जाकर लंगर का खाना खाते हैं। उनको आप ट्रेनिंग देते हैं लेकिन पैसे देने का प्रश्न नहीं है। तो इस आर. ए. सी. के चालू सिपाहियों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप पर या सरकार पर आपत्ति आयेगी तो वे दिल मे, मजबूती से विरोधियों के सामने डट कर विरोधियों का सामना करेंगे? या अपनी इन आपत्तियों से? हम अगर राष्ट्रीय भावना का निर्माण करना चाहते हैं तो सब के साथ समान व्यवहार करना होगा, सब के साथ समान व्यवहार बनेगा तभी वह भावना पनपेगी।

एक पाइन्ट के बारे में मैं कुछ निवेदन करना चाहूँगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह है जागीर प्रोब्लेम-जागीरी सम्बन्धी कोई वाद-विवाद इस सदन में नहीं हुआ तो इसका तात्पर्य यह नहीं कि जागीरदारी का कोई प्रश्न ही नहीं है। माननीय राज्यपाल महोदय ने जमींदारी प्रथा के उन्मूलन करने का उल्लेख किया था, वह उल्लेख केवल उल्लेख की बात ही नहीं रह जाय, ऐसी हमें आशंका होती है। लेजिस्लेटिव बिज़नेस का उल्लेख किया उस समय मैंने समझा उसमें जमींदारी उन्मूलन का भी प्रश्न होगा। पर इस सेशन के एडजर्न करने की बातें चल रही हैं और कोई जमींदारी उन्मूलन का कानून सदन के सामने नहीं लाया जा रहा है। जागीरी प्रथा के उन्मूलन करने का कानून पास किया गया। अब एक हजार से नीचे की जागीरें हैं उन्हें खत्म करने की योजना बना रहे हैं क्योंकि वह एक प्रकार से शोषकवर्ग है, काश्तकारों का एक्स्प्लोइटेशन करता है, उनके विशेष अधिकारों को समाप्त करना चाहिये, पर जहां जमींदारी के उन्मूलन का प्रश्न आता है तो उसे भूल जाते हैं,

पिछले लगातार ५ वर्षों से इस सदन के सदस्यों ने बराबर कोशिश की मांग की सरकार से कि जमींदारी का उन्मूल होना चाहिए पर आज तक ऐसा कानून इस सदन में नहीं आया। मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार जल्दी से जल्दी इस प्रकार की प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाये। हमारी सरकार ने आंकडे बताये हैं कि इतने जागीरदार लोगों को कम्पेन्सेशन मिला है, इतनों के कम्पेन्सेशन के क्लेम्स पड़े हैं; तो इनसे ऐसा मालूम होता है कि जागीरदार लोगों को रिलीफ मिल रहा है पर मैं निवेदन करूंगा कि बैराठी भवन में जो जागीरों का भवन है वहां जा कर देखें तो मालूम होगा कि एक अच्छी तरह से जमा हुआ दफ्तर है पर जिन लोगों को इस दफ्तर के द्वारा रिलीफ दिया जाना चाहिये उन लोगों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। १४ लाएज़न ओफीसर्स नियुक्त किये गये हैं, उनके पास आवेदन पत्र प्रस्तुत करने को कहें तो फोर्म्स नहीं मिलेंगे, वे लोग अधिकांश राजनैतिक दल का प्रचार करते हैं, उन लाएज़न ओफीसर्स का जागीरदारों से सम्बन्ध है नहीं, जागीरदारों और राजपूतों को बहकाने के लिये लाएज़न ओफीसर्स मुकर्रर कर दिये हैं और कहा जाता है कि राजपूतों में से लिये हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार का पैसा लाएज़न ऑफिसर्स के द्वारा फालतू खर्च होता है। कम्पेन्सेशन का प्रश्न आता है तो हमारा राजस्थान बड़ा प्रगतिशील है, यह कहा जाता है पर कम्पेन्सेशन के प्रश्न को लेकर मैं यह कहूँगा कि हमारी सरकार कम्पेसेन्शन के पोइन्ट पर एक दफा नहीं २० दफा वेरिफिकेशन कराने को तैयार होती है। इसमें बड़ी दिक्कत आती है तो यह है कि कोई क्लेक्टर के यहां जाकर वेरिफिकेशन कराये तो फिर जागीर डिपार्टमेंट उसमें नुक्ताचीनी करना शुरू करता है, फाइनेन्स डिपार्टमेंट में नुक्ताचीनियां होती हैं और यही कारण है कि ७ व्यक्तियों को कम्पेन्सेशन मिले हैं और मैं तो यह कहूँगा कि रिश्वत खाने का एक षडयन्त्र बना हुआ है, सरकार की ओर से एक वकील है। जागीरदारों को एक पार्टी समझा जाता है दोनों आदमी जागीर कमिश्नर के सामने आते हैं। क्लेम्स को फाइनेलाइज़ कर दिया। वह आदमी जो सरकार की ओर से वकील नियुक्त हुआ है, मैं नाम बताऊंगा, जवानसिंह चौर्डिया है, इसलिये नियुक्त किया था कि राजस्थान सरकार को क्लेम्स के मामलों में सलाह दे। उसका एक ही काम है कि कम्पेन्सेशन के क्लेम्स करने वालों से सांठ गांठ करके अपने पेट की पूर्ति करे। जब पेट की पूर्ति हो जाती है तो सरकार को सलाह देता है कि कम्पेन्सेशन दे दिया जाय और पेटिया जब पूर्ण नहीं होता है तो सलाह दे देता है कि कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाय। इस तरह से जिन लोगों की जागीरें छिनी हैं उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। जिन व्यक्तियों की जागीरें छिनी हैं उनको रिलीफ देने के लिये यह कानून बना है जिसका ठीक तौर से अमल किया जाय। राजस्थान सरकार कानून बनाती है पर उस पर अमल करने का यह दृष्टिकोण अपनाती है। मैं तो यह कहूँगा कि कम्पेन्सेशन कम करने हों तो कम कर दीजिये, ज्यादा हैं तो उनको कम कर दीजिये पर जो नियम बने हैं उनकी तामील करें। सरकार ने ऐसे वकील बनाये हैं; एक वकील थे जो हमारे यहां उपमन्त्री बन गये हैं, वे जोधपुर में वकील थे, उनके स्थान पर पहले जो यहां उप मन्त्री थे, उनको वह काम दे दिया है। कोई योग्यता का मापदंड नहीं। वकील से उपमंत्री, उपमंत्री से वकील बना दिया, यह जनता के पैसे

Page No.82

(श्री भैरोंसिंह)

के साथ खिलवाड़ करना है । जनता, जिसके सामने टेक्सेशन का प्रश्न आता है उसका मखौल उड़ाना है । ऐसी सूरत में जनता पर जो नये टेक्सेशन प्रश्न आता है उस पर दुबारा निर्णय करना पड़ेगा ।

राजस्थान सरकार की ओरसे कई ऐसे कामों में पैसा खर्च किया जाता है, उनमें से चालू भारत सेवक समाज भी एक संस्था है । नाम बड़ा अच्छा है । हर एक इसका सदस्य बनने और सेवा करने की कोशिश करेगा, पर बद-किस्मती है राजस्थान की कि इस पवित्र संस्था में भी कुनबा-परस्ती की व्यवस्था की जाती है । राजस्थान की ओर से अभी जो भारत सेवक समाज के बोर्ड की स्थापना हुई उसमें लोक सभा में हमारे राजस्थान के एक सदस्य हैं उनकी पुत्री को ले लिया गया, उनके सगे-सम्बन्धी थे उनको भारत सेवक समाज में ले लिया गया । मैं आपसे कहूँगा कि आप सगे-सम्बन्धियों को लीजिये, पर इसका नाम भारत सेवक समाज मत रखिये, दूसरा नाम रखिये । भारत सेवक समाज जैसी पवित्र संस्था के नाम से उसके पैसे में गड़बड़ी न की जाय । मैंने कांग्रेस के तीन बड़े बड़े नेताओं के वक्तव्य अखबार में पढ़े हैं । उनसे मुझे ताज्जुब हुआ है, कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेताओं से भारत सेवक समाज जैसे काम में राय नहीं ली जाती है और कुनबा-परस्ती की जाती है, यह राजस्थान की जनता का दुर्भाग्य है ।

जो ग्रान्ट इन एड्स दी जाती है वह भी सरकार कोई विशेष नीति के आधार पर नहीं देती है । लाखों रुपया बहाया जाता है । इसमें केवल दो बातों का मैं उल्लेख करूंगा । एक माननीय सदस्य ने जोश में कहा था कि हमने खून-पानी से इस संस्था को बनाया है । मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आपके खून-पानी में राजस्थान का पैसा भी शामिल है । जिस खून-पानी के बारे में जोश से कह कर सदन का वातावरण बनाया गया उसी प्रकार का प्रश्न हटूंडी का है । राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय ने यहां बजट और एप्रोप्रियेशन बिल पेश किया है उसमें इस हटूंडी बालिका विद्यालय के लिये बजट में आंकड़े हैं । लाखों रुपयों का घोटाला मिलेगा । जिस अध्यापिका को २५ रुपया माहवार मिलता था उसके ६० रुपये लगाये गये हैं, जिसको २२५ रुपये मिलते हैं उसके नाम से ४५० रु० ड्रॉ किये गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये आंकड़े बताऊंगा :

सन् १९४९-५० में ७० छात्र; ८९० रुपये खर्च होते थे ।

सन् १९५०-५१ में ८७; ४६ छात्र; १७ हजार का बजट ।

सन् १९५१-५२ में १२२ छात्र; २९ हजार का बजट ।

सन् ५२-५३ में १२२ छात्र; ३० हजार का बजट ।

सन् ५३-५४ में १४६ छात्र; ३६ हजार का बजट ।

सन् ५४-५५ में १२९ छात्र; ३४ हजार का बजट ।

सन् ५५-५६ में १३० छात्र; ३४ हजार का बजट ।

अध्यक्ष महोदय, छात्रों की संख्या उतनी ही है मगर बजट में खर्चा ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है । जो सबसीडी हम लेते हैं

(श्री भैरोंसिंह)

वह-मन माने ढंग से खर्चा बता कर खर्च की जाती हैं, कम तनख्वा बता कर खर्च किया जाता हैं। हटूंडी के बारे में वाउचर भी नहीं रखे जाते हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि ६० प्रतिशत सरकार की तरफ से एड मिलती है और १० प्रतिशत खुद लगाते हैं। मैं यह कहूंगा कि वहां पर मनमाने ढंग से काम होते हैं। अध्यापकों को कम तनख्वाह दी जाती है और ज्यादा दर्ज की जाती है। अध्यापकों के तबादले सबसे ज्यादा होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट ५६-५७ को देखें तो आपको मालूम होगा कि उस ऑडिट रिपोर्ट में १,२६,६६६ रुपये बताये (अश्रव्य) जब हमारे माननीय मन्त्रीजी ने यह देखा कि इस प्रकार के आडिट रिपोर्ट के आंकड़े वहां के एक पत्र में छप गये हैं और उसमे हमारे सदन को ही नहीं राजस्थान की पब्लिक को भी मालूम हो गया तो हमारे वर्तमान वित्त मन्त्री को बुरा लगा। यह खबर न्याय समाचार में आई है तो उन्होंने उसको लोन दे दिया और उसका मुंह बन्द कर दिया। जो बात मैं कह रहा हूं वह हटूंडी के बारे में है। यह अजमेर में है। यह प्रेस, हटूंडी के जो चित्र मिलते हैं उसको छापता है और उसको लोन दिया गया है। मैं समझता हूँ कि इसके सम्बन्ध में सारी बातें बताने की जरूरत नहीं। माननीय मन्त्री खुद इसका स्पष्टीकरण करेंगे।

दूसरी बात कल जो उदयपुर विद्यापीठ के बारे में कही गई मैं यह कहूँगा कि जिन माननीय सदस्यों के हाथों में उसका कार्य संचालन होता है वे ठीक काम करते होंगे लेकिन प्रश्न यह नहीं था। प्रश्न जो उठाया गया यह वह था कि आया मुलाजिमों ने चुनाव में काम किया या नहीं? मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने स्वीकार किया कि व्यक्तिगत हैसियत (रूप) से काम करते थे। मैं इस बात को मानता हूं कि सब को व्यक्तिगत स्वतन्त्रता होती है मगर उसका यह मतलब नहीं कि जिस विद्यापीठ में सरकार की तरफ से रकम दी जावे, सरकारी खजाने से रुपया मिले वह इस प्रकार काम करे। कहा यह जाता है कि इस सम्बन्ध में कोई रूल्स नहीं हैं। उनके अभाव में यह हो सकता हो, मगर नैतिकता के नाते नहीं।....

३.१३ म० प०

(श्री हरिदेव जोशी, सभापति, पदासीन)

श्री जनार्दनराय नागर : सरकार आपसे ज्यादा रूल्स जानती है।

श्री भैरोंसिंह : मुझसे ज्यादा नहीं जानती।

श्री जनार्दनराय नागर : (अश्रव्य)।

श्री अर्जुनदास : This is a point of disorder, Sir.

श्री भैरोंसिंह : चिढ़ने की बात नहीं है। दूसरी बात संस्था के साधनों को चुनावों में काम में लेने के लिये कही गई। मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। उनके ट्रक चुनावों में काम आये, स्कूलें बन्द की गई और लोगों ने चुनावों में काम किये। आपने इसको स्वीकार किया है।

श्री जनार्दनराय नागर : यह गलत है।

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल आपने रूल कहा था।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं चुनौती देता हूँ कि यह ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : मैं साबित करता हूं। माननीय सभापति, यह कहना चाहता हूँ कि कल आपने अपने शब्दों में कहा था। आपको बता सकता हूँ।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं इसको कोन्ट्राडिक्ट करता हूँ।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति, मैं आपके द्वारा इस बात को बताना चाहता हूँ, कि कल इन्होंने कहा था कि नहीं; इस बात को ये कोन्ट्राडिक्ट करें..........

श्री जनार्दनराय नागर : माननीय सभापति, मेरे उस वक्तव्य का गलत अर्थ लिया गया है।

श्री सभापति : कृपया सीधी चर्चा नहीं करें।

श्री भैरोंसिंह : मैं तो आदेश दे रहा हूं।

श्री सभापति : आदेश आपके ही ओर आ रहा है।

श्री भैरोंसिंह : मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि महिला मंडल के द्वारा समाज की सेवा नहीं होती। मैं इस बात को मंजूर करता हूं कि सेवा होती है और दोस्त जो पिछले इलेक्शन में हार गये थे, दूसरे इलेक्शन में जिताया गया जिससे मालूम हो कि जनता उनको चाहती है। कहने का तात्पर्य यह कि जो हम एड देते हैं उसकी हम जांच करें। अगर वे कहते हैं कि इसके लिये कोई रूल्स नहीं हैं तो मैं यह कहूंगा कि यह सरकार की गल्ती है। जिनका सरकारी पैसों पर भरण-पोषण हो..........

श्री जनार्दनराय नागर : चैअरमैन, मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट इन्सटीट्यूट्स नहीं हैं। पहले इनको यह समझना चाहिये कि गवर्नमेंट एडेड इन्सटीट्यूट्स, प्राइवेट इन्सटीट्यूट्स और गवर्नमेंट इन्सटीट्यूट्स में क्या भेद है?

श्री भैरोंसिंह : [अश्रव्य]

श्री जनार्दनराय नागर : अगर इस प्रकार की संस्थाओं पर डाइरेक्ट हमला किया जाएगा तो मैं डाइरेक्ट जवाब दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति, आपने जो कल तीन दिन के लिये उदयपुर का दौरा करने का चैलेन्ज दिया मैं उनके चैलेंज को स्वीकार करता हूं। मैं तीन दिन के बजाय ५ दिन रहूंगा लेकिन मेरे साथ कोई सरकारी इन्सपेक्टर हो या कोई कर्मचारी हो, मैं वहां की जो धांधलियें हैं उनको साबित करूंगा।

श्री जनार्दनराय नागर : मैं मित्र के नाते उनको दौरे पर ले जाऊंगा, न कि किसी इन्सपेक्टर की हैसियत से। अगर वे कुछ कहेंगे तो मैं उसका मुकाबला करूंगा इस सदन के अन्दर।

श्री अर्जुनदास : On a point of information, Sir.......

श्री सभापति : Please, order ! First take your seat, please.

श्री अर्जुनदास : I am submitting why the Hon'ble Member is loos-

(श्री अर्जुनदास)

ing his temper on the floor of the House ?

श्री सभापति : यह ठीक नहीं।

श्री जनार्दनराय नागर : I demand the protection of the private institutions in this House, and if any Hon'ble member attacks the pirvate institutions, we defend our institutions to our utmost.

("शेम-शेम" की विपक्ष की ओर से आवाज)

श्री सभापति : इसमें कोई शक नहीं कि माननीय सदस्यों को अपने अपने विचार व्यक्त करने चाहिये और संयम के साथ व्यक्त करने चाहिये, परन्तु इस तरह से नहीं। जिस प्रकार कल स्पष्टीकरण करने का मौका उनको मिला था आज फिर मिल सकता है। इसलिये बीच में इन्टरप्ट नहीं करना चाहिये ।

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन संस्थाओं को सरकारी सहायता मिल रही है उनसे यह कोई गारन्टी नहीं कि वे किस प्रकार से नियमों के अनुसार कार्य करें। सरकारी रकम भी उसमें शामिल होती है इसलिए मैं संस्थाओं को दोषी ठहराता हुआ सरकार से मांग करूंगा कि इसकी जांच की जावे। इस प्रकार की संस्थाओं के द्वारा, जिनकी कोई गारन्टी नहीं, किसी प्रकार गोलमाल की बात हो सकती है।

सीकर जिले में जिला बोर्ड है। जिला बोर्ड के अध्यक्ष शराब पी रहे हैं और शराब पीकर नंगे हो जाते हैं। इस बात को हमारी सरकार स्वीकार करती है और मानती है कि वे शराब पीकर नंगे होते हैं। सारी बातें मंजूर करते हुए भी सरकार यह कहती है कि हम उनको नहीं निकाल सकते क्योंकि यह उनका व्यक्तिगत अधिकार है।

श्री जनार्दनराय नागर : Mr. Chairman, if the point is singled out I will also single him out.

श्री सभापति : माननीय सदस्य अपने वक्तव्य को समाप्त करेंगे, आध घंटा हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : पांच मिनट में समाप्त करता हूँ।

व्यक्तिगत हैसियत से... ....

श्री भानसिंह : On a point of order, Sir, a member who is not a member of this House, his conduct should not be impeached by the Hon'ble member as he referred to the Chairman, Sikar District Board.

श्री सभापति : Exactly the member should not do that.

श्री भैरोंसिंह : मैंने नाम नहीं बताया।

श्री सभापतिः (अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : यह जो शराब पीकर नंगा होने की प्रवृति है, यह कहा जाता है कि व्यक्तिगत मामला है। यदि यह बात है तो मुझे डर है कि यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कहीं प्रगति न कर जाए, ऊंची न आ जावे और उसके ऊंचे आ जाने के कारण मुझे भय है

Page No.86

(श्री भैरोंसिंह)

कि हमारे राजस्थान की जनता का जो पैसा है वह किसी प्रकार से सुरक्षित रह सकेगा या नहीं ? इस व्यक्तिगत सुरक्षा का लाभ····

श्री सोहनलाल भटनागर : अध्यक्ष महोदय, मैं रूल १७२ के सब क्लाज (४) की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि जिस डिमान्ड के ऊपर पहले बहस हो चुकी है तो फिर उसी पर बहस दुबारा न की जाय। यह जो अभी एज्युकेशन वगैरह की बात आप कह रहे हैं यह सब आप कहचुके हैं। तो मैं कहूंगा कि एप्रोप्रियशन बिल के ऊपर ऐसी बातें न की जायें तो अच्छा हो।

श्री भैरोंसिंह : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में ग्रान्ट इन एड के रूप में पैसा देने का विषय है इसलिए मैंने यह कहा।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि ग्रान्ट्स इन-एड देने का प्रश्न आता है उसके बारे में हमें नियम बनाने चाहिए, एज्युकेशन कोड बनाना जाहिए। प्राइवेट संस्थाओं को और समाजिक संस्थाओं को मदद किस प्रकार से दी जानी चाहिए इसके लिए कोई खास निर्धारित नियम बनाने चाहिए और उन नियमों का पालन करना चाहिए। मैं इसलिए निवेदन कर रहा था कि नियमों के अभाव के कारण गरीब जनता के पैसे का दुरुपयोग होता है। सभापति महोदय, हमारे यहां तो मोनोपोली है। हर बात के अन्दर मोनोपाली ह एक काम को एक ही आदमी कर सकता है उसको कोई और दूसरा नहीं कर सकता इस। प्रकार की व्यवस्था की जाती है। राजस्थान सरकार की ओर से जितनी भी समितियां बनती हैं उसमें सब सरकारी पक्ष के लोग ही होंगे। उनमें, मैं समझता हूँ, विरोधी- दल की किसी प्रकार की राय ले ली जाय तो अतिशयोक्ति हो जाय। विरोधदल के लोगों को किसी भी चीज में शामिल नहीं किया जाता। विरोधीदल के लोगों को गौण समझा जाकर कि इनकी कोई राय लेनें की आवश्यकता नहीं है, इस प्राकर की प्रवृति आज हमारे राजस्थान सरकार की है। इतना ही नहीं सभापति महोदय, यह प्रवृति इतनी आगे बढ़ गई है कि राजस्थान का जो साधु-समाज है उसके भी अध्यक्ष हमारी लोकसभा के एक सदस्य बनाये गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की मोनोपोली नीचे से लेकर साधु तक, गरीब से लेकर अमीर तक चलती रही तो सरकार जनता के सहयोग से जिन योजनाओं को सफल बनाना चाहती है वह उनमें असफल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे कम से कम यह तो व्यवस्था कर दें कि बजट के अन्दर जो धनराशि रखी गई है उसका किसी भी रूप में दुरुपयोग न किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

श्री जनार्दनराय नागर : सभापति महोदयजी....

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, अच्छा आप बिल पर बोल रहे हैं।

श्री जनार्दनराय नागर (मावली) : सभापति महोदय, जो राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९५७ इस सदन में विचारार्थ रखा गया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। इतनी बातें और छोटी-मोटी बातें इस सदन में बराबर इस दृष्टि से लाई जा रही हैं कि यह साबित किया जा सके कि

(श्री जनार्दनराय नागर)

राजस्थान सरकार की ओर से हर विभाग में, हर महकमे में, हर मंत्रालय में जो कार्य हुए हैं वह सब भ्रष्टाचार से परिपूर्ण हैं और इसके साथ ही साथ राजस्थान राज्य में काम करने वाली रचनात्मक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थायें हैं उनको भी बीच में व्यर्थ घसीटने का प्रयत्न किया जा रहा है और यह सब इसलिए किया जा रहा है कि आज राजस्थान सरकार के द्वारा सारे राजस्थान में जो विशाल निर्माण का कार्य हो रहा है, जो उसे नया जीवन दिया जा रहा है और राजस्थान में जो सार्वजनिक रूप से दो तीन वर्षों से नया रूप दिया जा रहा है उसके बारे में जनता में मतभेद फैलायें। और ऐसी भावना सारे राजस्थान में उत्पन्न की जाय कि जो नये राजस्थान का निर्माण करने में लगे हैं और जो डंके की चोट पर राजस्थान की जनता का बहुमत प्राप्त करने के लिए डटे खड़े हुए हैं और नये जनतंत्रीय राजस्थान का निर्माण करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं उनको जनता की आंखों से गिराया जाय। हम इस प्रकार की कुत्सित प्रवृत्ति को काफी अर्से से जानते आये हैं। इस सदन में ही नहीं अपितु इस सदन के के बाहर भी निर्वाचन क्षेत्रों के मोर्चे पर हमें इस प्रकार का ज्ञान हुआ है और हमने भी वीरता के साथ जनता के बहुमत के आधार पर और जनता का विश्वास प्राप्त कर, हमने हमारे इतने अर्से के कामों के विश्वास पर इनकी बातों को छिन्न-भिन्न किया है। हमारा विश्वास है कि इस सदन में इस प्रकार की बातें कही जाती हैं तो बड़ी नम्रता के साथ इनका सामना करने के लिए हम योग्य हैं और हम डटे रहेंगे। मैं यह अक्षरशः मानता हूं कि राजस्थान सरकार के विविध विभागों में और विविध मंत्रालयों में कुछ थोड़ी बहुत अव्यवस्थायें हो सकती हैं। यह सम्भव है कि इतने बड़े विशाल क्षेत्र में कुछ न कुछ अव्यवस्थायें हों। कोई भी इस बात का ढोल पीट कर नहीं चल सकता है कि यदि आज वह पदारूढ़ है तो उसके काल में और उसके क्षेत्र में कोई अव्यवस्था न हो. वह कभी नहीं कह सकता कि इतने बड़े विशाल क्षेत्र में कुछ अप्रबन्ध नहीं होगा, थोड़ी बहुत गड़बड़ियां नहीं होंगी। लेकिन ऐसा चित्र प्रस्तुत करना, छोटी-मोटी, इक्की-दुक्की, दो-चार घटनाओं को लेकर ऐसा चित्र प्रस्तुत करना लज्जाजनक बात है। यदि वह शांति से सोचें तो वह स्वयं ही इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जो यह बातें यहां बिना सोचे-विचारे कहते हैं वह पूर्ण असत्य हैं, भ्रामक व मिथ्या हैं।

श्री भैरोंसिंह : पूर्ण सत्य हैं।

श्री जनार्दनराय नागर : सभापति महोदय, यह कहा जा रहा है कि जीवनसिंह चौरड़िया वकील हैं जो जागीरों के मामलों में सरकार की मदद देते हैं। मैं माननीय मित्र को सूचना दूं कि यह वही वकील हैं कि जब कि जागीर रिज़म्पशन एक्ट के तहत उस समय जागीरदारों की ओर से इन्होंने ही हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किये थे और इन्हीं की मदद से जागीरदारों ने एक अर्से तक केसेज़ लड़े हैं और अब उन्हीं महाशय को, जब कि जागीर ऑफिस में जागीरों के मामले में मदद देने के लिए वकील ले लिया गया है तो मैं नहीं समझता कि इस बारे में किसी को एतराज कैसे हो सकता है ? मगर प्रवृत्ति हो गई है कि छोटी-मोटी बातों को, छोटी-मोटी घटनाओं को लेकर कुछ न कुछ सदन में अवश्य कहा जाय....

श्री भैरोंसिंह : ओन ए पोइन्ट ऑफ

(श्री भैरोंसिंह)

ऑर्डर, सर, मैं समझता हूं कि एप्रोप्रियेशन बिल पर न बोलकर जो बातें मैंने सदन में प्रस्तुत की हैं उनका जवाब दे रहे हैं....

श्री सभापति : एप्रोप्रियेशन बिल पर जो आप बोले हैं और जो यह बोल रहे हैं मैंने दोनों को ही सुना है। आप (श्री जनार्दन राय नागर की ओर संकेत) जारी रखिये।

श्री जनार्दनराय नागर : दूसरी दिलचस्प बात यहां पर और कही गई। जागीरदारों के मुआवजे का जब सवाल आता है तो यहां इस बात की शिकायत की जाती है कि जागीरदारों के मुआवजे का मामला अभी हल नहीं हुआ है और करीब ६० जागीरों के ही मामले केवल सेटल हुए हैं। तो एक ओर तो कहा जाय कि जागीरदारी और जमींदारी प्रथा अभी बन्द नहीं हुई है और दूसरी ओर जागीरदारों के मुआवजे की बात ली जाती है और कहा यह जाता है कि यह अत्यन्त ही गंभीर मामला है। मतभेद का आदर करते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि एक तरफ तो हम जागीरदारों के बारे में यहां वकालात करें और दूसरी ओर जमींदारी मामलों में हस्तक्षेप करें तो ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं। मैं इस विधेयक के पूर्ण समर्थन में इतना ही कहना चाहता हूँ कि विविध विभागों की दो-चार अव्यवस्थाओं को लेकर समूचे प्रशासनिक ढांचे को बदनाम करें और केवल छोटी-मोटी बातों को लेकर सरकार का विरोध करें तो मैं मानता हूँ कि हम सरकार के रोजमर्रा के काम में सहायता देने की प्रवृत्ति से बहुत दूर हैं।

एक बात जो यहां रखी गई है, मैं समझता हूँ कि जो यहां नहीं लानी चाहिए थी और वह है हमारे सीमा की रक्षा के बारे में। मैं सम्पूर्ण बिन्दु को इसलिए छोड़ना चाहता कि वह सार्वजनिक दृष्टि से हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और उसका सीधा संबंध हमारे भारत सरकार से है। मैं समझता हूं कि यहां सदन में या बाहर भी हमारे सीमा के बारे में किसी भी प्रकार की बात करना कि वह कमजोर है तो इसका प्रभाव शत्रुप्रदेश पर कैसा होगा, इसलिए ऐसी बात कभी नहीं लानी चाहिए। वैसे भी यह केन्द्रीय विषय है। मैं बहुत अच्छा समझता यदि माननीय मित्र के मुंह से जो बिन्दु बोलने के लिए बाहर आया वह अपने मुंह में ही रखते। पहले तो यह हमारा विषय नहीं है और मान लीजिए कि हम इस पर वाद-विवाद करने के योग्य भी हैं तब भी हमें इस प्रकार की कोई बात नहीं करनी चाहिए कि जिससे यह साबित हो कि हमारे राजस्थान को सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार का डर है। जहां तक मेरी जानकारी है हमारी भारत सरकार के प्रयत्नों से अभी हम किसी भी खतरे के वायस में नहीं हैं। इसलिए माननीय सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हमें अपने विरोध को प्रकट ही करना है तो उन बातों में करें जो सारे राजस्थान के हित की दृष्टि से आवश्यक हैं। यह कहा गया कि पुलिस प्रबन्ध में अव्यवस्था है। कुछ डिप्टी एस० पी० के मामले में शिकायतें की गई हैं। हां, यह माना जा सकता है कि इतने बड़े महकमे में कुछ ऐसे भी केसेज़ मिलें कि जिनसे हमें असंतोष हो सकता है। शिक्षा विभाग में भी कुछ असंतोष करने के केसेज़ मिलेंगे। लेकिन यह कोई दस-पन्द्रह केसेज़ को लेकर विचार करने का सवाल नहीं हैं। सवाल यह है और हमें देखना यह है कि राजस्थान

(श्री जनार्दनराय नागर)

सरकार का प्रबन्ध इस विशाल राज्य को चलाने के लिए योग्यता प्राप्त कर रहा है या नहीं।

सभापति महोदय, आप और हम सब जानते हैं कि हमने अभी संगठित और, सुसंस्कृत, राजस्थान को, पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया है, हम उस ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस समय हम नवोदित राजस्थान की देहली पर स्थित हैं। सन् ५० में २५ रियासतों के विलीनीकरण के बाद संयुक्त राजस्थान बना था, आप मानिए, सभापति महोदय, इतने कम अर्से के अन्दर हम सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक रूप से राजपूताने को मिटाकर नये राजस्थान को प्राप्त कर रहे हैं, उसे प्राप्त करने में कई मुश्किलें हैं, फिर भी ये समस्यायें ऐसी हैं कि सरकार ने इस ओर बढ़ कर इसको प्राप्त करने की निरन्तर कोशिश की है और प्राप्त किया है। मेरी मान्यता है, सभापति महोदय, कि राजस्थान राज्य में काफी सुधार होता जा रहा है। मैं आपके द्वारा सदन से इस बात की मांग करना चाहूंगा, इरादे बहुत अच्छे हैं, और नेक इरादों की ओर हम बढ़ना चाहते हैं ताकि राजस्थान राज्य के प्रबन्ध में और उसके शासन-संचालन में जागृति पैदा हो। मैं भी इस मत से सहमत नहीं हूं कि राजस्थान राज्य का जो प्रबन्ध है उसमें गड़बड़ियां नहीं या भ्रष्टाचार नहीं हैं। इतना होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि राजस्थान राज्य को खर्च करने के लिए एक पैसा ही न दिया जाय, अनुदान न दिया जाय, किसी भी प्रकार से आर्थिक शृंखला से मंडित नहीं करना चाहिये। ऐसा कह कर माननीय सदस्य न तो राजस्थान राज्य की सही माने में सेवा कर रहे हैं और न अपने कर्तव्यों को ही निभा रहे हैं। यह हम भी मानते हैं कि हम कोई ईश्वर के यहां राज्य करने की कला सीख कर नहीं आए हैं, आखिर हम भी मनुष्य हैं, शासन संचालन का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, कुशलता सम्पादन करने की कोशिश कर रहे हैं, कार्य-शक्ति में विस्तार हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस बारे में राजस्थान सरकार को अधिक प्रोत्साहन मिलना चाहिये ताकि सरकार आपसे प्रोत्साहित होकर जनता के निर्माण कार्यों में द्विगुणित वेग से लग सके। हमारे इस वर्ष के बजट में विशेष धन विविध निर्माण कार्यों के लिए रखा गया है। आज हम देखते हैं, हर कोई इस बात की इच्छा रखता है कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में जो कमियां हैं, उनके निर्वाचन क्षेत्र की जनता की जो मांगें हैं वे पूरी हों। सभापति महोदय, यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमारी सरकार इन मांगों और जनता के अभावों को दूर करने में सतत् प्रयत्नशील है, ऐसी हालत में जो धन की मांग की गई है, जो अनुदान की मांग की गई है उसको सहर्ष स्वीकृत करें ताकि जनता के विकास कार्यों में उस धन का उपयोग हो सके।

अन्त में सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमें थोड़े उदार दृष्टिकोण से हर समस्या पर विचार करना पड़ेगा। सभापति महोदय, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हम आपसे चाहते हैं कि आप राजस्थान के राजतंत्र को दाद नहीं देंगे, उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे, तो हम निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते हमारा जनता के प्रति और राज्य के प्रति जो कर्तव्य है उसके साथ न्याय नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे फिर एक बार

(श्री जनार्दनराय नागर)

अपील करना चाहता हूं कि हमें पस्त हिम्मत होने की आवश्यकता नहीं। निराशा से और छिद्रान्वेषण की दृष्टि से काम चलने वाला नहीं, हमें विशाल और उदार दृष्टिकोण अपना कर राजस्थान का राजतंत्र जो समूचे राजस्थान के निर्माण में दत्तचित है उसके, प्रबन्ध में गलतियां और खामियां हो सकती हैं, फिर भी जो विशाल कार्य करना है, उसके लिए हमें सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिये। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जो विधेयक सदन के सामने रखा गया है उसे पूर्णतया स्वीकार किया जावे। छोटी-मोटी बातों को लेकर राजस्थान के राजतन्त्र के प्रति जो भ्रष्टाचार और गड़बड़ियों का आरोप लगाया जाता है यह मैं समझता हूं हमारी राजकीय सेवाओं को निरूत्साहित करने की कोशिश है। कई विभागों को कोसा जाता है। जैसे पुलिस विभाग है यहां पर पुलिस विभाग को लेकर कुछ अनर्गल बातें कही गई। मैं मानता हूँ कि पुलिस विभाग में खामियां हो सकती है किन्तु उनको इस प्रकार प्रदर्शित करना, पुलिस के कार्यों को जिस पर प्रान्त की सुरक्षा का भार है यहां इस प्रकार की बातें कह कर हम राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार विविध विभाग हैं, जिनमें गड़बड़ियां हो सकती हैं उनको लेकर हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य इस बात की कोशिश में लगे हैं कि जो कुछ नाराजगी की भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर मिलता है, नाराजगी व्यक्त कर दी जाय, मेरी यह धारणा है कि यह जनता की सेवा करने का इरादा नहीं।

इसके अतिरिक्त सभापति महोदय, विद्यापीठ के बारे में कुछ बातें कही गई। अच्छा होता मेरे माननीय मित्र विद्यापीठ को निकट से देखते, वहां आकर कुछ दिन रहें और हमारे मित्र के नाते हम उनका स्वागत सत्कार करें। आज बाईस वर्ष से यह शिक्षण संस्था सामाजिक और शैक्षिक दिशा में विश्व विद्यालय होने के प्रयत्न में है। आज जनता की सरकार बनी है, लेकिन जब हिन्दुस्तान गुलाम था उस समय हम दोहरी गुलामी में थे, उस समय सन् १९३७ से हमने अथक परिश्रम से विद्यापीठ का दीपक जलाया और मैं आपसे निवेदन करूंगा हमने संघर्ष को काफी झेलते हुए उस समय से हम इस संस्था का विकास करते चले आ रहे हैं। सभापति महोदय, तीन रुपये से लेकर तीन लाख रुपये तक हमने इसका विकास किया। हमने इसके लिये हजारों और लाखों रुपया राजस्थान के बाहर से एकत्रित किया। हम इस बात के लिये कृत संकल्प थे कि राजस्थान की सामाजिक और शैक्षणिक दिशा में हमारा यह विद्यापीठ विश्व विद्यालय के रूप में विकसित हो और हम इस प्रयत्न में निरन्तर लगे रहे। हो सकता है हमारे कुछ मित्रों को इस बारे में नाराजगी हो, लेकिन हमने जिस बात का दृढ़ संकल्प कर लिया था उसमें आंधी और तूफान का मुकाबिला करते हुए, २२ साल पहले जिस दीपक की लौ को हम जला चुके थे उसको आज तक प्रज्ज्वलित रखा है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस विद्यापीठ ने राजस्थान की हुकूमत से भी ढाई वर्ष तक संघर्ष किया, संस्था के निमित्त राजस्थान की हुकूमत से बराबर लड़ते रहे अन्धेरी रातें निकाली हैं। हम जानते है कि इस संस्था ने राजस्थान में जनतत्री शासन के विकास में कितना योग दिया, यह किसी से

(श्री जनार्दनराय नागर)

छिपी बात नहीं है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता हर एक को है। उसका उपभोग कोई कैसे करता है यह उस व्यक्ति पर निर्भर है, इसको हम भी बखूबी जानते हैं और समझते हैं। सब बात यह है कि वास्तव में सामाजिक सुधार की जो कुछ प्रवृत्तियां, जो विचार प्रणालियां है, जो गतिविधियां है हमारी संस्था की, उसके लिये विरोधी पक्ष का दृढ़ता पूर्वक यह प्रयत्न है कि वे इसको छिन्न-भिन्न करें। मैं सभापति महोदय, आपके जरिये सदन को एक बात विशेष रूप से याद दिला देना चाहता हूँ जो यह है कि हम जो कुछ कहते हैं साफ और सत्य के रूप में कहते हैं और यहां रखते हैं। हमारी संस्था में जो कोई आता है हम उससे एक राजनैतिक कार्यकर्ता की हैसियत से नहीं बल्कि एक ब्राह्मण की तरह बातें किया करते हैं। सभापति महोदय, सत्य के लिये ब्राह्मण पृथ्वी तक छोड़ सकता है लेकिन आप जो केवल किसी भी बात को राजनैतिक प्रवंचना के रूप में सोचते हैं, आपकी विचारधारा इससे ऊपर नहीं उठ सकती जो आपकी यह राजनैतिक दुर्भिसंधि है उसमें हम आपकी मदद नहीं कर सकते।

एक बात और अन्त में मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर देना चाहता हूं जो यह कि सार्वजनिक संस्थाओं पर इस तरह से हमला न किया जाय। सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में कई सार्वजनिक और रचनात्मक संस्थायें हैं जिनको विरोधी पक्ष में बैठने वाले भी चलाते हैं। मैं उनके नाम भी गिना सकता हूं। उनकी संस्थाओं को भी राज्य की तरफ से मदद मिलती है। जो सरकार इन संस्थाओं को एड देती है उसका मतलब यह नहीं होता कि वे सरकारी संस्थायें हो गईं। एड का मतलब है मदद। मदद देकर किसी संस्था को खरीदा नहीं जा सकता। इस तरह से सरकारी संस्था वह बन नहीं सकती। सरकार का अगर इस प्रकार का प्रयत्न है, या हुआ तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि राजस्थान की सार्वजनिक शिक्षण संस्थायें चलाने वाले इस बात के लिये सरकार का मुकाबला करेंगे, किया है और अन्त तक किया है। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं को आप मिट्टी का खिलौना मत समझिये। रचनात्मक शिक्षण संस्थाओं को, व्यक्तिगत साधना की आहुति देकर उनको पनपाना हमारा धर्म है। मैं फिर आपसे अर्ज करूंगा कि इन रचनात्मक सार्वजनिक शिक्षण संस्थाओं पर आप राजनैतिक साधन के लिये हमला न किया करें। मेरे मित्र को यहां आकर, इस नवजीवन के पवित्र मन्दिर में आकर इस बात को भूल जाना चाहिये कि वे जनसंघी है या कांग्रेसी। हमें इन्हें नये देवालय मानना चाहिये जहां राजस्थान का मस्तिष्क, हृदय और प्रतिभा का विकास होता है। सभापति महोदय, माननीय मित्र जो खेल खेल रहे हैं वह खतरनाक खेल है। अगर आप इस खेल को ज्यादा खेलने लगे तो आपको राजस्थान की नवोदित नव-आत्मा और नई जाति से मुकाबला करना पड़ेगा। हमारी नव संस्कृति इस बात के लिये आतुर है कि नये युग में, नई स्थिति में नये राजस्थान की आत्मा को पवित्र किया जाए और वे इन संस्थाओं की गति विधियों द्वारा ही हो सकती है। शुरु से मैं देख रहा हूं, सभापतिमहोदय, हमारे विरोधी पक्ष के सदस्य इन संस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने में प्रयत्नशील हैं। आपको स्मरण रखना चाहिये आप ऐसा करके राजस्थान की नई ज्योति, नई आत्मा और

Page No.92

(श्री जनार्दनराय नागर)

धूमधाम का जिक्र आया। बजट में भी इसका उल्लेख आया। राजस्थान के लोग यह समनये अन्तर से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसको आप छोटा दीपक मत समझिये जो आपके इस प्रकार के तुच्छ प्रहार से बुझ जाए। यह वह अमर ज्योति है जिसको प्रज्ज्वलित रखने में हमने कई आंधी और तूफान झेले हैं। आज इसमें इतनी क्षमता है कि कोई आंधी या तूफान इन्हें अपने पथ से विचलित नहीं कर सकते।

श्री तनसिंह : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य क्या पर्सनल एक्स्प्लेनेशन दे रहे हैं या किसी स्कूल के सालाना जलसे में बोल रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : माननीय सभापति महोदय, एप्रोप्रियेशन बिल पर माननीय सदस्य ने जो विचार प्रकट किये उनको सुनते समय मुझे ऐसा लगा कि यह राजस्थान विधान सभा नहीं बल्कि उदयपुर विद्यापीठ का भवन है और उसके वार्षिकोत्सव में माननीय सदस्य बोल रहे हैं। सभापति महोदय, आज हमारे सामने एप्रोप्रियेशन बिल आया है, जो सरकार के विभाग हैं, विभागों की एडमिनिस्ट्रेटिव पोलिसी का सवाल है उन पर ही हमें विचार प्रकट करने चाहिये। इस प्रकार के विचार रख कर किसी संस्था की यहां वकालत की जाती है।

श्री जनार्दनराय नागर : विद्यापीठ की वकालत ईश्वर और भाग्य ने की है।....

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र।

श्री अनूपसिंह : Is that very parliamentary ? The way in which he is expressing himself, is it parliamentary ?

श्री भैरोंसिंह : उनको सब तरह की छूट है।

श्री जनार्दनराय नागर : I will retire from this House if objection is being taken and if any attack is made on the Vidyapith I will defend it to my...my...

(बाधा)

श्री रामकरणसिंह : परशुराम बनने की कोशिश मत करिये।

श्री सतीशचन्द्र : अब सरकारी विभागों के सम्बन्ध में, सरकारी विभागों में किये जाने वाले व्यय के बारे में, सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान की भावी आर्थिक विकास की नीति एवं योजना के सम्बन्ध में, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता के लिये किये जाने वाले या किये गये विकास कार्यों के सम्बन्ध में जिन जोरदार शब्दों में विचार प्रकट किये गये, उस सम्बन्ध में माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यदि हम वस्तुस्थिति का ठीक तरह से अवलोकन करें, यदि हम सत्यासत्य की ओर जावें तो हमें कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई देगी कि जहां हम सरकार का समर्थन कर सकें। आज हर विभाग में भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

आज से कुछ दिनों पहले हमने माननीय राज्यपाल का भाषण सुना, उसमें चुनावों की

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कहते हैं कि राजस्थान में जो चुनाव हुए वे निष्पक्ष नहीं हुए । राजस्थान सरकार इसके सम्बन्ध में फिर चाहे जितना ढिंढोरा पीटे। मैं, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में आपका अधिक समय नहीं लेते हुए फिर वही उदाहरण स्मरण दिलाना चाहूंगा कि आज निष्पक्ष चुनाव की बात करते हैं, हमें यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि राजस्थान में चुनाव निष्पक्ष हुए । एक तरफ तो हमें इस तरह का इस राजस्थान के मन्त्री महोदय विश्वास दिलाने की चेष्टा करते हैं, और दूसरी तरफ राजस्थान के भाग्य की बागडोर अपने हाथों में लेकर इस प्रदेश का शासन चलाने वाले हमारे राजस्थान के जो मन्त्री हैं, जो वित्त मन्त्री हैं, जो हमारे प्रांत का भाग्योदय करने वाला बजट है उसके प्रस्तुत करने वाले हमारे मन्त्री महोदय हैं वे कहते हैं कि दस सरकारी कर्मचारी उनके पास आये और चुनाव में उनकी मदद करने की बात कही, उन सदस्यों के बारे में यहाँ पर विचार प्रकट किया गया, आपत्ति की गई और उन्होंने स्वयं ने यह स्वीकार किया पर वे उनके नाम प्रकट करना नहीं चाहते। सरकारी कर्मचारी को सहायता देने के लिए पत्र लिखते हैं, उनके राज्य कर्मचारी ने उनकी चुनावों में सहायता की। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, कि जहां तक इलेक्शन के कानून का सम्बन्ध है, रिप्रेज़ेन्टेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं, सरकारी कर्मचारियों द्वारा चुनाव में किसी की सहायता करने का आश्वासन देना, अब वह सहायता स्वीकार की गई या नहीं की गई, यह अलग प्रश्न है, मैं समझता हूं यह करप्ट प्रेक्टिस है। आज वे उन के नाम प्रगट करने को तैयार नहीं। यह भी करप्ट प्रेक्टिस है। तो यह मिसाल आई सरकार के सामने, पर कुछ नहीं किया गया। उत्तर तक नहीं दिया जा रहा है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ सभापति महोदय, कि इस प्रकार की बात अगर और किसी के द्वारा की गई होती, इस प्रकार की बात किसी और सदस्य ने की और यहां सदन में कही होती, इस प्रकार के सुबूत और डॉक्युमेन्ट किसी अन्य माननीय सदस्य के हाथ लगे होते तो उनके साथ मालूम नहीं क्या किया जाता? पर आज जिनके हाथ में राजस्थान के भाग्य की बागडोर है वे उस सत्ता के बल पर इन सब सुबूतों के होते हुए भी उनको अनसुना कर रहे हैं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इस तरह के एक नहीं अनेक उदाहरण मिल सकते हैं, वहां सर्विस की निष्पक्षता की जोर जोर से घोषणा करने वाली यह सरकार, चुनावों निष्पक्षता की घोषणा करने वाली यह सरकार और इस सरकार के साथीगण ने क्या किया है। उन्होंने अपने पदों का दुरुपयोग किया है।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं चुनावों के बारे में और इस सरकार के साथियों के अपने पदों के दुरुपयोग के बारे में अधिक नहीं कह कर कुछ हमारे सरकारी विभागों के बारे में कहना चाहूँगा जिनके लिये इस बजट में इतनी बड़ी बड़ी धनराशियां रक्खी हैं, करोड़ों रुपया उनके डिस्पोज़ल पर रक्खा है, उनके बारे में कहूँगा।

भारत सेवक समाज का जिक्र आया। करोड़ों की धनराशि ग्रान्ट्स के रूप में इसको दी गई। स्वायत्त शासन संस्थाओं को काफी धनराशि दी गई । समाज सेवी संस्थाओं को,

(श्री सतीशचन्द्र)

वॉलेन्टियर ओर्गेनाइजेशन्स को काफी धन का प्रावधान किया गया है । मैं सभापति महोदय, पहले भारत सेवक समाज के बारे में कुछ कहना चाहूंगा ।

आज से तीन-चार साल पहले जयपुर में इसकी स्थापना के लिये एक मीटिंग बुलाई गई। यह नोन पोलिटिकल ओर्गेनाइजेशन है, प्रदेश के प्रधान मन्त्री श्री नेहरू के शब्दों में। तो मैं बताऊं आज से कोई तीन-चार साल पहले चौड़े रास्ते में शारदा भवन में एक सभा हुई थी। सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कहिये उसमें पांच सदस्य चुने गये, जिनमें से एक में मैं भी था। इसमें हमारे यहां के वयोवृद्ध कार्यकर्त्ता चिरन्जीलाल मिश्र भी थे, विजयचन्द जैन और गुलाबचन्द काला भी थे और कोई एक सदस्य और थे। भारत सेवक समाज का चुनाव सम्पन्न हो गया। लेकिन क्या देखा जाता है कि तीन-चार महीने के बाद हमारे पास एक मीटिंग का नोटिस आता है। अखबारों में हम एक दिन पढ़ते हैं कि हमारे प्रादेशिक भारत सेवक समाज के जो सेक्रेटरी हैं, संयोजक हैं उन्होंने जयपुर के लिये दूसरे भारत सेवक समाज की स्थापना कर दी। जब भारत सेवक समाज के २५० सदस्यों ने एकत्रित होकर एक बार चुनाव कर लिया, समिति का निर्माण कर लिया था तो कौन सी ऐसी बात थी कि जिससे प्रदेश के संयोजक ने उसे भंग करके हमें सूचना न देकर एक अलग से पैरेलल भारत सेवक समाज का निर्माण किया? इसमें केवल एक बात थी। इसमें दो विरोधी दल के व्यक्ति थे। एक न्युटरल था और बाकी दो सत्तारूढ दल के थे। उनको यह डर था कि यह न्युटरल व्यक्ति अगर विरोधी व्यक्तियों के साथ मिल जायेगा तो जो उन्हें लाखों रुपयों का घोटाला करने को मिलेगा वह घोटाला करने का मौका उन्हें नहीं मिल पावेगा। इसलिये उनके काले-कारनामों का परदा फाश न हो जावे इस प्रकार की मनोभूमिका को लेकर राजस्थान प्रदेश के संयोजक महोदय ने भारत सेवक समाज के बाकायदा चुने गये सदस्यों को, उनकी समिति को कोई सूचना न देते हुए, उसे भंग करके दूसरे भारत सेवक समाज की स्थापना की कि जिसमें उनके अपने आदमी थे। जहां भारत सेवक समाज की रचना इस आधार पर होती हो, माननीय सभापति महोदय, ऐसी स्थिति में हम कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वह भारत सेवक समाज की संस्था नोन पोलिटिकल हो सकती है, प्योरली वॉलेन्टरी संस्था हो सकती है? जब इस प्रकार से भारत सेवक समाज का निर्माण होता है तो उसके हाथों में लाखों रुपया खर्च करने के लिये देना, उनके द्वारा लाखों रुपया खर्च कराना, मैं समझता हूं कि यह बड़े बड़े घोटालों को पनपाना है, और इस तरह से मैं समझता हूँ कि यह भारत सेवक समाज कोई नोन पोलिटिकल ऑर्गेनाइज़ेशन भी नहीं है, यह तो सत्तारूढ दल का एक अंग है और इसके एक अंग के द्वारा इस प्रकार की चीजें करवाई जाती हैं। यह भारत सेवक समाज का किस्सा है।

यही हाल महिला मण्डलों का, विमुक्त जाति संघ का, खादी संघ, शिशु कल्याण केन्द्र आदि अनेकानेक संस्थाओं का है। इस प्रकार से इन संस्थाओं का निर्माण कर रक्खा है जिनके द्वारा लाखों रुपयों, इस प्रदेश के लोगों की गाढ़ी कमाई का टैक्सों के रूप में लिये गये रुपयों का ही नहीं, केन्द्र द्वारा भी प्रदत्त धन राशि का जो हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना के नाम से राजस्थान के ही नहीं, देश के सारे हिन्दुस्तान के ३५ करोड़

(श्री सतीशचन्द्र)

की जनता से टैक्सेज़ के नाम पर आज हमारी यह सरकार लेना चाहती है वह सारी धन राशि सारी संस्थाओं के द्वारा अपने संगठन को बलशाली बनाने के लिये, जनता में कांग्रेस का प्रभाव बनाये रखने लिये सत्तारूढ दल के इशारों पर उनके आदमियों के द्वारा खर्च की जाती है। यही नहीं सभापति महोदय, मैं यह भी बताऊं कि जो धनराशि लाखों रुपयों, की करोड़ों की धनराशि इन संस्थाओं के द्वारा खर्च की जाती है उसकी कोई एन्क्वायरी तक नहीं होती, उसके खर्चे का ऑडिट तक नहीं होता। यदि जांच की जावे तो कई गुल खिल सकते हैं और जो लाखों करोड़ों का घोटाला इन संस्थाओं द्वारा किया गया है या किया जा रहा है उसका पर्दाफाश हो सकता है।

आज से कुछ दिनों पहले जलबोर्ड का मामला आया था। राजस्थान के जलबोर्ड को करोड़ों की धनराशि दी गई थी। ऐसे जल बोर्ड के संयोजक, सेक्रेट्री, मन्त्री के बारे में यहां पर सदन के सामने एक सर्टिफाइड कॉपी मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये जजमेंट की पेश की गई थी। उन पर हिसाब ठीक नहीं रखने का और उसमें गबन करने का आरोप था। सीकर के मजिस्ट्रेट के सामने उन पर केस चला और जुर्माना हुआ। जिस जल बोर्ड के सेक्रेट्री, संयोजक या मंत्री पर इस तरह से गबन के मामले में, हिसाब ठीक नहीं रखने के आरोप में अदालत में जुर्माना हुआ हो उस आदमी को जलबोर्ड का संयोजक रक्खा जावे, ऐसा आदमी कर्त्ता-धर्त्ता-रहे जलबोर्ड का, राजस्थान की जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रुपया ऐसे जल बोर्ड के द्वारा खर्च कराया जावे तो मैं कहूँगा कि यह भ्रष्टाचार को पनपाना है, सरासर घोटालों को प्राश्रय देना है। तो मैं सभापति महोदय, यह कहूँगा कि क्या जल बोर्ड, क्या महिला-मण्डल, क्या यह भारत समाज, क्या विमुक्त जाति संघ, क्या शिशु कल्याण केन्द्र इत्यादि इत्यादि संस्थाएं एक प्रकार से जोइन्ट स्टॉक कम्पनी के रूप में हैं, जिनके डाइरेक्टर हमारे माननीय सदस्य, जो सत्तारूढ़ दल के अंग हैं, हैं; खुद डिविडेन्ड लेते हैं, एजेन्सी सिस्टम भी लागू कर रक्खा है, मोनोपोली बना रक्खी है, सारा डिविडेण्ड खुद खा जाते हैं, दावा करते हैं समाजवाद का। जनता को, शेयर होल्डरों को एक पैसा नहीं देते, उनको पता नहीं लगने देते कि उनके इस रुपये का हुआ क्या ? हिसाब नहीं बताते। तो माननीय सभापति महोदय, मैं इस बारे में इतना ही कह कर आगे चलता हूँ।

अभी जिक्र आया था पुलिस विभाग का। इस बारे में सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो पुलिस विभाग है यह सबसे महत्वपूर्ण है। इस पर जनता की जान व माल की रक्षा का भार है। आज हमारे राजस्थान प्रान्त के बोर्डर की क्या हालत है, दूर दूर देहातों की क्या हालत है, अन्य जगह क्या हालत है इन सब बातों में जाने की जरूरत नहीं। मैं माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के अन्य नगरों की बात नहीं करता, अन्य गावों की, कस्बों की, दूर देहातों की बात नहीं करता, उन छोटी छोटी झोंपडियों की, जहां प्रकाश नहीं, बिजली नहीं, टेलीफोन और तार नहीं, वहां की बात नहीं करता, ढाणियों की बात नहीं करता, मैं बात करता हूं राजस्थान की राजधानी जयपुर शहर की, जहां पुलिस के ऊंचे से ऊंचे अधिकारी रहते हैं, बड़े से बड़े मन्त्री विराजते हैं, मैं आपको जयपुर होने वाली अप्रेल १९५४ की घटना की याद दिलाता

(श्री सतीशचन्द्र)

हूं जब कि हल्दियों के रास्ते में, शाम को आठ बजे, जौहरी बाजार के निकट, कन्हैयालाल भाटिया नाम के आदमी को उसका थैला छीनकर, उसका रुपया छीनकर, गोली से उड़ा दिया गया। शाम के ८ बजे का समय था, गरमियों के दिन थे, सूरज छिपने के थोड़ी देर बाद की बात है। हल्दियों के रास्ते की बात है, जो जौहरी बाजार का प्रधान स्थल है। जहां इतना बड़ा इतना घना आवागमन है। इतना बड़ा ट्रैफिक है। शाम को आठ बजे का समय, गरमियों का समय, सूरज भी छिपा ही होगा, ऐसी जगह सरे आम बाजार में, जहां से माणक चौक का थाना मुश्किल से दो फर्लांग की दूरी पर होगा, इस प्रकार की परिस्थितियों में एक आदमी का थैला लूट लिया, रुपये लूट लिये, गहने लूट लिये, ऑर्नामेन्ट्स लिये और जब आदमी उसके पीछे भागने लगा उसको पकड़ने के लिए तो वहां पर उसको गोली से उड़ा दिया। यह जौहरी बाजार में हल्दियों के रास्ते का वाकया है। माननीय सदस्यों को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि उसी समय माणक चौक के पुलिस स्टेशन को, जो जहां यह वाकया हुआ है, करीब डेढ दो फर्लांग पड़ता है, टेलीफोन किया, कम्प्लेन्ट की, एफ. आई. आर लोज की गई; लेकिन हमारे माणक चौक के थाने ने फाइनल रिपोर्ट दे दी कि कोई सुबूत नहीं मिलता, जांच पर पता नहीं चलता, इसकी शिकायतें की गई। आई. जी. पी. को की गई, डी. आई. जी. पी. को की गई, दूसरा इन्स्पेक्टर इसके लिए मुकर्रर किया गया और इस बीच दो साल का समय गुजर गया और यही रिपोर्ट हुई कि कोई सुबूत नहीं मिलता। जब इस तरह की बातें होती हैं तो माननीय सभापति महोदय, उसको सदन के सामने रखने की आवश्यकता होती है। इस केस में तीन साल के बाद फैसला हुआ। मैं सदन में इसकी कॉपी प्रस्तुत कर सकता हूँ। यदि माननीय सदस्य उसको देखना चाहें तो वह सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास मौजूद है। मजिस्ट्रेट ने क्या लिखा है, यह भी मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बता देना आवश्यक समझता हूँ। मजिस्ट्रेट ने यह लिखा है कि यह एक सख्त अफसोस की बात है कि जौहरी बाजार के अन्दर, सरे आम, सायंकाल के वक्त, हल्दियों के रास्ते में, जहां से पुलिस स्टेशन दो फर्लांग है, पुलिस द्वारा जान-माल की रक्षा नहीं हो सकी, सुबूत के अभाव में कातिल को नहीं पकड़ा जा सका। सभापति महोदय, पुलिस विभाग की लापरवाही के कारण इस प्रकार की अनेक घटनायें हो सकती हैं। जो पुलिस विभाग की वकालत करने वाले लोग हैं, उसको कहना चाहूँगा कि वे उस फैसले को देखें, मेरे पास उसकी सर्टिफाइड कॉपी मौजूद है, वे उसको देख सकते हैं। मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस विभाग पर एक आरोप लगाया गया है, एक लांछन लगाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि किस प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं। थोड़े शब्दों में १५ दिन पहले जो हुआ वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। १५ दिन पहले की बात है कि कोमर्स इन्डस्ट्रीज़ डिपार्टमेन्ट से साल्ट के टेन्डर्स देने के लिए मुझे और एक मेरे साथी माननीय श्री सहदेवजी को बुलाया गया। हमने देखा कि ४०० के करीब दरख्वास्तें आयी थीं। उन्होंने हमें कहा कि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है,

(श्री सतीशचन्द्र)

ऑर्डर है कि ३२ को लोटरी से निकालें। सहदेवजी ने लोटरी से निकाले। उस पर जिनके नाम निकाले गये, दस्तखत कर दिये गये। ड्राफ्ट बन गया, ३२ लोगों को, जयपुर जिले के लोगों को अलॉट कर दिया। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्यों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि उसके तीसरे दिन बाद ही शिकायतें लेकर लोग आते हैं कि कमिश्नर महोदय ने एक ऑर्डर निकाला है कि ३२ आदमियों की नहीं ९६ आदमियों की लोटरी निकलनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, तीन दिन पहले जो लोटरी निकाल दी गई और ऑर्डर के माफिक ३२ आदमियों को अलॉटमेन्ट हो गया, लोटरी भी इस सदन के दो सदस्यों के द्वारा जिस पर उनके दस्तखत हैं और उसके बाद यह कहा गया, ऑर्डर निकाला गया, सर्कुलर लेटर निकाला गया कि ९६ आदमियों को परमिट दिया जाय, लोटरी दुबारा निकलनी चाहिए, यह एक बड़े आश्चर्य और दुख की बात है। सभापति महोदय, मैं कहता हूँ कि परमिट तो आप ९६ क्या ६०० दें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन होता क्या है, कि जो एक बार सॉल्ट के बारे में प्रोसिजर तय हो गया, हम एक बार एक प्रोसिजर तय कर देते हैं, जिन जिन व्यक्तियों ने दरख्वास्तें दीं, टेन्डर्स भेजे, जिनके नाम लोटरीज़ निकाल दी गईं, उनको तीन तीन वैगन का कोटा अलॉट कर देते हैं, वे लोग पहले ही तीन तीन वैगन की एडवान्स जमा करा देते हैं, ट्रेज़री में जमा कर देते हैं, उनको रसीदें मिल जाती हैं, और रसीदें मिलने के बाद यदि इस प्रकार की घटनायें होती हैं, दूसरे सर्कुलर निकालते हैं तो यह राजस्थान सरकार के लिए एक शोभा की बात नहीं है।

अन्त में मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं.... ....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ओन ए-पोइन्ट ओफ ऑर्डर, सर, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह निवेदन कर दूं कि वह ऑर्डर स्टेन्ड करता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यदि ऐसा कर दिया है तो उसके लिए धन्यवाद है। पहले ऐसा हुआ, यह आप मानते हैं? यही मेरे कहने का तात्पर्य था कि किस प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा कुछ नहीं हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपका ध्यान........

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : यह कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर भी आप कहते जा रहे हैं।

श्री सभापति : Please continue.

श्री ऋषभचन्द धारीवाल : पहले ऐसा नहीं हुआ, यह कहा जा रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, मेरे पास उस ऑर्डर की कॉपी है। यदि माननीय सदस्य उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। ३२ के बजाय ९६ के लिए किया गया। यदि ९६ के लिए नहीं किया गया है, यह बात बात दें, कॉन्ट्राडिक्ट कर दें, तो मैं झूठा हूँ नहीं तो वे झूठे हैं। ३२ के लिए मेरे पास ऑर्डर की कॉपी मौजूद है। I have got those copies here.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ३२ को परमिट दे दिया गया है।

(घन्टी)

श्री भैरोंसिंह : सभापति महोदय, यह जानकारी मैं दे दूं कि मन्त्री महोदय को बीच में नहीं बोलना चाहिए कोई सज्जन बोल रहे हैं तो बीच में खड़े होकर नहीं बोलना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, मैं इस समय एक निवेदन और करना चाहूँगा। राजस्थान सरकार ने एक महकमा और खोल रखा है और वह महकमा है अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड, नगर विकास मंडल।

(घंटी)

श्री सभापति (श्री हरिदेव जोशी) : मैं सूचित करूं कि आप कृपया रूल १७२ के सब रूल (४) की ओर ध्यान रख कर अपना वक्तव्य सीमित रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय सभापति महोदय, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के बारे में, नगर विकास मंडल के बारे में कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ है और मैं इस संबंध में एक दो शब्द रखना चाहूँगा। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड, नगर विकास मंडल राजस्थान में बनाया गया, नगर के विकास के लिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या यह इसलिए बनाया गया कि जयपुर की म्युनिसिपेलिटी और नगर विकास मंडल में आपस में झगड़े होते रहें? क्या इस कारण से इसको बनाया गया है कि जिसको चाहे उसको प्लॉट दे दें। आज समय नहीं है, नहीं तो मैं सदन के सामने एक लिस्ट रखता, मेरे पास लिस्ट है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताऊं कि माननीय सदस्यों को यह सुन कर अवश्य ही आश्चर्य होगा कि जिन व्यक्तियों ने आज से चार चार साल पहले प्लॉट्स के लिए दरख्वास्तें दीं, उनको प्लॉट्स नहीं मिले, प्लॉट्स तो उन लोगों को मिले हैं जिनकी दरख्वास्तें साल भर पहले नहीं थीं किन्तु छः महीने पहले थीं। जिनकी दरख्वास्तें छः महीने पहले थीं उनको तो प्लाट्स मिल गये लेकिन आज से चार साल पहले जिन व्यक्तियों की दरख्वास्तें थीं उनको आज तक प्लाट्स नहीं मिले हैं। मैं एक एक व्यक्ति का नाम बता सकता हूं। अरबन इम्प्रूवमेंट का जो महकमा खोला गया है वह नगर के विकास के लिए है, लेकिन इस महकमे में यह धांधली-बाजी हुई है कि चाहे जिसको प्लॉट अलॉट कर दिया और जिसको देने की मर्जी नहीं हुई उसको नहीं दिया गया। यही नहीं, सभापति महोदय, मैं सदस्यों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि पहले जिन जमीनों को अमुक काम के लिए मार्क कर दिया गया था, प्लान बना दिये गये थे, जैसे यह जमीन बाजार के लिए रखी गई है यह जमीन तांगा स्टेन्ड के लिए रखी गई है, यह जमीन रिक्शा स्टेन्ड के लिए रखी गई है, यहां पर फ्रूट मार्केट बनाया जायगा, उन सारे स्थानों को अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड ने, नगर विकास मंडल ने अमुक अमुक काम के लिए निश्चित किया था, लेकिन हुआ यह कि मन्त्रियों के इशारों पर, उनकी सिफारिशों पर, प्लॉट्स दिये जाने के लिए उन सारे स्थानों का फिर से प्लान किया गया। जो प्लान पहले बना दिये गये थे उन सारे प्लान्स को केन्सल कर दिया गया और नये प्लान्स बना दिये गए और नए प्लान्स बना कर उन जमीनों को प्लॉट्स बना

(श्री सतीशचन्द्र)

कर अलॉट कर दिया गया। प्लॉट्स जिनको दिये गये, माननीय सभापति महोदय, मैं सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहूँगा कि प्लॉट्स उनको दिये गये, मंत्रियों की बात छोड़ दीजिए, वे प्लॉट्स माननीय मंत्रियों के ड्राइवर्स को दिये गये। जिन लोगों की चार-चार साल से दरख्वास्तें पड़ी थीं, यदि आप उनके नाम जानना चाहें तो मैं बता सकता हूं, लिस्ट मेरे पास है, उनको प्लाट्स नहीं दिये गये।

सभापति महोदय, अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड, नगर विकास मण्डल में और म्युनिसिपेलिटी में आये दिन झगड़े होते रहते हैं। आपने दस लाख का प्रावधान किया है, आमदनी होती होगी। सभापति महोदय, सदन के सामने मैं एक उदाहरण रखूं इसके लिए कि सांगानेर दरवाजे के बाहर म्युनिसिपेलिटी ने एक व्यक्ति को थड़ी लगाने की इजाजत दी। उसने वहां थड़ी लगाई। उस व्यक्ति का नाम गोकुल है। उसने वहां थड़ी लगायी। उसने उसका लाइसेन्स लिया। उसके पास उसकी रसीद मौजूद, लाइसेन्स की रकम उसने जमा कराई थी। रकम जमा होने के बाद उसको थड़ी लगाने की इजाजत दी गई थी। चुनावों का समय आया। चुनावों में खड़े होने वाले उप-मंत्री महोदय ने, नगर विकास मण्डल के मन्त्री होने के नाते अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके, सभापति महोदय, मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि उन उप मन्त्री महोदय ने उस पद का दुरुपयोग करके नगर विकास मन्डल के कर्मचारियों द्वारा उस थड़ी का सामान उठा कर फिंकवा दिया और थड़ी उठवा कर म्युनिसिपेलिटी में रखवा दी, जहां वह आज भी पड़ी हुई है। उस व्यक्ति ने रिप्रेज़ेन्टेशन किया, इलेक्शन डिपार्टमेंट को लिखा, मन्त्री महोदय को लिखा, हिन्दुस्तान के प्राइमिनिस्टर को लिखा, पार्लियामेंट को लिखा, होम मिनिस्टर को लिखा, राजस्थान सरकार के मुख्य मन्त्री को लिखा लेकिन राजस्थान सरकार ने आज तक उसको कोई जवाब तक नहीं दिया है। क्या इस महकमे का निर्माण इसलिए किया गया है? क्या इस महकमे का निर्माण, अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड, नगर विकास मण्डल का निर्माण इसी लिए किया गया है कि किस प्रकार अपना उल्लू सीधा करें? किस प्रकार इसमें कुनबा परस्ती है? क्या इसीलिए इस प्रकार के विभाग खोले गए हैं? लेकिन सभापति महोदय, सरकार की एक पोलिसी है। सरकार की ड्युअल पॉलिसी है। सरकार की यह पोलिसी है कि एक म्यान में दो तलवारें रहें। जमीन किराये पर आप दे सकते हैं। जब किराये पर आप दे सकते हैं तो क्या आप उसको बेच नहीं सकते? दोनों रास्तों से आप उल्लू सीधा करना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं माननीय सदस्यों को ग्रान्ट्स देने के लिए जो प्रावधान किया गया है उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। म्युनिसिपेलिटीज़ को आप ग्रान्टस देते हैं, बड़ी मेहरबानी करते हैं आप नगरपालिकाओं पर। बड़ी मेहरबानी करते हैं आप नगरपालिका के सदस्यों पर। आपको धन्यवाद है इसके लिए। माननीय सभापति महोदय, मैं सदस्यों की जानकारी के लिए निवेदन करूंगा कि जयपुर नगरपालिका का २,०२,००० रु० की ग्रान्ट दी। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन सभापति महोदय, मैं सदस्यों की जानकारी के लिए कहूंगा कि उस ग्रान्ट का हुआ क्या? आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उस ग्रान्ट में से १ लाख ६५ हजार रुपया तो एक माननीय

(श्री सतीशचन्द्र)

मंत्री महोदय, की कॉन्स्टिटुएन्सी में, जो आज भी मंत्री हैं, उनकी कोन्स्टिटुएन्सी में, खर्च करने के ऑर्डर्स आये और ३७ हजार रुपया जो उप मन्त्री महोदय मेरे विरुद्ध खड़े हुए थे, उनकी कान्स्टिटुएन्सी में, वह कोन्स्टिटुएन्सी तो नहीं है, वह तो जयपुर शहर का एक हिस्सा है, वहां खर्च करने के लिये दिये गये। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यदि मैं झूठ कहता हूँ तो मुझे बता दें। मुझे यह मालूम है, यह बात सही है, मैं स्वयं म्युनिसिपेलिटी का मेम्बर हूँ। इस सम्बन्ध में म्युनिसिपेलिटी में कितने झगड़े हुए हैं, यह मुझे मालूम है। यह कहकर कि म्युनिसिपेलिटी को ग्रान्ट दी गई है और म्युनिसिपेलिटी के सदस्यों पर एक अहसान लादना चाहते हैं कि सरकार म्युनिसिपेलिटी को ग्रान्ट देती है, माननीय सभापति महोदय, मैं कहूँगा कि सरकार नगरपालिका को ग्रान्ट देती है तो वह इस भावना से प्रेरित होकर देती है कि वह कौन से आदमियों की कॉन्स्टिटुएन्सी है। कहा इससे लाभ पहुँच सकता है, कहां रुपये दिये जाने चाहिये, यह उदाहरण माननीय सभापतिजी, इस बात का खुला सुबूत है कि एड और ग्रान्ट के नाम पर चुनाव जीतने के लिये हथकन्डे लगाये जाते हैं। सरकार चुनाव के समय अपने लोगों को खर्चा करने के लिये रुपये देती है और विरोधी दल के लोगों का आरोप है कि केवल अपनी कॉस्टीटयुएन्सीज [illegible] ब्लॉक्स खोलती है, फायदा पहुँचाती है, यह पक्का सुबूत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय न लेकर एक बात और कहूंगा। राजस्थान में ५ लाख शरणार्थी रहते हैं। इन पुरुषार्थियों के सम्बन्ध में सरकार ने बजट में क्या प्रोविजन किया है? आज हम जागीदारों को रिहेबिलिटेट करने का विचार करते हैं लेकिन आज से १० साल पहले जो लोग अपना सर्वस्व छोड़ कर देश को आजाद करवाने के लिये घर-बार छोड़ कर यहां आये उनके लिये देश को आगे बढ़ानेवाले, राजस्थान की आर्थिक लक्ष्य को ऊंचा उठानेवाले माननीय सदस्यों को इस बात का विचार करना चाहिये था कि जो लोग बर्बाद होकर घर–बार छोड़ कर यहां आये और जिनके पीछे हम आज कुर्सियों पर बैठे हैं, मन्त्री–मडल में बैठे हैं उनकी जिन्दगी की समस्याओं के बारे में राजस्थान सरकार ने क्या सोचा है? क्या राजस्थान सरकार कह सकती है कि इनके बारे में हमने कुछ किया है? जौहरी बाजार की थड़ियें इस बात की साक्षी है कि राजस्थान सरकार इन पुरुषार्थी बन्धुओं के लिये कुछ भी नहीं करना चाहती है। चुनाव के समय उनकी बस्ती में किसी छोटी स्कूल भवन का शिलान्यास कर दिया, किसी औषधालय का शिलान्यास कर दिया। लेकिन वे आजभी पत्थर के रूप में मौजूद हैं। आज मेरे दिल में संदेह है कि आगामी चुनावों तक वे पत्थर पत्थर के रूप में ही रहेंगे और वे तभी बनेंगे जब लोगों के सामने शर्त रखी जायगी कि यह भवन तभी बनेंगे जब वोट देंगे। आप पर्सनली उस कोलोनी में जाकर देखें तो पता चलेगा कि वहां बिजली नहीं है, नलों में पानी नहीं है। छोटे छोटे सैकड़ों मासूम बच्चे और स्त्रियें नलों पर पानी भरने के लिये खड़ी रहती हैं। वहां पानी नहीं, वहां प्रकाश नहीं सब जगह अन्धेरा ही अन्धेरा है। ५००० की बस्ती में अन्धेरा छाया रहता है, वहां चोरियें होती हैं, डाके डाले जाते है, वहां पुलिस की चौकी नहीं, वहां की सड़कों के बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं, उन पुरुषार्थियों की बस्ती के बारे में

(श्री सतीशचन्द्र)

और उनकी भलाई के बारे में आपने क्या किया है ?

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं जो यह कि राजस्थान सरकार की जितनी योजनाएं करोड़ों रुपयों की हैं; मेडिकल एण्ड पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, शिक्षा आदि के बारे में पहली पंच वर्षीय योजना और द्वितीय पंच वर्षीय योजना उनकी सफलता केवल दो बातों पर निहित है। हम कितने आगे बढ़े हैं और कितनी प्रगति की है और राजस्थान आर्थिक दृष्टि से कितना आगे बढ़ा है, आज कई स्कूलें खोली गई हैं, कॉलेजेज़ खोले गये हैं, युनवर्सिटीज़ बनाई गई हैं और करोडों रुपयों का प्रावधान एज्युकेशन के लिए किया है लेकिन सभापति महोदय. यदि कोई साक्षी है, स्कूलों और कॉलेजों की सफलता के बारे में, स्कूलों और कॉलेजों से निकलनेवाले करोडों लाखों विद्यार्थी, जिनके बारे में गांव के किसानों को प्राइमरी एज्युकेशन के बाद शिक्षा के फैलाव की बात कहते हैं, पहली और द्वितीय पंच वर्षीय योजना के धोखे में आकर गांव के लोग अपने लड़कों को कॉलेज या स्कूल में पढ़ने भेजते हैं और हजारों-लाखों रुपये खर्च करते हैं, अपने जेवर बेच कर, मकान गिरवी रख कर और नौकरी करके किसी न किसी तरह से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, इस आशा में कि बी. ए. और एम. ए. पास करके लड़के आयेंगे तो उनकी सारी चिन्ताएं दूर हो जायेंगी, उनकी आर्थिक कठिनाइयें दूर हो जायेंगी, लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि बी. ए. पास करके और एम. ए. पास करके जब वे लड़के वापिस आते हैं और दफ्तरों में अर्जियें लेकर जाते हैं और वहां उनको उत्तर मिलता है, 'नो वेकेन्सी' तो आगे आपने क्या रास्ता निकाला है ? पढ़े लिखे लोगों के लिये आपके पास काम नहीं है। मैं समझता हूँ आज विधाना सभा में सब से बडी मांग है कि आज राजस्थान के पढ़े लिखे लोगों की बेकारी की समस्या को सरकार सुलझा नहीं सकी है, इसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है और इस समस्या को सोल्व नहीं कर सकी है, इसे सोल्व करने के लिये कोई प्रावधान बजट में नहीं किया गया है, इसके लिये कोई इन्डिकेशन नहीं है। इन बेकारों और बेरोजगार लोगों की तरफ से मैं सदन में मांग करता है कि या तो सरकार उनको काम दे; नहीं तो उनको रोटी दे। यदि सरकार उनको काम नहीं दे सकती, उनको रोटी नहीं दे सकती है तो मैं उन बेकार लोगों की तरफ से मांग करता हूं कि सरकार इस्तीफा दे। आज सरकारी पक्ष को इस बात पर गौर करना चाहिये। हमने एप्रोप्रियेशन बिल पर विचार किया है, हम सरकार के विभागों और मन्त्री-मंडल के लोगों की वकालत करते हैं। मैं समझता हूँ, इस पृष्ठ-भूमि से सब ने विचार किया तो यह प्रस्ताव किसी भी सूरत में पास नहीं हो सकता ।

४—म० प०

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : Mr. Chairman, I listened to the speech delivered in excitement and sentiment by my hon'ble friend representing the views of the Jan Sangh, and I found also that some of my Treasury friends were getting rather panicky on the speech. But we must understand and I ask my friend who represents the Jan Sangh party, what economic programme they have got before

(श्री श्रीभानसिंह)

the people. Except individual criticism, except censuring, except meeting personal ends in the House: is that all that they want to deliver ? Is this the democracy that you represent ? Is that the sentiment of the people that you represent ? Is it the way you want the country to be better and you expect the democracy to deliver the goods ? After all from this salesmanship tactics ignorant and illiterate people may purchase your medicines but not the educated people. You are here to safeguard the democracy, you are here to represent the people on the economic issue, on the social issue and not on personal and these little things which you represent here. I ask you what is your economic policy ? Your criticism should have been levied that these amounts will not fulfil the targets of the Plan, these amounts will not better the conditions and the standards of the people. Your criticism should have been that these sums will not provide employment to the people and this will not better the condition of the nation. But this criticism was on account of personal prejudices and personal grievances.

श्री अर्जुनदास : on a point of order.

श्री श्रीभानसिंह : (Contd) It is my request in the name of democracy..............

श्री अर्जुनदास : On a point of order.

(सदन में शोरगुल)

श्री श्रीभानसिंह : (जारी) that you must safeguard....

अनेक माननीय सदस्य : Order ! Order!!

श्री श्रीभानसिंह : Addres the Chair and not to me.

श्री अर्जुनदास : On a point of order.

श्री श्रीभानसिंह : (जारी) Therefore, Sir, coming to what we have listened.......

श्री सभापति : You will be good enough to allow him to say.

श्री तनसिंह : क्या माननीय सदस्य अवैधानिक ....

श्री श्रीभानसिंह : The hon'ble member is pointing at me and not to the Chair.

श्री तनसिंह : जब कोई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़ा होता है तो यह संसदीय शिष्टाचार है कि पहले वाले सदस्य को बैठ जाना चाहिये। जब दूसरे माननीय सदस्य खड़े हुए तो उनको बैठ जाना चाहिये था।

श्री सभापति : Now that he has said I don't think there was any point of order when the speech was going on.

श्री श्रीमानसिंह : And, Sir, it is my right whether to yield or not.

(हंसी)

श्री अर्जुनदास : But anyone who has got a point of order, he has got a right to speak first. I am referring to Rule 172 (2) and proviso thereof. I think it is high time to proceed with the proviso.

श्री श्रीमानसिंह : I object to the use of the words, "It is high time for the Chair to look into this proviso." I point out these words to the hon'ble chair.

श्री अर्जुनदास : I only said, it is time enough, -4 o'clock

श्री श्रीमानसिंह : The words used were 'high time' and not four O' clock.

श्री अर्जुनदास: Proviso of the sub rule (2) of rule 173 lays down:-

"Provided that if a Minister has a right of reply to the debate on the motion which is under discussion at 4 P.M. on that day and has not commenced his reply at that hour, the Speaker shall inquire how much time not exceeding one hour he requires for his reply and shall call upon any member for the time being addressing the House to resume his seat at such time as will leave available before 5 O' clock the amount of time which the Minister has stated that he requires for his reply."

श्री सभापति : (Shri Sajjan Singh) : I may refer to the Hon' ble member that we are discussing the Appropriation Bill and not the Finance Bill. Therefore, this rule does not apply.

श्री श्रीमानसिंह : Mr. Chairman, Sir, so I was just requesting the political parties to have an approach, the touch-stone of economic and social programmes which will go to ameliorate the conditions of the people of Rajasthan.

Now, Sir, this expenditure is incurred by the Government with a view to fulfil the targets of the Second Five Year Plan. Now, in view of the circumstances and unforeseen developments I would like to draw the attention of the Finance Minister to certain aspects, basic aspects, on which our Five Year plan is formulated. Sir, four objects of the Second Five Year plan are-

(i) Raising of the standard of living through an increase in the national income;

(ii) Secondly, Sir, the industrialisation of the country;

(iii) The third is the employment problem; and

(iv) The fourth is the economic distribution of power, of removing inequality.

(श्री मानसिंह)

While, Sir, as regards the national income, double the amount of national income and double the amount of expenditure is envisaged in this. I want to ask that probably the basis of calculation was the First Five Year Plan, where it was assumed and the national income should increase by double. While thei nvestment was about 3000 and some crores the national income was double, was more than double. On that assumption probably our Finance Minister and the Planning Department are working. If this much investment paid us certain amount during the period of Friest Five Year Plan, then doubling that expenditure will pay us, should rise or double the national income. Sir, the falseness lying behind this basis, calculation, I would like to draw the attention of the House is this that the First Five Year Plan was formulated with very pessimistic hopes The targets were purposely kept low and it was with a view to either rehabilitate or revitalise the economy of the State. During the period af First Five Year Plan the whether onditions were very good with the result that food targets, sugar targets, cotton targets, all these targets were exceeded, but, while our targets were exceeded we did not see that despite our investments, despite increase in the national income, why this was not represented as to the increase in the national exchequer. The income of the State did not increase. Our planners and the Finance Minister did not pay attention to this side that with the increase in the national income, it is not obvious that the finances of the State could not increase. Again he over-looked the lesson of the First Five Year Plan. The lesson of the Firest Five Year Plan was that when there was a surplus of production our all investments of money that were available in the market failed to take away goods from the market with the result that during the First Five Year Plan there was a fall in the prices. There was a hue and cry from the farmers for the stabilisation of prices. Thus the economy during the Frist Five Year Plan working with jolts were sometimes going on. But the automatic process that should govern in planning is this that in a low rate of interest there should be high rate of investment. During the First Five Year Plan while there was low rate of interest the prices fell, but the rate of in-investment did not increase. The point is that in doubling the income we have to have expenditure, we have to have taxation. Our all the measurs must be such that the income and the small savings of the people should increase. While the savings did not increase during the First Five

Page No.105

(श्री श्री मानसिंह)

Year Plan, how could we assume that during the Second Five Year Plan, while doubling the investments, the national income will be doubled. Thus what we are mistaken is that while we are starting on plan basis, we are ignoring the physical resources or physical problems of our country, of our State during the Second Five Year Plan with the result that our prices have gone up. The greatest drawback with this expenditure is this that it was formulated during the period when the prices were constant. Now when the prices have gone up probably the amount of expenditure will be more with a result that all the expenditure will be nullified by the rise in prices, and this rise in the prices will be reflected on the increasing expenditure of every individual with the result that our savings will come down with the result that the first aim of our planning, i. e. the doubling the national income and a rise in the living standard of the people, will not be achieved. It is rather a sad commentary on the working of the Government, on its planning Department that it has not yet been able to stabilise the prices. I may ask why ? when you are planning, and planning means planning for prices, planning for investments, planning for output, but you are planning for what ? when you have not been able to stabilise the prices, when this is the state of affairs, not only of the fixed income groups but also of the lower people ?

Thus, Sir, that is for the fixed income groups. Now I come to the second point, the point of industrialisation. As regards industrialisation this is a very sad commentary no the affairs of our Government that it has no industrial policy. I am amazed to see in the Second Five Year plan as well as in all the literature available but I failed to look as to what is the industrial policy of the Government. They will say or the Government will say that it is based on the Second Five Year Plan of having heavy industries. I ask, have you got finances to start heavy industries ? The answer will be 'no'. If we connot start heavy industries, why not start smaller industries for which you will reply that we want to encourage private enterprises. That is the argument which will be given. But both the arguments, while I believe them to be true and genuine, we must see as to through what crisis the country, the State has been passing, through what critical hours the budget has been framed ? When we want to increase, to double the taxation whether that amount will go to fulfil our targets, our wishes, our ambitions ? My answer, Sir, is frankly 'no', because in every State we are having budget deficit going on

श्री श्रीभानसिंह : Right. So, therefore, at present the policy of industrialisation is that on the one hand crores of rupees are wasted we are not bothering about that. On the other hand these crores of rupees reflect heavy expendture, heavy taxes. We do not want to take...we are so shy as we do not take a bold step. There is no other alternative, because if I remember right, during the first Five year Plan the report submitted to the Finance Commission was of a regular deficit in the budgets. There will not be time, any time I am sure, the Goverment will never be able to equalise this taxation. Only when the Government takes comprehensive measures-and these measures must be very bold-we can equalise and have balanced budget and thus change industrial policy.

Secondly, Sir, coming to problem of employment. We want to develop basic industries. You should enhance production in our country. After all we want to create about 15 million jobs in the Second Five Year Plan and we want to provide this expenditure. My point is that with the increased number of employment, the people will need food, they will need consumption goods. With the expenditure and with the development of heavy industries, how are we providing them with necessary means and consumption goods ? The answer is by cottage industries.

Because we are developing cottage industries to provide increased employment, to provide consumption goods, only the cottage industries can answer the employment problem. But this problem cannot be solved, because the production will be slow. Take the production of cloth, or anything else, the price of cottage industries will be higher, which will reflect in the higher expenditure of the ordinary man. Therefore, Sir, taking these things together, I find that our planning must either be over-hauled, completely changed or the State must take bold and comprehensive steps for starting State enterprise. That brings me down.

श्री सभापति : Sorry to interrupt yon. You will please finish your speech by 4.30.

श्री श्रीभानसिंह : Now, Sir, come to Education. The expenditure on Education, specially primary stage, basic stage Education. That now we want to develop our country and the Hon'ble Finance Minister, who is also the minister for Basic Eduction, will excuse me when I say that the amount we are spending, and the policy that the Government is following regarding basic education is just haphazard, unco-ordinated and I do not know what, if I am permitted to say, it is as shy as a newly wed.

I again tried to look up in the

(श्री श्रीमानसिंह)

plan to find at least what is the policy of the Government regarding basic education. I came to the conclusion that except one or two sentences, that it is turning from primary elementary to basic education, I find nothing. After all a staunch Gandhite is on the head of the department of bacic education and he must invest more on this education. The need for basic education, if we see in the context of our country, is very urgent, but the excuse that is given for the lack of proper attention to this education is that our finances are meagre, they prevent us from spending more amount no this education. I wish to draw the attention of the Hon'ble Minister to the fact that there is a principle behind basic education. That principle is to learn through production. There must be some production work in it; that is the basic education, but financial question comes in. You are spending heavily, unnesessarily on the elementary education, on elementary schools. Almost all politicians vehemently complain about the undesirability of this education. I ask, what changes do you want to introduce in the field of education? what have you thought of the other schools? What about the secondary schools, and the higher basic schools? We just do not finish with this. The whole basic education is a continuous process. It must be followed by senior basic schools and senior basic schools should be followed by post-graduate basic schools. These basic schools will finance themselves. Every basic institution within two years will pay its expenditure and they will make profits. The Government will have to fix targets of production of quantity, as well as quality both and the basic education is a self-sufficient education. And in such self-sufficient education, our Government is so haphazard, so uncoordinated. The department of basic education has been given to the same Director; there is the same Director to look after basic education as is to look after the elementary eduation. The principles of the two education are different. One education is producing boys who, we see, do not fit in the society ; they are not worthwhile, and the other education if we see, when schools are opened, double the number of schools, while the basic schools are. ......

(घंटी)

श्री श्रीमानसिंह : Not yet 4.30, Sir.

श्री सभापति : I just give you a warning.

श्री श्रीमानसिंह : Therefore, I like to draw the attention of the Hon'ble Minister that we should completely sweep all elementary

(श्री श्रीमानसिंह)

schools. We know that they do not serve any purpose, whereas the basic schools are self-financed. Therefore, the Government shou'd adopt not slow measures, not shy measures, not piece-meal measures, but sweeping measures. If you want socialism in our country, you will have to take comprehensive and bold measures. Socialism does not believe in piece-meal measures, gradual measures. Now today people want results upon this bank and shores of time, you will have to give them results. That is all.

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री सभापति : Now I think the Hon'ble Finance Minister will reply. There will be no further debate.

श्री दयाकृष्ण विजय : सभापति महोदय, जनसंघ पर आक्षेप लगाये गये हैं, उनका स्पष्टीकरण करने के लिए मुझे ५ मिनट का समय दिया जाय।

श्री सभापति : Order please !

श्री हरिभाऊ उपाध्याय (वित्तमंत्री) : सभापति महोदय, अभी आपके सामने एप्रोप्रिएशन बिल पेश हुआ है जिसमें आपने देखा कि बीच २ में जोरदार बहस भी हुई और आप सब इस बात को मानेंगे कि जो बहस जनरल डिबेट के समय होनी चाहिये थी वह एप्रोप्रिएशन बिल में मुनासिब नहीं होती है, जो वहां पर हुई। इसमें माननीय सदस्यों ने सरकारी विभागों की अलोचना की.........

श्री अर्जुनदास : आलोचना करने का तो मौका ही नहीं दिया।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : अभी आलोचना करने में कसर रह गई क्या ?

सरकारी विभागों की जो आलोचना की वह तो खैर ठीक, लेकिन मुझे यह जानकर और देख कर बड़ा दुःख भी हुआ कि उन संस्थाओं पर भी काफी हमला किया गया जो सरकारी संस्थाएं नहीं हैं। उनको केवल राजस्थान सरकार की तरफ से सहायता प्राप्त होती है और उनमें जहां तक मेरी जानकारी है, जिन जिन संस्थाओं के नाम लिये गये हैं, मुख्य रूप से वे व्यक्ति कार्य करते हैं, जिन्होंने अपना बहुत सा जीवन स्वतन्त्रता की लड़ाई में और राजनैतिक सेवाओं में लगाया है और आगे भी लगा रहे हैं। सरकार के कामों में या किसी संस्था के काम में कमी हो उसको बतलाना जरूरी है और कोई बुरा नहीं, वह भी एक प्रकार की सेवा है, लेकिन उसके भी बतलाने का तरीका होता हैं। लेकिन वह इस तरह बताएं कि यह तो सब की सब गन्दी हैं, यहां तो बेइमानी है और सब जगह कूड़ा-कर्कट ही है, तो मैं समझता हूं कि फिर वह भावना नहीं रहती, दूसरी भावना हो जाती है।

श्री अर्जुनदास : Does he contra dict whatever he says ?

श्री सभापति : Why should he be disturbed ? He should continue.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपके बारे में जो व्यक्तिगत आरोप हैं उनका पहले आप जवाब दें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : आप शांति से सुनिये। मेरे बारे में और भी जवाब दूंगा. घबराइये नहीं। इससे आपको संतोष हो जाएगा।

श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : जवाब से सन्तोष होगा या इस्तीफे से ? आप पहले उस पत्र के बारे में, आप पर जो व्यक्तिगत आक्षेप है, उसके बारे में बोलिए।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : तो मैं यह समझता हूं कि वह वाजिब नहीं है। अभी·······

श्री भैरोंसिंह : माननीय सभापति, मैं यह चाहूँगा कि आप पहले आप अपने व्यक्तिगत दोषों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दें। यदि आप उसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार के एलिगेशन लगाने के बाद, वित्त मन्त्री अगर उनका कोई उत्तर नहीं देते हैं तो मैं विरोधी दल के सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वित्त सम्बन्धी मामलों की बात से पहले इसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक होता है।····

श्री सभापति : Is the Hon'ble member making a statement ?

श्री भैरोंसिंह : मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ। इन्फोर्मेशन के तौर पर पहले आप को, जो आरोप लगाये गये हैं उनका स्पष्टीकरण करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह उनका अपमान है और उनको वाक आउट करके चले जाना चाहिये। यदि वे खुले रूप से जवाब देने की हिम्मत नहीं करते हैं तो आज डेमोक्रेसी है और सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि राजस्थान सरकार और प्रजातन्त्र के लिए अन्याय होगा अगर इस प्रकार का उनसे कोई उत्तर नहीं मिले। इतना कहकर मैं निवेदन करूंगा कि अगर वे इसका उत्तर नहीं देते हैं तो वाक आउट कर देना चाहिये।

श्री सभापति : Order Please !

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : मैं सफाई दे चुका हूं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करूंगा कि यह एक प्रकार से सदन का अपमान है। चाहिये तो उनको यह था कि तुरन्त इस्तीफा देते, मगर ऐसा नहीं किया और न जो व्यक्ति उनकी मदद करने के लिए आए उनके नाम भी उन्होंने बताये। मैं समझता हूँ कि यह कोई शोभा की चीज नहीं होगी कि हम सदन में बैठे रहें।

श्री अर्जुनदास : We are going out when the Hon'ble Finance Minister should really go out.

श्री सभापति : Order please !

श्री अर्जुनदास : It should be the other way.

४.१४ म० प०

(विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री सभापति : आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : इसमें जो सरकारी विभागों पर आक्षेप किया है, उनमें कई बातें ऐसी हैं जिनका आपके यहां off-hand जवाब दिया जाना कठिन है। कुछ बातें जरूरी

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

ऐसी हैं जिनके बारे में मैं जवाब और सफाई देना मुनासिब समझता हूँ । जैसे नगर विकास मण्डल के बारे में रुपयों के खर्च की बात कही गई । इसमें सही बात तो यह है कि वह रुपया जयपुर शहर की म्युनिसिपल कमेटी को सफाई के लिए दिए गए और वह सफाई में खर्च किए गए और विकास मण्डल ने जो कि एक एप्रोप्रियेट बोडी है उसने खर्च किये और मैं यह कहूंगा कि जिस मकसद के लिए दिए गए, खर्च किये ।

इसी तरह से भारत सेवक समाज, जल बोर्ड और दूसरी संस्थाओं के बारे में कहा गया, उसमें हंटूडी विद्यालय के बारे में कहा गया । उसके बारे में कुछ कहना आवश्यक है । वैसे तो हटूंडी के सम्बन्ध में कहने के लिए मैं यहाँ के फाइनेन्स मिनिस्टर होने के कारण अपने को थोड़ी सी कठिन स्थिति में पाता हूँ और अगर उनके कोई प्रतिनिधि होते तो सही जवाब दे सकते थे। फिर भी जो १९५०,५१,५२,५३ के आंकडे देकर बताया कि छात्रों की संख्या यह है, लेकिन मैं आज सन् १९५७ में यह बताना चाहता हूँ कि जैसा वे १०० या १५० विद्यर्थी कहते हैं सही नहीं है । मुझे जहां तक जानकारी है इस समय वहां ७५५ से कम विद्यार्थी नहीं हैं । वह एक विधिवत् रजिस्टर्ड संस्था है । उसका संचलन गण्यमान लोगों के हाथ में है, उसका विधिवत् आडिट होता है । ऐसी दशा में इस प्रकार से इधर उधर की सुनी सुनाई और ले-भग्गू बातों को लेकर इस तरह से तस्वीर खींचना, ऐसी संस्था के लिये जो सन् ४७ से अपना कार्य चला रही है, सन् ४७ से चल रही है और मैं जानता हूं कि वे लोग सेवा भाव और लगन से काम करते हैं, उन पर इस प्रकार का आक्षेप करना, मैं समझता हूं, उचित नहीं। एक चीज यह कही गई कि अध्यापकों की तनख्वाह ज्यादा ली जाती है और उनको तनख्वाह कम दी जाती है । मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ है और न होगा । मैं यह कहूँगा कि आपको यह सुनकर खुशी होगी कि अध्यापक और अध्यापिकाओं ने मिल कर स्वयं ने इस बात का प्रयत्न किया था कि संस्था को नुकसान होता है तो हम खुद अपनी तनख्वाह में से काट कर कुछ रुपया दें और उन्होंने कुछ रुपया अपनी तनख्वाह में से काट कर संस्था को दिया भी, लेकिन संस्था ने उनका रुपया वापिस उनको लौटा दिया और कहा कि उनको खुद को तनख्वाह कम मिलती है इसलिए यह रुपया लेना संस्था के लिये उचित नहीं है ; संस्था कहीं से रुपया और मांग कर लाएगी ।

दूसरी बात यह है, मैं सबकी तरफ से यह कह रहा हूँ कि पहले के समय में और अब के समय में अन्तर पड़ गया है । सरकार वेल-फेयर स्टेट होने के कारण सरकार का ध्यान सभी प्रकार की संस्थाओं की ओर गया है । सरकार खुद चाहती है कि जिन संस्थाओं को ग्रान्ट इन एड दिया जाता है उनके लिये कोई नियम बने हुए हों । सरकार खुद चाहती है कि सरकार का रुपया कहीं भी लगे, वह यह देखे कि उन रुपयों का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है । इस बात को मैं फाइनेन्स मंत्री के नाते पसन्द करूंगा और कहूँगा कि सरकार देखे कि जो रुपया बजट में जिस काम के लिये रखा गया है उसका उसी काम के लिये जनता के हित में उपयोग हो, यह बात वाजिब है । जिन माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान दिलाया है सरकार इससे सतर्क

(श्री हरिभाऊ उपाध्याय)

सतर्क है और आगे भी सतर्क रहेगी। इन्डस्ट्रेलाइजेशन की बात कही गई। इस बारे में माननीय सदस्य ने जो कुछ भी सदन में सुझाव दिये हैं वे वास्तव में बड़े ही माकूल सुझाव हैं। वे सुझाव भरतपुर के माननीय सदस्य ने दिये। बेसिक एज्युकेशन के बारे में सुझाव अच्छे दिये गये। इस इन्डस्ट्रेलाइजेशन के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि सरकार ऐसे सुझावों पर अवश्य ही गम्भीरता पूर्वक विचार करेगी।

माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार को उद्योग धंधों को नेशनलाइज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, यह स्थिति आ सकती है लेकिन आज हमारी सरकार इस स्थिति में नहीं है। हमारा राज्य उद्योग धन्धों की तरफ बराबर प्रगति कर रहा है और उसकी निश्चित पॉलिसी है कि बिजली इत्यादि की कठिनाइयों की वजह से उसमें कुछ कठिनाइयां हैं; लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगे आने वाले सालों में आप देखेंगे कि राजस्थान औद्योगिक प्रगति में किसी राज्य से पीछे नहीं रहेगा।

बेसिक एज्युकेशन की ओर माननीय सदस्यों ने खासी रूचि दिखलाई और यह मुझे अच्छा भी लगा। लेकिन हमने अजमेर राज्य में काफी बेसिक शिक्षा का प्रचार और विस्तार किया था। उस अनुभव से भी यहां लाभ उठाना जरूरी है। प्रचार करना, विस्तार करना जहां जरूरी है वहां हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारे धन का ठीक प्रकार से उपयोग हो। इन सब चीजों को देखते हुए राजस्थान में जितनी आवश्यकता होगी और जैसी सुविधा होगी उसके अनुसार ही बेसिक शिक्षा का बहुत विस्तार किया जायगा। यह सही है कि इस मद में बजट में पैसा कम है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसको हम और देखेंगे।

मैं समझता हूँ कि जो मुख्य मुख्य बातें यहां माननीय सदस्यों ने ऐसी रखी थीं कि जिन पर मुझे प्रकाश डालने की जरूरत थी, वह मैं स्पष्ट कर चुका हूँ और माननीय सदस्यों ने सदन में भी जो अच्छे सुझाव रखे हैं और सरकार को अच्छी सलाह दी है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और मुझे आशा है कि वे इस एप्रोप्रियेशन बिल को सहर्ष मजूर करेंगे।

श्री सभापति (श्री सज्जनसिंह) : The Question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the service of the year ending on the 31st March, 1958, be taken into Consideration.

(स्वीकृत)

बिल को विचारार्थ लिया जाता है

श्री हरिभाऊ उपाध्याय : माननीय सभापति, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाय।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो एप्रोप्रियेशन बिल सदन के सामने है उसको पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

बिल पारित किया गया।

(करतल-ध्वनि)

(श्री सभापति)

क्योंकि कार्य समाप्त हो गया है इसलिए सदन कल ११ बजे तक के लिए एडजर्न किया जाता है ।

(सदन की कार्यवाही मध्याह्न पश्चात् ४ बजकर ४४ मिनट पर दिनांक २२ मई, १९५७ के ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई ।)

संक्षिप्त विवरण

(मंगलवार, २१ मई, सन् १९५७)

स्कम्भ स्कम्भ

आज का प्रश्नोत्तर काल स्थगित करने सम्बन्धी

रावराजा श्री सरदारसिंह ने आज का प्रश्नोत्तर काल स्थगित करने का प्रस्ताव किया जो श्रीअध्यक्ष ने अमान्य किया।

तारांकित प्रश्नोत्तर

मांडल अशोक सुगर कोआपरेटिव बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स।

स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाओं को समाज कल्याण विभाग द्वारा आर्थिक सहायता।

त० सांचोर में प्रथम पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत किये गये कार्य।

बाड़मेर जिले में संस्कार केन्द्र खोलनेकी योजना सम्बन्धी।

कोटा जिले में ओलों इत्यादि से क्षति ग्रस्त कृषिकों को सहायता।

शिक्षा विभाग के बीकानेर स्थित प्रधान कार्यालय को हटाना।

अशोक लेबोरेटरी, अजमेर, को टिंचर बनाने हेतु एलकोहल का अनुज्ञापत्र।

मंगलवाड़ा (त० दूदू) से राजस्व वसूली हेतु बाला बक्स की नियुक्ति।

बाडमेर की स्कूलों के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वर्दी।

जयपुर डिस्ट्रिक्ट में हरिजन चतुर्थश्रेणी महिला कर्मचारी।

३००३ कस्टम विभाग के समाप्त होने से असिस्टेन्ट कमिश्नर का कार्यालय।

डेगाना तहसील में हाई स्कूल खोलने सम्बन्धी योजना।

३००३ अलवर जिले की पट्टे पर दी गई निष्क्रमण की भूमि।

धौलपुर में बंद पड़े उद्योगों को पुनः चलाने की योजना।

जागीरों के पुनर्ग्रहण से अब तक जागीरदारों की खुद काश्त भूमि।

शाहबाद तहसील की माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूलों में परिवर्तन।

सन् ५२–५३ में अकाल हेतु धन एकत्रित करने के लिए मन्त्रियों के दौरे।

राज्य कर्मचारियों के विचाराधीन फिक्सेशन के मामले।

खिजूरी (त० मनोहरथाना) के हरिजन परिवारों को बानेट तक बसाना।

गत वर्ष त० सांचोर में दी गई तकावी।

मेवाड़ सुगर मिल्स, भूपालगढ़ में गत पेला गया गन्ना।

अप्रेल ५५ में लोकल फन्ड ऑडिट द्वारा नगरपालिकाओं

तथा जिला बोर्डों को सरचार्ज करने की रिपोर्ट।

उदयपुर जिले में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के प्रार्थना-पत्र

अध्यापकों का फिक्सेशन पूर्ण नहीं होने के कारण।

पूर्व झालावाड़ राज्य के काश्तकारी फन्ड को सरकार में हस्तान्तरण।

गत तीन वर्षों में लिये गये चतुर्थश्रेणी के कर्मचारियों में हरिजन।

कृषकों को रोयल्टी से मुक्ति।

नांवा तहसील में बीघोड़ी की दरों का पुनरावलोकन व संशोधन करने का आश्वासन।

शहरों तथा ग्रामों में गत वर्ष के बजट में शिक्षा हेतु व्यय किया हुआ रुपया।

अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रावृत्ति।

लाखेरी, शंकरपुर कारखाना एवं लाखेरी स्टेशन पर सरकारी भूमि पर मकान बनाना।

देवस्थान विभाग द्वारा सन् १९५१ से दिया गया ऋण।

सन् १९४९ में उदयपुर जिले के ठिकाने के नम्बरदारों को राजस्व विभाग के आधीन करना।

झुंझुनू में बहुद्देशीय स्कूल भवन के परकोटा इत्यादि।

राजस्थान में बंजाय आरजी काश्त के खातेदारी दर्ज कराना।

आयव्ययक १९५७—५८
अनुदानों की मांगों पर मतदान
मांग संख्या १४—मुख्य शीर्षक ३७—शिक्षा ३०६१

मांग संख्या १४-मुख्य शीर्षक ३७-शिक्षा जो कल श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मन्त्री द्वारा प्रस्तावित की गई थी, उस पर आज ९ कटौती प्रस्ताव और प्रस्तुत किये गये। जिनमें से कुछ तो वापिस ले लिये गये और शेष अस्वीकृत हुए। तदुपरान्त उक्त मांग सदन द्वारा स्वीकृत की गई।

इसके पश्चात् निम्नांकित मांगें मुखबन्द (Guillotine) का प्रयोग किया जाकर सदन द्वारा स्वीकृत की गईः—

क्र० सं०	मांग संख्या	मुख्य शीर्षक
१	२	३
१	१५	३८—चिकित्सा
२	१७	४०—कृषि
३	२१	४३—उद्योग और प्रदाय
४	१२	२९—पुलिस
५	३४	७०—जन स्वास्थ्य सुधार
६	३५	७१—कृषि-सुधार व अन्वेषण परियोजनाएं

Page No.115

७	३३	६८–सिंचाई, नौचालन, तट बंधन तथा जल निकास निर्माण कार्य (वाणिज्यिक)
८	३८	८१–का–विद्युत योजनाएं
९	४२	ता–राज्य सरकारों द्वारा ऋण और अग्रिम
१०	३२	६२–खा–सामुदायिक विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा तथा विकास निर्माण कार्य
११	३०	५६–लेखन सामग्री तथा मुद्रण
१२	२३	४७–विविध विभाग
१३	१३	३६–वैज्ञानिक विभाग
१४	१	७–भू–राजस्व
१५	२	८–राजकीय आबकारी कर
१६	३	९–स्टाम्पस
१७	४	१०–वन
१८	५	११–पंजीयन
१९	६	१२–वाहनों पर कर
२०	७	१३–अन्य कर और महसूल
२१	८	१७–सिंचन, नौचालन, तट बंधन तथा जल निकास निर्माण (कार्य वाणिज्य)
२२	१०	२७–न्याय प्रशासन
२३	११	२८–कारागृह तथा बन्दी बस्तियां
२४	१६	३९–जन स्वास्थ्य
२५	१८	४० का–ग्राम विकास
२६	१९	४१–पशु चिकित्सा
२७	२०	४२–सहकारिता
२८	२२	४४–उड्डयन
२९	२५	५१ खा–बहु प्रयोजन नदी योजनाएं
३०	२७	५४–दुर्भिक्ष
३१	२८	५४ खा–भारतीय नरेशों के निजी व्यय और भत्ते
३२	२९	५५ का–अधिवार्षिकी भत्ते और निवृत्ति वेतन
३३	३६	७२–उद्योगिक विकास
३४	३७	८१–राजस्व लेखे से बाहर नागरिक निर्माण कार्य
३५	३९	८२–राजस्व लेखे से बाहर राज्य के अन्य निर्माण कार्य
३६	४०	८३–निवृत्ति वेतनों की संराशियों का भुगतान
३७	४१	८५ का–सरकारी व्यापार योजनाओं पर पूंजी की लागत

विधेयक की पुरःस्थापना	स्तम्भ
राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९५७	३१५०

श्री हरिभाऊ उपाध्याय, वित्त मंत्री, ने राजस्थान विनियोग (संख्या १) विधेयक, १९५७ को सभा की आज्ञा प्राप्त करके पुरःस्थापित किया। तत्पश्चात् विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया। इस पर निम्नांकित सदस्यों ने अपने २ विचार व्यक्त किये:—

१. श्री भैरोंसिंह (१४)
२. श्री जनार्दन राय नागर
३. श्री सतीशचन्द्र
४. श्री श्रीमानसिंह

वाद-विवाद का उत्तर वित्त मन्त्री द्वारा दिया गया। वित्त मंत्री ने अपना भाषण प्रारंभ किया ही था कि उनके विरुद्ध कतिपय आरोपों के स्पष्टीकरण की मांग को लेकर, समस्त विरोधी दल ने सदन के प्रांगण से बहिर्गमन (वाक् आउट) किया। विधेयक सदन द्वारा पारित भी किया गया।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या २५६ का उत्तर देखिये)

ANNEXURE 'A'

S. No.	Name of the Municipal Board of Distt. Board.	Name of the defaulter.	Amount involved.
1	2	3	4
1.	Municipal Board, Jodhpur.	Shri Sri Nath Rev. Clerk.	572/6/6
2.	„ „ Chapper.	„ Malal Chand, Secy. of the Board.	1,040/-/-
3.	„ „ Jodhpur.	„ Moti Lal Rent Clerk.	2,132/-/9
4.	„ „ Taranagar.	„ Banwari Lal Octroi Clerk.	17/-/6
5.	„ „ Chittorgarh.	„ Mohan Lal Rathi clerk.	64/2/-
6.	„ „ Suratgarh.	„ Moti Ram Tax Clerk.	-/10/-
7.	„ „ Baswa.	„ Phool Chand Jain, Ex-Chairman.	200/14/-
8.	„ „ Gajsinghpur.	„ Manohar Lal Vyas, Ex-Secretary to the Board.	700/4/-
9.	„ „ Mukandgarh.	„ Chiranjilal Ex. Secy.	2/-/-
10.	„ „ Toda Bhim.	Tax Clerk.	2/-/-
11.	„ „ Bharatpur.	„ Devi Pd. Goswami, Member of the Board.	100/-/- 200/-/-
12.	„ „ Chapper.	„ Mahar Swami.	2/-/6
13.	„ „ Jhunjhunu.	„ Bhagwati Pd. Secy.	181/-/-
14.	District „ Malpura.	„ Rameswar Pd. Cess Clerk Nawa.	1,755/-/-
15.	Municipal „ Kotah.	Shrimati Shanti Bai W/o Shri Babhadar Sharma-Ex. Supdt.	2,288/-/-
16.	„ „ Phalodi.	Shri Jaswant Mal Secy.-cum-Acctt.	3/14/3
17.	„ „ Jodhpur.	„ Narain Kishan Sanitory Inspector.	6,395/9/-
18.	„ „ „	„ Chandraj Sanitary Inspector.	13/5/-
19.	„ „ Rajgarh.	„ Malsingh Tax Clerk.	6/-/-
20.	„ „ „	„ Parmeshwar Lal Bhatia, Ex-Tax Clerk.	3/-/-
21.	„ „ Taranagar.	„ Madan Mohan Secy.	8/-/-

Page No.118

22.	„	„ „ „		3/8/-
23.	„	„ Bhawanimandi, „	Madan Lal Peon.	1/2/-
				15,693/5/6
1.	Municipal Board,	Baswa	Chairman of the Board	200/-/-
2.	Municipal Board,	Gajsinghpur	Cashier.	13/1/-
3.	Municipal Board,	Gajsinghpur.	Manohar Lal Vyas	687/-/-
			Ex-Secretary.	3/-/
				2/4/
				6/-/
4.	Municipal Board,	Nainwa	Collecting Clerk	190/-/-
				-/1/6
5.	Municipal Board,	Chappar	Manohar Sawami, Ex-Clerk	0/1/6
6.	„ „	„	Shri Mahal Chand	1,040/-/-
7.	„ „	Bhadra	Shri Dwara Ram Clerk	1/5/-
8.	„ „	„	Clerk	1/3/-
9.	„ „	Keshoraipatan	Shri Safi Mohd Clerk	8/13/-
10.	„ „	Pali.	Octroi Moharrir	0/9/0
11.	„ „	Bari		0/4/3
12.	District Board,	Jhunjhunu.	Shri Mali Ram, Cashier.	1/10/-
13.	Municipal Board,	Todarariaingh	Shri Dhar Nakadar	1/10/6
14.	„ „	Taranagar	Shri Banwari Lal & Shri Kishan Lal Clerk	29/3/6
15.	„ „	Taranagar	Secy. or Treasury Clerk	5/-/-
16.	„ „	Taranagar	Secretary or Pound Clerk	3/8/-
17.	„ „	Kotah	(i) Kajir Singh	37/8/-
			(ii) Sita Ram	10/-/-
			(iii) Shri Mohammed & Raj endra Kumar	12/8/-
				60/-/-
18.	„ „	Karauli.	Secretary.	
19.	„ „	Kushalgarh	—	-/8/-
20.	„ „	Bhusawar	Shri Bansi Lal, Member	285/-/-
21.	„ „	Rajeldesar.	—	25/-/-
22.	„ „	Ratangarh	Shri Suraj Mal (Accountant)	186/5/9
				25/-/9
				57/5/3
				78/14/3

23.	„ „	Dausa	Shri Hari Narain Tax Inspector.	99/9/-
			Shri Raghu Nath Prasad.	1,417/13/6
24.	„ „	Jobner	—	1/8/-
25.	„ „	Deogarh	Brij Lal Dhabai Clerk	15/-/-
			Shri Sohan Lal	24/8/-
26.	Municipal Board,	Deedwana.	Shri Mal Chand Clerk	71/-/3
			Shri Harkaran & Shri	77/14/3
			Mal Chand.	6/2/6
27.	„ 2„	Ladnu.	Shri Chand Behari Saxena, Executive Officer.	
28.	„ „	Nawa	Shri Bal Krishna Misra, Cattle Pound Clerk.	49/14/-
29.	„ „	Newai.	Ex-Cashier.	164/2/9
			Sri Radhey Shyam, Ex-Cashier	25/13/-
30.	„ „	Phalodi.	Shri Jawan Lal Accounts Clerk.	3/14/3
31.	„ „	Sagwara	Shri Rasool Khan, Cashier.	5/-/-
32.	„ „	Toda Bhim		2/-/9
33.	„ „	Tonk.		
34.	„ „	Bhinmal	(i) Shri Devi Singh Octroi Clerk	1/-/-
			(ii) Shri Hazari Mal	1/-/-
			(iii) Shri Hazari Mal	-/4/-
35.	„ „	Hindaun.	Shri Ram Kishan Sharma	
36.	„ „	Raisinghnagar	(i) Shri Suraj Mal Soni	16/-/-
			(ii) -do-	61/10/-
			(iii) -do-	4 mds. 5 Srs Lime.
37.	„ „	Raisinghnagar	Shri Jeetmal Dalal	60/-/-
38.	„ „	Raisinghnagar	———	
39.	„ „	Bayana	Cattle Pound Clerk.	1/8/3
40.	„ Council	Jaipur.	Municipal Commissioner's	—
41.	Town Board, Nagar,	Bharatpur	Cashier.	1/-/-
42.	Municipal Board,	Chirava	—	1/-/-
43.	„ „	Ratannagar	Shri Sanwar Lal	46/10/6
				56/7/6
				40/-/-
				35/-/-
				76/10/9
44.	„ „	Nohar	Shri Basti Ram Clerk	2/-/-

———

			Shri Chaman Mal Clerk	288/11/-
			Chairman.	141 Cement bags
45.	„	„ Jodhpur.	Shri Unirao Mal	About 110/-/-
			Shri Narain Kishan	2,659/15/6
46.	„	„ Kotah	Shri Shanti Lal Jain	2,800/-/-

ANNEXURE "B"

List of cases pending in Court.

S. No.	Name of the Municipal Board or District Board.	Name of the Defaulter.	Amount involved.
1.	Municipal Board, Jodhpur.	Shri Sri Nath Ravenue Clerk.	572/6/6
2.	Municipal Board, Jodhpur.	Shri Moti Lal Rent Clerk.	2,132/-/9
3.	Municipal Board, Chhaper.	Mahar Swami	2/-/6

परिशिष्ट २

(कृपया प्रश्न संख्या २६३ का उत्तर देखिये)

LIST OF MIDDLE SCHOOLS OPENED IN 1956-57

	Boys	Girls
1. Jaipur	2	3
2. Kishangarh	-	-
3. Siker	2	
4. Jhunjhunu	1	
5. Alwar	2	
6. Bharatpur	1	2
7. Sawai Madhopur	4	
8. Tonk	3	
9. Udaipur	10	1
10. Kotah	-	2
11. Bundi	2	
12. Jhalawar	3	
13. Banswara	4	
14. Dungarpur	4	
15. Bhilwara	2	1
16. Chittor	5	1
17. Jodhpur	5	1
18. Bikaner	2	2
19. Jalore	6	
20. Sirohi	3	
21. Churu	6	
22. Pali	2	1
23. Naguur	7	1
24. Ganganagar	2	
25. Barmer	5	
26. Jaisalmer	1	
	81	15

परिशिष्ट ३

(कृपया प्रश्न संख्या २३६ का उत्तर देखिये)

संस्थाओं की सूची जिन्हें सन् १९५६-५७ में समाज कल्याण विभाग की ओर से सहायता दी गई :

१. राजस्थान सेवा संघ, डूंगरपुर ।
२. बांसवाड़ा जिला सेवा संघ, परतापुर, बांसवाड़ा ।
३. गान्धी आश्रम कुशलगढ़, बांसवाड़ा ।
४. हरिजन सेवक संघ, उदयपुर ।
५. राजस्थान हरिजन सेवक संघ, भीलवाड़ा ।
६. राजस्थान प्रदेश दलित वर्ग संघ, जयपुर ।
७. हरिजन सेवक समिति, प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ ।
८. शान्तसेवा कुटीर, बांसवाड़ा ।
९. श्री कृष्ण छात्रावास, सीकर ।
१०. गांधी विद्यालय, सूरजगढ़, जिला झुंझनू ।
११. मोहन्स स्कूल, टोंक ।
१२. बापा सेवासदन, सरदारशहर, जिला चूरू ।
१३. विश्व विद्यापीठ, उदयपुर ।
१४. विमुक्त जाति सेवक संघ, जयपुर ।
१५. गाड़िया लोहार सेवा संघ, चित्तौड़गढ़ ।
१६. राजस्थान स्टेट कौंसिल फार चाइल्ड वेलफेयर, जयपुर ।
१७. लोक कला मण्डल, उदयपुर ।
१८. महिला जाग्रति परिषद, बीकानेर ।
१९. सेवा संघ, बीगोद, भीलवाड़ा ।
२०. महिला आश्रम, भीलवाड़ा ।
२१. महिला मण्डल, उदयपुर ।
२२. भारत सेवक संघ, अजमेर ।
२३. हरिजन सेवक संघ, अजमेर ।
२४. डिप्रेस्ड कलासेज लीग, ब्यावर ।
२५. राष्ट्रीय ऊन मजदूर संघ, ब्यावर ।

शुद्धि-पत्र

(कार्य-विवरण, मंगलवार, दिनांक २१ मई, १९५७)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	६
३००२	३	३००२	३००३
३०१४	२	श्रमती गौरीपूनिया	श्रीमती गौरीपूनिया
३०३६	२४	टेकेदार । ल्टी वसूल करता है	ठेकेदार रॉयल्टी वसूल करता है
३०६६	६	दोनों अलग हैं अलग ।	दोनों अलग अलग हैं ।
३१२१	५	डिप्लिन नहीं है ।	डिसिप्लिन नहीं है ।
३१२७	२	(श्री मोहनलाल सुखाड़या)	(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
३१३४	६	श्री छेटूसिंह का एक पत्र	श्री छोटूसिंह का एक पत्र
३१३६	१८	कटौती प्रन्ताव वापिस	कटौती प्रस्ताव वापिस
३१३७–३१३८	१	–२० मई, १९५७–	–२१ मई, १९५७–
		शेष मांगों प मत-दान	शेष मांगों पर मत-दान
३१६३	पंक्ति १ से नीचे	——	(श्री भैरोंसिंह)
३१७२	१५	श्री अभानसिंह	श्री श्रीभानसिंह
३२०६	२	(श्री भ नसिंह)	(श्री श्रीभानसिंह)
३२१६–३२२०	१	–२१ मई ५ –	–२१ मई, ५७–